Par. S. 17. II. 4. 52.
285

अंक २
सख्या ४

सोमवार,
१४ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २५५५—२६०५]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २६०५—२६३०]

(मूल्य ४ आने)

426 PSD.

लोक सभा

सोमवार, १४ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाक सेवक योजना

*१७१०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्ष १९५१-५२ में कुछ एक जगहों में प्रारम्भ की गई डाक सेवक योजना सफल रही है ; तथा

(ख) क्या देश भर में उचित क्षेत्रों में भी इस योजना को चलाने को प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस का प्रयोग किये जाने की कोई प्रस्थापना थी, तथा मैं यह भी ज्ञात करना चाहता हूं कि वह प्रस्थापना क्यों वापिस ली गई ?

श्री राज बहादुर : मितव्ययता तथा लोकसुविधा के रूप में उक्त प्रस्थापना पर प्रयोग किया गया था। और यह प्रस्थापना थी कि शाखा पोस्ट मास्टर, डाकिया तथा डाक ले जाने वाले के कार्य एक ही में विलीन किये जायें, और इन तीनों कार्यों का अधिकार एक ही पदाधिकारी को दिया जाय। यों तो इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस प्रकार की योजना अधिक कठिन, अधिक असुविधापूर्ण तथा अधिक खर्चीली है, यही कहा जा सकता है कि यह सफल नहीं रही है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या और कहीं भी इसका प्रयोग हुआ था ?

श्री **राज बहादुर** : जी हां, प्रयोग किया गया था।

उड्डयन क्लबों द्वारा डाक का संचय एवं वितरण

*१७११. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उड्डयन क्लब द्वारा देश के विविध भागों की हवाई डाक का संचय एवं वितरण कराया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो उन क्लबों के नाम तथा कार्यचालन क्षेत्र क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या आज तक यह डाक दिन में चलने वाले वायुयानों द्वारा ले जाई जाती है, अथवा रात में

चलने वाले वायुयान डाक लाते ले जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, मेरे विचार में तो दिन में चलने वाले हवाई जहाज़ भी कुछ डाक ले जाते हैं किन्तु प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध इस प्रस्थापना से है कि उड्डयन क्लब के वायुयानों को डाक ले जान के काम में लगाया जाय।

मूल पशुपालन केन्द्र

*१७१२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में पशुओं के विकास के लिये विभिन्न राज्यों में कितने मूल पशुपालन केन्द्र खोले गय थे, और सन् १९५२-५३ में और कितने केन्द्र खोले जाने वाले हैं ;

(ख) क्या निजी केन्द्रों को प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता दी गई ;

(ग) निजी केन्द्रों को सहायता दिये जाने की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) पहले से खोले हुए केन्द्रों में से कौन कौन से आत्म निर्भर हो चुके हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) सन् १९५०-५१ में कोई भी केन्द्र नहीं खोला गया। सन् १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार ने ऐसे ९२ केन्द्रों की स्वीकृति दी थी जिन में से अभी ५५ केन्द्रों को खोला गया है, और शेष ३७ केन्द्र अब खुलने वाले हैं। सन १९५२-५३ में इन ही ९२ केन्द्रों को चालू रखा जायेगा, और कोई नया केन्द्र नहीं खोला जायेगा।

(ख) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित ९२ केन्द्रों में २२ निजी केन्द्र भी सम्मिलित हैं।

(ग) निजी केन्द्रों के लिये तो केन्द्रीय सरकार सभी अनावर्त्तक व्यय तथा आवर्त्तक व्यय का ७५ प्रतिशत मुहैय्या करेगी।

(घ) चूंकि इस योजना के अन्तर्गत किसी भी धन के प्राप्त किये जाने की आशा नहीं की जाती अतः इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ये मूल पशुपालन केन्द्र गोसंवर्धन समिति की सिपारिशों के अनुसार खोले गये थे ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मेरा विचार है ये केन्द्र राज्य सरकारों की सिफ़ारिशों के अनुसार खोले गये थे, किन्तु मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन निजी मूल पशुपालन केन्द्रों को सहायता देने के लिये सरकार के पास कुछ और प्रार्थना-पत्र पहुंचे थे ?

श्री करमरकर : अभी उल्लिखित २२ के अतिरिक्त और प्रार्थना-पत्र ?

श्री एस० सी० सामन्त : जी हां।

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये।

श्री दाभी : बम्बई राज्य में किन स्थानों पर ये केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री करमरकर : बम्बई राज्य में सरकारी संस्थाओं के अन्तर्गत चलाये गये केन्द्रों की संख्या सात है, और निजी केन्द्र एक है, किन्तु मैं यह देखना चाहता हूं कि किन विशेष जगहों में इन केन्द्रों को चलाया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या गौसंवर्धन समिति की केन्द्रीय परिषद् का कार्य इन मूल फार्मों के विकास के अधिकार-क्षेत्र में आता है ?

श्री करमरकर : मैं प्रश्न को नहीं समझ पाया ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या केन्द्रीय गोसंवर्धन समिति इन केन्द्रों का कार्य चला रही है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, श्रीमान्, सरकार ही यह काम करती है । मैं स्वयं इस बात का पता चलाना चाहता हूं कि क्या हम ने इस विषय में गोसंवर्धन समिति का परामर्श भी लिया है । संभवतः हमने परामर्श लिया है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मद्रास राज्य में कुछ केन्द्र हैं ? यदि हां तो कितने और कहाँ कहां ?

श्री करमरकर : निजी संस्थाओं के अन्तर्गत—छः केन्द्र ; सरकारी संस्थाओं के अन्तर्गत—सात केन्द्र : किन्तु जगहों का नाम बताने के लिये मुझे सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस योजना की अर्थव्यवस्था केन्द्र द्वारा ही पूरी हो रही है, अथवा राज्य भी इसके व्यय में कुछ हाथ बटाते हैं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं बतला चुका हूं कि निजी संस्थाओं को केन्द्र द्वारा सभी अनावर्त्तक व्यय तथा आवर्त्तक व्यय का ७५ प्रतिशत दिये जाते हैं । मेरा विचार है कि सरकारी संस्थाओं का खर्चा राज्य भी उठाते हैं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य में इन संस्थाओं की संख्या कितनी है ?

श्री करमरकर : सरकारी संस्थाओं की संख्या दो है ।

श्री एन० सोमना : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि कुर्ग में इस प्रकार की कितनी संस्थायें हैं ?

श्री करमरकर : मैं सदन पटल पर एक विवरण रखा दूंगा जिसमें इन संस्थाओं की राज्यवार संख्या दी गई होगी ।

टिड्डियों का आक्रमण

*१७१३. **डा० राम सभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इन गर्मियों में भारत पर विदेशी टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार टिड्डियों ने आक्रमण किया था; और

(ग) क्या टिड्डी दल के इन आक्रमणों से यहां की फसलों और यहां के पौधों को कोई हानि पहुंची है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) (क) जी हां।

(ख) ६।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने टिड्डियों के इस आक्रोश को रोकने के लिये कोई सक्रिय पग उठाया है, और यदि उठाया है तो उन्हें इनके आक्रमण रोकने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री करमरकर : हमारे पास ऐसे विशेष उपकरण मौजूद हैं जिन से हमें टिड्डी दल के टूट पड़ने की चेतावनी मिलती है, और हम उसी उपकरण द्वारा राज्यों को भी चेतित करते हैं और इनके अतिरिक्त राज्यों में भी ऐसे उपकरण मौजूद हैं जिन से उन्हें चेतावनी मिलती रहती है; वे उनकी सहायता से सक्रिय रोकथाम भी कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि भारत सरकार ने पदाधिकारियों के लिये इसके प्रशिक्षण की पाठ श्रेणियां भी खोल रखी थीं, और १९५०-५१ में तथा मई १९५२ में राज्य-पदाधिकारियों को टिड्डीमार कार्य चालन में प्रशिक्षित भी किया गया था।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस वर्ष टिड्डी दल के आक्रमण का ज़ोरदार मुकाबला हुआ था ?

श्री करमरकर : इस वर्ष के टिड्डी दल के आक्रमण की पहली विशेषता यह थी कि उन के आक्रमण कहीं कहीं और बिखरे हुये थे। और दूसरी विशेषता यह थी कि खतों में कोई भी फसलें नहीं थीं जिन पर वे आक्रमण कर लेते।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने टिड्डियों के इन आक्रमणों को दबाने की दृष्टि से विदेशों में होने वाले आक्रमणों से कोई बात सीख कर यहां लागू की थी।

श्री करमरकर : मेरे पास इसकी कोई भी सूचना नहीं किन्तु मुझे याद है कि हम ने इस काम के लिये एक नियोग ईरान भेजा था।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि विगत दो-तीन महीनों में इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे गये थे। उनके पास नियमित मशीनें हैं और वे सहयोग से काम करते हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इधर पिछले दिनों में मणिपुर राज्य में टिड्डियों के दल दिखाई दिये हैं, और उन का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री करमरकर : हमें तो इस बात का ज्ञान है कि मई में राजस्थान में टिड्डियों के दल दिखाई दिये थे। मणिपुर के सम्बन्ध में मैं देखकर बता दूंगा।

श्री एल० जे० सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अभी हाल में मणिपुर के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में टिड्डियों के आक्रमण से कितनी हानि हुई थी ?

श्री करमरकर: मुझे इसके लिये पूर्व सूचना मिलनी चाहिये।

प्रशीतित सामान

*१७१५. **श्री बी० के० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में प्रशीतित भंडारों की संख्या कितनी है तथा उन के स्थान कहां कहां पर हैं;

(ख) भंडारों की गुंजाइश कितनी है; तथा

(ग) उन भंडारों में किन किन वस्तुओं को ठंडा रखा जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण जिसमें यह सब सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २१**]।

(ख) एक प्रशीतित भंडार में अवसत १३,५०० मन समा सकते हैं।

(ग) बीज वाले तथा खाने के आलू, फल और सब्जियां, मक्खन, अंडे, मछली और मांस और अन्य नश्वर खाद्य पदार्थ।

श्री बी० के० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ये भंडार सरकार के अपने हैं अथवा किन्हीं निजी अभिकरणों द्वारा सरकार को ऋण के रूप में दिये जा चुके हैं ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में सरकार का अपना कोई भी भंडार नहीं, किन्तु मैं देखकर बता दूंगा।

श्री बी० के० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि भंडार का समुचित सुरक्षण न होने के कारण नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं को कितनी हानि हुई है ?

श्री करमरकर : मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

श्री बी० के० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन भंडारों की गुंजाइश बढ़ाने के लिये सरकार के समक्ष कोई विकास कार्यक्रम है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री पटेरिया : क्या सरकार इन प्रशीतन भंडारों की निगरानी किया करती है ?

श्री करमरकर : मेरा भी ऐसा ही विचार है किन्तु मैं देख कर बता दूंगा।

प्रसूतिका परिषेविकायें

*१७१६. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह तथ्य है कि न्यूज़ीलैंड की कई एक निजी (गैर-सरकारी) संस्थाओं ने भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वह (भारत) प्रतिबर्ष ६० से १०० तक की संख्या में लड़कियां भेजा करे जो वहां की उन निजी संस्थाओं के खच से ही उनकी संस्थाओं में तीन वर्षों तक की परिषेविका प्रशिक्षा ग्रहण किया करेंगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यूज़ीलैंड की इस पेशकश को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय किया हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) भारत सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी निवेदन नहीं पहुंचा है। यों तो यह समझा जाता है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के विचाराधीन एक ऐसी योजना है, जिस के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ६० से १०० तक की संख्या में भारतीय लड़कियां (युवतियां) न्यूज़ीलैंड भेजी जायेंगी जहां उन्हें दो-तीन वर्षों की प्रसूतिका प्रशिक्षा दी जायेगी, और उस प्रशिक्षा पर जो कुछ भी धन व्यय होगा वह व्यक्तिगत दानराशि से पूरा किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह योजना पूरी तरह से अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से ही सम्बद्ध है, अथवा उस में सरकार का भी कुछ हाथ है ?

राजकुमारी अमृत कौर : ज़ी नहीं, श्रीमान्, सरकार का उस पेशकश के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यह तो शुद्ध रूप से एक निजी योजना है, और इस

का सम्बन्ध अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तथा न्यूज़ीलैंड की महिला संस्थाओं के साथ है ।

समुद्र तथा डायमन्ड हार्बर के बीच नौगम्य जलमार्ग

*१७१७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों (कलकत्ता पत्तन आयुक्तों) ने सर क्लाड इंगलिस का यह परामर्श स्वीकार किया है कि समुद्र तथा डायमन्ड हार्बर के बीच एक नौगम्य जलमार्ग (नहर) बनाया जा सकता है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : सर क्लाड इंगलिस की यह राय थी कि उस खाड़ी (मुहाने) के निचले भाग में (डायमण्ड हार्बर के नीचे) संभवतः एक जलमार्ग को पक्का किया जा सकता है और यह भी कि दामोदर के चौखटे और कलकत्ता के बीच की नदी यंत्रों की सहायता से नियंत्रण (काबू) में लाई जा सकती है । उन्होंने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि अध्ययन तथा अंतिम निश्चय के लिए उक्त नदी के तीन नमूनों को तैयार किया जाय । पोर्ट कमिश्नरों (पत्तन आयुक्तों) ने उन की यह सिफ़ारिश स्वीकार की है और कुछ समय से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग अनुसंधान स्टेशन, पूना में तैयार किए गये उन नमूनों पर प्रयोग भी हो रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन नमूनों का निर्माण जिसकी ओर निर्देश किया जा चुका है, पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : दो नमूने तो बनाये जा चुके है, किन्तु तीसरा नमूना नहीं बनाया जायेगा । तीसरे नमूने से जिस फासले का काम हो जाता वह उन पहले के दो नमूनों को विस्तार देने से ही पूरा किया जा चुका है । इन नमूनों पर प्रयोग किए जा रहे हैं और आशा की जाती है कि १९५३ के अन्त तक यह काम पूरा हो जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन नमूनों के निर्माण पर कितना धन व्यय किया जाने वाला है, तथा नहर के खोदने पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री सतीश चन्द : हर नमूनों के निर्माण के लिए ९,८१,००० रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी थी । काम चल रहा है, और पोतवहन के लिए नहर बनवाने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इन नमूनों के बनाने का यही अभिप्राय है कि स्वयं नदी को सुधारने की संभावनाओं से पूरा लाभ उठाया जाय । यदि नमूनों पर का प्रयोग सफल हो जाय तो कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच एक नहर का निर्माण करने का विचार क़तई छोड़ दिया जायेगा ।

श्री मेघनाद साहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस नाते सर क्लाड इंगलिश से यह निवेदन किया गया था कि वह अपनी राय दें ।

श्री सतीश चन्द्र : सर क्लाड इंगलिश पूना स्थित अन्तर्देशीय जल-मार्ग अनुसंधान स्टेशन के संचालक थे । कुछ समय हुआ कि वे इस सेवा से निवृत्त हो गए । इस के पश्चात्, १९४६ में उनसे राय मांगी गई ।

श्री मेघनाद साहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नमूने के तौर पर कुछ प्रयोग किए गए हैं, और क्या सरकार तब तक उनकी सिपारिशों को, वे चाहे कितनी बड़ी हों, स्वीकार कर सकती है जब तक कुछ एक नमूने के प्रयोग नहीं किए जाते ?

श्री सतीश चन्द्र : सर क्लाड इंगलिश ने भी बिलकुल इसी पद्धति पर यह सिपारिश की थी कि नमूने के प्रयोग किए जाने चाहिए । और प्रयोग किए भी जा रहे हैं, किन्तु अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया ।

भारतीय स्वामित्व वाले पोत

*१७१८. **श्री दामोदर मेनन** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय स्वामित्व के पोतों पर नियुक्त नाविकों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) उन में से भारतीय प्रजाजनों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भारतीय स्वामित्व के पोतों पर प्रति वर्ष लगभग ७,००० नाविकों को काम दिया जाता है ।

(ख) लगभग ३,००० ।

श्री दामोदर मेनन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन नाविकों में से पाकिस्तान के नागरिकों की संख्या कितनी है ?

श्री सतीश चंद्र : विदेश जाने वाले पोतों पर १,३१५ और अन्तर्देशीय पोतों पर ५३२ ।

श्री दामोदर मेनन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान दे रही है कि भारतीय स्वामित्व के पोतों पर केवल भारतीय प्रजाजनों को ही नाविक का काम दिया जाय ?

श्री सतीश चंद्र : पोतवहन व्यवसाय और भारतीय नाविकों की भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही कुछ कार्यवाही की जा चुकी है । कलकत्ता और विशाखपत्तनम् पोतघाटों में क्रमशः **भद्रा** तथा **मैखला नाम** के दो प्रशिक्षण पोत रखे गये हैं जिन पर भारतीयों को इस समय पोतवहन प्रशिक्षा दी जाती है, ताकि कालान्तर में वे विदेशियों का स्थान लें ।

श्री दामोदर मेनन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत में किन किन केन्द्रों से नाविकों की भर्ती की जाती है ?

श्री सतीश चंद्र : प्रायः तटीय प्रदेशों से जिनमें केरल सम्मिलित है, ही भर्ती की जाती है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पाकिस्तानी स्वामित्व के पोतों पर कुछ भारतीय भी काम करते हैं ?

श्री सतीश चंद्र : मैं पाकिस्तानीं स्वामित्व के पोतों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता ।

श्री अच्युतन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि हम कब इस सम्बन्ध में पूर्णतया भारतीयकरण की आशा करेंगे ?

श्री सतीश चंद्र : मैं इस बात को अच्छी तरह से नहीं जानता । इस प्रकार सोचा गया है कि उपरोक्त पोतों से सम्बद्ध तटीय उपकरणों की स्थापना कर के इन सुविधाओं में वृद्धि की जायेगी ताकि प्रशिक्षार्थियों को बहुत बड़ी संख्या में लिया जा सके । इसके अतिरिक्त, उन पदधारी नाविकों को भी, जो युद्ध के पश्चात् पदच्युत किए गये हैं, यथासंभव भारतीय स्वामित्व के पोत समवायों में काम दया जायेगा ।

मेसर्ज ए० एच० व्हीलर एण्ड को०

*१७१९. **श्री विद्यालंकार** : क्या **रेल मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई जा चुकी हैं कि मेसर्ज़ ए० एच० व्हीलर एण्ड को० नाम का सार्थ रेल-स्टेशनों पर की अपनी दुकानों पर बिकने वाली पुस्तकों के प्रायः अधिक दाम लिया करता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। यों तो यदि विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में लाये जायें तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने इन दुकानों पर बिकने वाल पुस्तक-साहित्य पर कुछ पाबन्दी लगा रखी है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह मामला तो स्थानीय रेल-प्रशासनों से सम्बंधित है। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि इन दुकानों पर वे ही पुस्तकें बेची जाती हैं जो अच्छी और शिष्ट होने के साथ-साथ यात्रियों की मनपसन्द भी हैं।

डाक कर्मचारी (अपराध-सिद्धियां)

* १७२०. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में, प्रत्येक राज्य में, डाक कर्मचारियों पर सार्वजनिक धन के दुरूपयोग अथवा हड़पने के अपराध में कितने अभियोग चलाये गये थे ; और

(ख) इन अभियोगों में से कितने एक अपराध सिद्ध निकले ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादर) : (क) सन १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत भर में डाक-पदाधिकारियों के विरूद्ध चलाये गये अभियोगों की संख्या क्रमशः ६१९ और ७५९ थी। एक विवरण, जिस में प्रत्येक राज्य सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २२**।]

(ख) सन् १९५०-५१ में १२७ और सन् १९५१-५२ में १०६ अभियोग अपराध-सिद्ध निकले ; एक विवरण जिस में राज्यवार आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २३**।]

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन सभी अभियोगों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री राज बहादुर : मुझे संदेह है, मैं देखे-बूझे बिना बता नहीं सकता।

श्री रघवय्या : क्या यह तथ्य है कि अमृतसर स्थित डी० एल० ओ० (गुमनाम पत्र) कार्यालय में ए० पी० एम० जी० (डाक-सहायक महाधिकारिक) द्वारा ६४ लाख पत्र एवं अन्य वस्तुयें नष्ट की गईं ?

श्री राज बहादुर : प्रमुख प्रश्न भ्रष्टाचार एवं धन हड़प किये जान से सम्बंधित मामलों पर ही पूछा गया है। चूंकि इस में गुमनाम पत्र-कार्यालय म रद्द किये गये एवं फाड़ कर फेंके गये पत्रों के सम्बन्ध में सूचना मांगी जा रही है, अतः

माननीय सदस्य का प्रश्न बिलकुल भिन्न है।

श्री रघवय्या : उस को इस काम का क्या दण्ड मिला था?

श्री राज बहादुर : प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सार्वजनिक धन के दुरूपयोग एवं हड़प किये जाने की सूचना तक ही सीमित है, अतः इस में डाक विभाग के अन्य अपराध नहीं आते।

श्री रघवय्या : मेरा प्रश्न यह था कि मनी आर्डर सहित ६४ लाख पत्र बर्बाद किये जा चुके थे . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : तब तो, यह दुरूपयोग में सम्मिलित है।

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, मुझे पूर्व-सूचना मिलनी चाहिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उन लोगों के विरूद्ध, जो प्रविधिक कारणों से, दण्ड से बच गये, कोई कार्यवाही की गई?

श्री राज बहादुर : दोषमुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति साक्ष्य-प्रभाव अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रविधिक कारणों से भले ही दोषमुक्त हो जाय किन्तु ठोस रूप से उस की यही नैतिक धारणा होती ह कि उस ने अपराध किया है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

श्री राज बहादुर : ऐसे मामलों में विभाग की ओर से कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये थी, किन्तु इस प्रश्न का सविस्तर उत्तर देने के लिये मुझे अलग सूचना दी जानी चाहिये।

रेल इंजन

*१७२२. **श्री एन० एस० नायर** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'टेलको' ने कुछ इंजनों का निर्माण किया है, और यदि किया है तो उन की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेल अधिकारियों ने इंजनों के उत्पादन-परिव्यय के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन तैयार किया है;

(ग) क्या "चित्तरंजन इंजन फैक्टरी" (चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप) और 'टेलको' के इंजनों के उत्पादन-परिव्यय में कोई अन्तर है; और

(घ) क्या इंजनों तथा इंजनों के पुरजों के उत्पादन-परिव्यय के सम्बन्ध में 'टेलको' तथा रेल प्रशासन के बीच कोई झगड़ा चल रहा है?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, जून १९५२ के अन्त तक 'टेलको' द्वारा १९ इंजन भेजे गये थे।

(ख) जी हां, भारत सरकार तथा मेसर्ज़ टाटा सन्ज़, लिमिटेड के बीच दिनांक २० अगस्त १९४७ को दिये गये करार की प्रथम अनुसूची के अनुबन्ध १ में दिये गये आधार पर ही 'टेलको' में निर्मित होने वाले इंजन का दाम लगाया जाता है; और उस अनुसूची की एक प्रति रेल सम्बन्धी स्थायी वित्त समिति की दिनांक २० अगस्त, १९५० को हुई बैठिक की कार्यवाही के ११-२५ तक के पृष्ठों पर (खंड २७—संख्या १) आप को मिल सकेगी—उक्त रिपोर्टें लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) जी हां, क्योंकि वे भिन्न २ प्रकार के इंजन हैं। इस समय चित्तरंजन

लोकोमोटिव वर्कस बड़ी लाइनों पर चलने वाले और 'टेलको' छोटी लाइनों पर चलने वाले इंजनों का निर्माण करते हैं।

(घ) जी नहीं।

श्री एन० एस० नायर : क्या सरकार की यह भी नीति है कि राष्ट्रीयकृत रेलों में निजी समवायों को प्रोत्साहन दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रशासन के उच्च स्तर की नीति के सम्बन्ध में प्रश्न उठा रहे हैं, अतः मुझे संदेह है कि वह इस प्रश्न के उत्तर में नहीं समा सकता है। वह सूचनार्थ प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एन० एस० नायर : क्या सरकार किसी भी समय निकट भविष्य में 'टेलको' का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, सरकार ने 'टेलको' में लगभग २ करोड़ रुपये की पूंजी लगा रखी है। आशा की जाती है कि उक्त कारखाना का निर्माण पूरा हो चुकने पर कुल ७ करोड़ रुपये की पुँजी होगी। इस धनराशि के लगाने से सरकार इंजनों के निर्माण पर बहुत नियंत्रण कर सकेगी।

श्री एन० एस० नायर : क्या सरकार को इस सार्थ से कोई लाभ भी प्राप्त होता है ?

श्री सतीश चन्द्र : उक्त सार्थ ने तो अभी अभी इंजन इकट्ठा करने का कार्य आरम्भ किया है; अतः इस समय इस सार्थ से कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा है।

श्री एन० एस० नायर : क्या ऐसा भी कोई उपबन्ध है जिस से सरकार को लाभ मिल सके ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब वह एक बार कह चुके हैं कि सरकार ने दो करोड़ रुपये लगाये हैं, तो यह स्वाभाविक है कि सरकार को उस का लाभ मिल सकेगा।

श्री एन० एस० नायर : श्रीमान्, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उक्त धनराशि ऋण के रूप में दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या उक्त धनराशि ऋण के रूप में दी गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं, श्रीमान्। उक्त धनराशि पूंजी विनियोग है ऋण नहीं।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस 'टेलको' फ़ैक्टरी में कितने इंजनों का निर्माण हो सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : जब इस फैक्टरी का काम पूरे ज़ोरों पर चले तो प्रति वर्ष ५० इंजन और ५० अतिरिक्त बायलर बनाये जा सकेंगे।

सिन्ध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के विस्थापित सरकारी कर्मचारी (निवृत्ति वेतन सम्बन्धी दायित्व)

*१७२३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री जी तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ पर दिनांक १७ सितम्बर, १९५१ को श्री आर० के० सिधवा द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिन्ध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से आये हुए विस्थापित स्थायी सरकारी कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी समग्र दायित्वों को संभालने

के विषय में अन्तिय आदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि नहीं तो कब दिये गये उन वचनों के अनुसार इस प्रकार के आदेश जारी किये जाने की आशा की जा सकती है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख) । विभाजन से पूर्व सिन्ध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त सरकारों के अधीन हुई सेवा के सम्बन्ध में जो भी निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी दायित्व हैं, वे पाकिस्तान सरकार पर हैं। भारत सरकार ने किसी भी समय इस दायित्व को स्वीकार नहीं किया है, न तो, अब ही वह इन दायित्वों की संभालने के लिये तैयार है। यों तो, उन विस्थापित स्थायी सरकारी कर्मचारियों की, जिन की भारत सरकार के अन्तर्गत किसी पद पर अतिवयस्क-नियुक्ति हुई है, कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह प्रस्तावित हुआ है कि ऐसे मामलों में अस्थायी आधार पर अन्तर्कालीन निवृत्ति-वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये। इस प्रस्थापना का यह अभिप्राय है कि उक्त अस्थायी निवृत्ति-वेतन उस पूरे निवृत्ति वेतन--यदि पाकिस्तान में हुई नौकरी समेत उन की सारी नौकरी को ध्यान में रखा जाय--का कुछ प्रतिशत भाग हो जो इन पदाधिकारियों को दिया जा सके। इस प्रस्थापना पर विचार तो किया जा चुका है और शायद है कि शीघ्र ही निकट भविष्य में निश्चय किया जायेगा और उसकी घोषणा भी की जायेगी।

सरदार हुक्म सिंह: क्या इन निवृत्ति-वेतनों के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए अब भी पाकिस्तान सरकार से बात चीत की जा रही है ?

डा० काटजू : अनेक बार हो चुकी है।

सरदार हुक्म सिंह : इस सम्बन्ध में सब से बाद का पत्र किस दिनांक को भेजा गया था ?

डा० काटजू : मुझे खेद है कि मैं वह दिनांक नहीं बता सकता। अभी इस का कोई भी संतोषजनक सुझाव नहीं हुआ है।

सरदार हुक्म सिंह : कोई भी असाधारण बात नहीं हुई, किन्तु मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अभी भी इस मामले को चलाया जा रहा है ?

डा० काटजू : यह मामला अभी चल रहा है, किन्तु मैं कह नहीं सकता कि अभी और कितना समय लगेगा।

श्री केलप्पन : क्या सरकार उन व्यक्तिगों को अभी भी निवृत्ति-वेतन दे रही है जो पहले भारत में नौकरी करते थे और अब पाकिस्तान में बस गये हैं ?

डा० काटजू : बात यह है कि जिन प्रान्तों का विभाजन हुआ था वहां यह छूट दी गई थी और बाद में यह दायित्व लिया गया था। किन्तु जो प्रान्त अखंड रूप में पाकिस्तान अथवा भारत के भाग में आये उनका कतई कोई दायित्व नहीं लिया गया।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने बतलाया कि उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति निवृति-वेतन दिया जाता था जिन्हें भारत सरकार ने सिन्ध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में काम में लगाया था। और अब, चूंकि माननीय मंत्री ने बतलाया कि उन के निवृत्ति-वेतनों की अदायगी का दायित्व पाकिस्तान सरकार पर है, तो क्या निवृत्ति वेतनों की उस धनराशि को भारत की ओर से पाकिस्तान पर ऋण समझा जायेगा ?

डा० काटजू : पाकिस्तान सरकार को ऋण दिये जाने का कोई भी प्रश्न नहीं है। यह धनराशि सहायता के रूप में दी जा

रही है अथवा दी जायेगी। किन्तु जब सारे प्रश्न पर निश्चय किया जाय तब ही इन दायित्वों के बटवारे पर भी विचार किया जायेगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी : किस आधार पर इस क्षतिपूर्ति निवृत्ति-वेतन का निश्चय किया जाता है?

डा० काटजू : मैं इसी समय नहीं बता सकता। इस मामले पर गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय आपस में विचार कर रहे हैं और थोड़े ही समय में उस विचार के निष्कर्ष की घोषणा की जायेगी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या बटे हुए प्रांतों में पाकिस्तान अपने उन भागों में रहने वाले व्यक्तियों को निवृत्ति-वेतनों के देने के दायित्व को पूरा कर रहा है?

डा० काटजू : मुझे पूर्वसूचना चाहिये। इस समय पूछे गये प्रश्न से यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारी सरकार उन लोगों को निवृत्ति-वेतन दे रही है जो अब पाकिस्तान में बस रहे हैं?

डा० काटजू : मै इस सम्बन्ध में सही सूचना देना चाहता हूं, अतः मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये।

अतिरिक्त विभागीय अभिकर्त्ता

*१७२४. **श्री अजीत सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार न अतिरिक्त विभागीय अभिकर्त्ताओं के लिए पुनरीक्षित वेतन-दरें स्वीकृत की हैं;

(ख) कहां तक इस पर कार्यवाही की जा चुकी है;

(ग) क्या १ मार्च, १९४८ से पुनरीक्षित वेतन-दर स्वीकृत की गई थीं;

(घ) उड़ीसा में विविध श्रेणियों के कितने अतिरिक्त विभागीय अभिकर्त्ताओं को इस बात का लाभ प्राप्त हुआ है?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार ने अतिरिक्त विभागीय अभिकर्त्ताओं के नाम भत्तों की पुनरीक्षित दरें भी स्वीकृत की हैं। अल्पकालीन कर्मचारी होने के नाते उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलते।

(ख) बिहार के कुछ एक मामलों को छोड़ कर, चूंकि अभी उन की पड़ताल हो रही है, सभी अन्य जगहों के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। कुछ एक मामलों में १ मार्च, १९४८ के बाद के किसी दिनांक को वे आदेश लागू किये गये थे। अगली सितम्बर समाप्त होने से पहले ही उक्त आदेशों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सूचना मांगी गई है और यथा समय सदन पटल पर रखी जायेगी।

श्री अजीत सिंह : क्या कार्यालय के इन कर्मचारियों को कोई कार्यालय भाटक अथवा आकस्मिकता भत्ता दिया जाता है?

श्री राज बहादुर : कोई भी कार्यालय भाटक नहीं दिया जाता। हां, थोड़ा आकस्मिकता भत्ता दिया जाता है।

श्री दाभी : ये पुनरीक्षित दरें क्या हैं?

श्री राज बहादुर : पुनरीक्षित दरें इस प्रकार हैं :—

अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टर तथा अतिरिक्त विभागीय सार्टरों (डाक

चुनने वालों) के लिये—४० रुपये तक, मंहगाई भत्ता २५ रुपये;

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के लिये १० रुपये से २५ रुपये तक, और मंहगाई भत्ता १० रुपये;

अतिरिक्त विभागीय टिकट विक्रेताओं के लिये ३५ रुपये तक, मंहगाई भत्ता १० रुपये;

अतिरिक्त विभागीय डाक उठाने वालों एवं अन्य अतिरिक्त अभिकर्त्ताओं के लिए ३० रुपयं तक, मंहगाई भत्ता १० रुपयं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सरकार नं छुट्टी के सम्बन्ध में—आकस्मिक अथवा अन्य—किये गये प्रतिनिधान पर कभी विचार किया है ?

श्री राज बहादुर: सत्य तो यह है कि ये लोग उन ही नियमों के अनुसार चलते हैं जो डाक तार के महासंचालक द्वारा बनाये गये हों।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, क्या सरकार इन अभिकर्त्ताओं को नियमित कर्मचारी–श्रेणी में लाना चाहती है ?

श्री राज बहादुर: इन अभिकर्त्ताओं को इसीलिये लिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में और भी अधिक मित व्ययिता के आधार पर अधिक अच्छी डाक सेवा हो सके। इन लोगों को खण्डकालीन आधार पर काम में लगाया गया है, और इस प्रकार की प्रकिया सभी देशों में प्रचलित है।

श्री नाना दास: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन अभिकर्ताओं के लिये कुछ न्यूनतम योग्यतायें निश्चित की गई हैं, उन की सेवा की शर्तें क्या हैं, तथा क्या उन्हें स्थानान्तरित भी किया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर: मैं नहीं समझता कि कुछ न्यूनतम योग्यतायें निश्चित की गई हैं। किन्तु देखने में आया है कि इस काम के लिये प्रायः स्कूल के अध्यापक, स्टेशन मास्टर, निवृत सरकारी पदाधिकारी, दुकानदार, आदि, आदि उपयोगी सिद्ध होते हैं, अतः हम उन्हें ही इस काम के लिये नियुक्त करते हैं।

खाद तथा कृषि संस्था का वैज्ञानिक प्रचार कार्यक्रम

*१७२६. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा कृषि संस्था का वैज्ञानिक प्रचार का कार्यक्रम क्या है तथा भारत को उस से किस प्रकार लाभ होता है।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): खाद्य तथा कृषि संस्था वैज्ञानिक शास्त्र (विद्या) के विनियम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का संयोजन करती है। यह संस्था शिल्प सम्बन्धी उन प्रकाशनों का प्रचार करती है जिन में खाद्य, कृषि, वन-क्षेत्र, मीन क्षेत्र, पोषण, वस्तु समस्या आदि के सम्बन्ध में तथ्य एवं आंकड़े तथा वैज्ञानिक सूचना छपा करती है। विज्ञान के प्रचार के लिये इस संस्था ने प्रादेशिक सूचना केन्द्र की स्थापना की है और दक्षिणी एशिया का प्रादेशिक केन्द्र नई दिल्ली में रखा गया है। यह केन्द्र दो मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, जिनमें से अंग्रेजी में छपने वाली मासिक पत्रिका का नाम 'मेमो' है, और हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम 'पत्रिका' है; और इनमें सदस्य देशों के रुचि की कृषि सम्बन्धी सूचना रहती है। इन सभी से भारत के विज्ञान सम्बन्धी तथा अनु-

सन्धान कार्य करने वालों को लाभ होता है।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा : श्रीमान् मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या खाद्य तथा कृषि संस्था की ओर से कुछ विज्ञान विशारद भारत में भी कार्य करते हैं, और यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मैं बतला चका हूं कि एक प्रादेशिक सूचना केन्द्र है किन्तु खाद्य तथा कृषि संस्था की ओर से वस्तुतः भारत में काम करने वाले विज्ञान विशारदों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये तो मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये।

श्री के० के० वसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन संस्थाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ अनुसन्धान करने वालों को ही प्राप्त होते हैं अथवा कृषकों को भी वे लाभ प्राप्त हो सकते हैं ?

श्री करमरकर : मेरे मित्र इस बात को भली भांति जानते होंगे कि पहले विशारद अनुसन्धान कर्त्ताओं द्वारा विशेष सूचना प्राप्त की जाती है और बाद में सम्बद्ध देशों द्वारा कृषकों में इस सूचना का प्रचार किया जाता है।

इम्फाल नगर

* १७२७. **श्री रिशांग किशिंग :** (क) क्या **राज्य** मंत्री दिनांक १० जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इम्फाल कस्बे का सही क्षेत्रफल कितना है तथा वहां की जनसंख्या कितनी है ?

(ख) इम्फाल नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले मनिपुरियों तथा गैर-मनिपुरियों की संख्या कितनी है ?

(ग) क्या नगरपालिका सीमाओं के बाहर तक जल प्रदाय (नल का पानी) को विस्तार दिया गया है ?

(घ) यदि हां तो उक्त क्षेत्रों के बाहर खड़े किये गये नलों की संख्या कितनी है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार इम्फाल कस्बे की जनसंख्या १,३२,९४७ है ; कस्बा कमेटी (नगरपालिका) के अधिकार क्षेत्र में इम्फाल कस्बे का आधा वर्ग मील किन्तु स्वयं इम्फाल नगर का नौ वर्ग मील क्षेत्र है।

(ख) अभी मनिपुरियों और गैर-मनिपुरियों की जनसंख्या के पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) १४६

श्री रिशांग किशिंग : इम्फाल में नल के जल प्रदाय की बहुत बड़ी मांग को दृष्टि में रखते हुए मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्र में जल प्रदाय के सुधार के लिये कोई योजना है ?

डा० काटजू : मैं इस सम्बन्ध में पूंछ ताछ करूंगा और यदि सुधार आवश्यक हो तो उसका सुझाव दूंगा।

श्री रिशांग किशिंग : माननीय गृह मंत्री ने मेरे प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर में बतलाया कि तांगमीबंद, चापोक, सैगोलबंद, कीशमपत और कीशमतांग को इम्फाल कस्बे से गगयअल

था। मेरे आज के प्रश्न के उत्तर में, उक्त लायकों को पहले के प्रश्न ६८२ के उत्तर से अलग करके वहां की जनसंख्या एक लाख से अधिक बताई जा रही है। हम इन दो उत्तरों का समन्वय किस प्रकार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह दलीलबाज़ी न करें।

श्री रिशांग किशिंग : परन्तु इन दो उत्तरों में विभिन्नता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय मंत्री से सदन के बाहर इसके सम्बन्ध में पूछ-ताछ करें।

श्री रिशांग किशिंग : मैं तो इतना जानना चाहता हूं कि उक्त दो उत्तरों में से ठीक उत्तर कौनसा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब मैं अलग प्रश्न उठाऊंगा।

अगरतला नगर

*१७२८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगीं :—

(क) क्या त्रिपुरा स्थित अगरतला कस्बा बर्षा ऋतु में बर्षा जल से ढक जाता है ;

(ख) क्या इस वर्षा ऋतु में इस से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं।

(ग) क्या भरी रहने वाली नालियों और परनालों पर विस्थापित व्यक्तियों के अस्त व्यस्त रूप से बस जाने के कारण जिससे पानी के निकल जाने की कोई भी गुन्जायश नहीं रहती, इस प्रकार की अवस्था पैदा हो जाती है ; और

(घ) क्या सभी नल-कूपों से गंदगी भरा पेय जल निकलता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी नहीं, अगरतला कस्बा बर्षा ऋतु में साधारणतया बर्षा जल के नीचे नहीं रहता।

(ख) बर्षा ऋतु में वहां के लोगों में सिवाय इस शिकायत के कि उनकी अंत-ड़ियों में वात विकार भर जाता है, किसी अन्य विशेष बीमारी का कोई असाधारण एवं घोर आक्रमण नहीं होता।

(ग) विस्थापित व्यापारियों ने सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें खड़ी कर दी हैं, और इसके परिणाम स्वरुप उन नालियों में से बहने वाला पानी कई जगहों पर रुक जाता है। यहां के स्थानीय प्रशासन ने इन रुकावटों को दूर करने का निश्चय तो किया है और उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही भी की जा रही है।

(घ) ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं कि सभी नल-कूपों का पानी रुकने के कारण गन्दा हो गया है। मुख्य आयुक्त से यह प्रार्थना भी की जा रही है कि वह इस मामले की छानबीन करायें।

श्री बीरेन दत्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन नल-कूपों का पानी जांच कराये जाने के लिये कलकत्ता भेजा गया है ?

रामकुमारी अमृत कौर : मेरे पास इसके सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं है किंतु मैं पता चलाऊंगी।

श्री नाना दास : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उक्त क्षेत्र में बर्ष भर में कौनसी बीमारियों का दौर रहता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं बतला चकी हूं कि बर्षा ऋतु में तथा मलेरिया

(ऋतु-ज्वर) के बाद अंतड़ियों के वात विकार की बीमारी फैला करती है।

अधिनिर्णायक पंचाट

*१७२९. **श्री गणपति राम :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे : (क) अधिनिर्णायक के निर्णय के सिलसिले में ३री श्रेणी की सेवाओं में कितनी जगह निकाली गई थीं और उनमें से कितनी एक की पूर्ती हुई थी ;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल-भारतीयों के लिये कितने पद रक्षित किये गये थे और किन किन दिनांकों के किन किन पत्रों में उन पदों को विज्ञापित किया गया था ;

(ग) उक्त पदों के लिये कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र भेजे थे;

(घ) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित संप्रदायों से चुने गये उम्मीदवारों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या चुने गये उम्मीदवारों की संख्या पद संख्या के रक्षित अभ्यंश से कम थी; तथा क्या गृह मंत्रालय के आदेशान्तर्गत यह अपेक्षित था कि संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं से यही बताया गया था कि वे उम्मीदवार पेश करें, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अधिनिर्णायक के निर्णय को कार्यान्वित किये जाने के सिलसिले में निकाले गये अतिरिक्त पदों की संख्या, जिन पर प्रत्यक्ष भर्ती की गई थी ७,३९२ थी।

(ख) उपरोक्त पदों में से, अनुसूचित जातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के लिये रक्षित पदों की संख्या क्रमशः ५६७ और ३८९ थी। अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद रक्षित नहीं किये गये थे। क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के लिये पृथक् से पद रक्षित किये जाने के आदेशों के जारी किये जाने से पहले ही भर्ती पूरी की जा चुकी थी।

उन समाचार पत्रों के नामों के सम्बन्ध में जिन में ये विज्ञापन छपे थे एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है और उसमें उन समाचार पत्रों के नाम तथा विज्ञापन छपने के दिनांक दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या २४]**

(ग) १५०० अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने तथा ९५ आंग्ल-भारतीयों ने प्रार्थना पत्र भेजे थे।

(घ) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से १४४ और आंग्ल-भारतीयों में से ८२ चुने गये थे।

(ङ) आयोग द्वारा जारी किये गये सभी विज्ञापन इन संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भेजे गये थे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार इन संस्थाओं के कार्य यहीं तक सीमित हैं कि वे उम्मीदवारों को परामर्श दें, परीक्षा आदि की बात उन के ध्यान में लायें, तथा किसी भी विशेष उम्मीदवार के व्यक्तिगत दावों को नहीं दबायें।

श्री गणपति राम : ३री श्रेणी के कर्मचारी-वर्ग की भर्ती के लिये जो नियम हैं, क्या उस से यही अपेक्षित है कि वरन् परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिये ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं बिना देखे बूझे बता नहीं सकता। हां इतना तो मैं जानता

है कि रेल सेवा आयोग द्वारा, जैसा भी उसका गठन है, भर्ती की जाती है ।

श्री गणपति राम : क्या यह तथ्य है कि अभी तक अनुसचित जातियों के किसी भी सदस्य को सचिव तथा कार्यालय अधीक्षक पदों पर नहीं चुना गया है और यदि हां तो क्यों नहीं ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं नहीं कह सकता कि इन १४४ व्यक्तियों को किन पदों पर चुना गया है । मैं केवल इतनी सूचना दे सकता हूं कि ३री श्रेणी की सेवाओं के लिये १४४ व्यक्ति चुने गये हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्यों ५६८ रक्षित पदों में से अभी तक १४४ पदों की ही पूर्ति की गई है, और अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित पद-अभ्यंश में पूर्ति करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं अभी बतला चुका हूं कि रेल सेवा आयोग द्वारा ही चुनाव किया जाता है । बम्बई स्थित रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बतलाया है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों के प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया गया था, किन्तु ऐसा पाया गया था कि वे उम्मीदवार साधारण ज्ञान, व्यक्तित्व, आदि में अपेक्षित स्तर से बहुत नीचे थे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार इस सम्बन्ध में सूचना देने की कृपा करेगी कि योग्यतापूर्ण व्यक्तियों ने भी इन पदों के लिये प्रार्थना पत्र भेजे थे किन्तु उनके प्रार्थना पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया गया, न तो उन्हें कोई जगहें दी गई थीं ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं तो एक बार बतला चुका हूं । इन पदों पर भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों के सदस्यों के प्रार्थना-पत्रों पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाता है ।

श्री पी० एन० राजभोज : सिलेक्शन बोर्ड (चुनाव पर्षद) के मेम्बर कौन हैं और उन म कोई शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) का है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह भर्ती तो रेलवे सर्विस कमीशन ने की है । कोई सिलेक्शन बोर्ड अलग नहीं है ।

श्री पी० एन० राजभोज : जो और जाति के हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट वालों को नहीं लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शन्ति । वह सदा ही प्रश्न पूछने के बाद दलील पेश करते हैं । उन्हें तो और तर्क करने के बदले सूचना प्राप्त करनी चाहिये ।

इंगलैंड की रेल इंजिन बनाने वाली कम्पनी

*१७३०. **श्री जी० एन० हजारिका :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) सन् १९४९ के करार के बाद से इंगलैंड की रेल इंजिन बनाने वाली कम्पनी से खरीदे गये इंजिनों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) उक्त करार के अन्तर्गत उक्त कम्पनी द्वारा चित्तरंजन परियोजना के अधीक्षण की अवधि कब समाप्त की जायेगी, अथवा क्या इस अवधि को विस्तार दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) रेल इंजिन बनाने वाली कम्पनी को कुल १८० इंजिन भेजने की प्रार्थना की गई है ।

(ख) दिसम्बर १९५४ म रेल इंजिन बनाने वाली इस कम्पनी के साथ किया गया टैकनीकल (प्रविधिक) सहायता

करार समाप्त हो जायेगा । इस करार की अवधि को बढ़ाने की इस समय कोई भी प्रस्थापना नहीं है ।

श्री जी० एस० भारती : करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह करार पांच वर्षों तक रहेगा । इस करार के अन्तर्गत उक्त कम्पनी चितरंजन वर्कशाप में काम कराने के लिये विशारद परामर्श के अतिरिक्त शिल्पी तथा अभीक्षण करने वाले कर्मचारी वर्ग दिया करेगी, जिन के स्थान पर कालान्तर में वे ही भारतीय शिल्पी लिये जायेंगे जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन के इंजिन बनाने के कारखानों में प्रशिक्षा दी जाती है । इन पांच वर्षों में हमें कम से कम २०० इंजिनों के लिये आदेश भेजना पड़ेगा ।

श्री जी० एस० भारती : क्या करार के अन्तर्गत उल्लिखित सभी इंजिनों का खरीदा जाना अनिवार्य है ?

श्री सतीश चन्द्र : करार के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम ४० इंजनों को मंगाना पड़ेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या बड़ी अथवा छोटी लाइन पर चलने वाले इंजिनों को आयात किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे विचार में दोनों प्रकार के इंजन आयात किये जाते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या समय से पहले ही करार समाप्त किया जा सकता है, और यदि हां तो क्या पदाधिकारियों ने इस करार को समय से पहले समाप्त करने के लिये प्रयत्न किये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : समय से पहले ही करार समाप्त किया जाना हमारे लिये लाभप्रद नहीं होगा । हमारे शिल्पियों को इंगलैंड में प्रशिक्षा मिल रही है, और हमारा यही उद्देश्य है कि १९५४ तक हम अपने देश में ही इंजिनों के सभी पुरजों को बना सकें ।

श्री के० के० बसु : करार में उल्लिखित १८० इंजनों में से आज तक कितने एक आयात किये गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : २७ इंजिन पहुंच चुके हैं, और हमारी दूसरी मांग के अनुसार इसी महीने और १०० इंजिन भेजे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

खदराला युवक शिविर, हिमाचल प्रदेश

*१७३१. **श्री बुच्चिकोटय्या** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थित खदराला युवक शिविर को दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकार की थी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री डा० (काटजू) : कुछ भी नहीं ।

श्री बूच्चिकोटैय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उक्त शिविर के संस्थापकों ने चन्दे के लिये कोई प्रार्थना की है ।

डा० काटजू : मुझे इस सम्बन्ध में कोई भी ज्ञान नहीं है ।

फल परिरक्षण

*१७३२. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्देशीय बाज़ारों में बेचने तथा निर्यात किये जाने के लिये विविध ऋतुओं में, देश के भिन्न भागों में उगाये जाने वाले भिन्न २ प्रकार के फलों के परिरक्षण की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : जी नहीं। निजी उद्यमों द्वारा किये जाने वाले फल परिरक्षण के अतिरिक्त सरकार द्वारा कोई अन्य परिरक्षण नहीं होता।

श्री अच्युतन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या हमारे देश में उगाये जाने वाले सभी फलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़े सरकार के पास हैं?

श्री करमरकर : इस प्रश्न पर मैं आप को अभी कुछ भी नहीं बता सकता।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात का सकता हूं कि क्या इन सार्थों को कोई सहायता दी जाती है?

श्री करमरकर : इन सार्थों को प्रत्येक संभव सहायता दी जाती है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार के समक्ष अपनी फल परिरक्षण फैक्टरियों को चलाने की कोई योजना है?

श्री करमरकर : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को इस बात का ध्यान है कि डिब्बों में बन्द किये जाने तथा परिरक्षित किये जाने की सुविधाओं के अभाव में सड़ने-गलने के कारण फलों की कितनी मात्रा रद्दी पड़ जाती है?

श्री करमरकर : पूर्वसूचना दीजिये।

श्री अच्युतन : भारत में फलों की कितनी मात्रा का आयात किया जाता है?

श्री करमरकर : पूर्वसूचना दीजिये।

भारत में ब्रह्मा का चिकित्सकीय शिष्टमंडल

*१७३३. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह तथ्य है कि ब्रह्मा का एक चिकित्सकीय शिष्टमंडल भारत में दौरा कर रहा ह, और ब्रह्मा संघ में सेवा करने के निमित्त चिकित्सा पदाधिकारियों की भर्ती कर रहा है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में भारत एवं ब्रह्मा सरकार के बीच कोई करार हुआ है; तथा

(ग) उस करार की शर्तें क्या हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :

(क) तथा (ख). जी हां।

(ग) उन भारतीय डाक्टरों को जो ब्रह्मा में नौकरी करना चाहते हैं, करार में पेश की गई शर्तों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २५**] भारत सरकार ने इस करार को स्वीकृत किया है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या भारत की बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिये ही ब्रह्मा सरकार को इस भर्ती की आज्ञा दी गई है?

राजकुमारी अमृत कौर : जी नहीं, श्रीमान्। ब्रह्मा सरकार ने इस बात की प्रार्थना की थी कि चूंकि वहां उनके यहां डाक्टरों की कमी है अतः वे इस बात का आभार मानेंगे यदि भारत सरकार अपने यहां के उन डाक्टरों को जो वहां सेवा करने के इच्छुक हों ब्रह्मा जाने की आज्ञा देगी। और हम ने उनकी यह बात मान ली।

डा० रामा राव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भारत में डाक्टरों की बहुत बड़ी संख्या बेकार बैठी है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न से ही समझा जा सकता है।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री ने बतलाया कि चूंकि ब्रह्मा में डाक्टरों की कमी थी अतः उन्होंने डाक्टरों की मांग की।

इस से हम यही समझ लें कि भारत में डाक्टरों की कमी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बी० एस० मर्ति : क्या यह तथ्य है कि ब्रह्मा सरकार को भारतीय डाक्टरों की आवश्यकता थी, और भारत सरकार उन को आभारी बना रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

पिछड़े वर्ग

*१७३४. **श्री अच्युतन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत का संविधान लागू होने के बाद से भारत के सभी राज्यों के पिछड़े वर्गों में आने वाले वर्गों, संप्रदायों तथा जातियों की सूची तैयार की गई है, और यदि हां तो उनकी कुल आबादी कितनी है;

(ख) पिछड़े वर्गों के निर्णय के लिये क्या स्तर रखा गया है;

(ग) त्रावनकोर-कोचीन में पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या कितनी है, तथा उन के अन्तर्गत कौन सी जातियां तथा संप्रदाय आते हैं और उन के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या उस राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची बनाने से पहले त्रावनकोर-कोचीन सरकार से परामर्श किया गया था, और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) , (ग) तथा (घ) । सभी पिछड़े वर्गों की कोई भी विशद सूची तैयार नहीं की गई है । सम्बद्ध राज्यों के राजप्रमुखों और राज्यपालों के साथ परामर्श करने के बाद, अनुच्छेद ३४१(१) और ३४२(२) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ही, जो पिछड़े वर्गों के दो महत्वपूर्ण खण्ड हैं, अधिसूचित किया गया है । १९५१ की जनगणना के सिलसिले में कई राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्गों की अस्थायी सूचियां तैयार की थीं । इस विषय में भारत के महापंजीयक द्वारा तैयार किये गये दिनांक ६ दिसम्बर, १९५० के ज्ञापन में इन सूचियों की स्थिति की पूरी व्याख्या की गई है । इस ज्ञापन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं । चूंकि १९५१ की जनगणना की सारणी अभी पूरी नहीं की गई है, अतः अभी जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जहां तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न है, बुनियादी मापदंड यही रहा है कि कोई भी सम्बद्ध जाति न केवल शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हो, अपितु अस्पृश्यता की रीति पर आधारित सामाजिक अयोग्यताओं के अनुसार अनुभवकरणीय भी हो । और जहां तक अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है, उन सभी आदिम जनजातियों को भी अनुसूची में रखा गया जो राज्य सरकारों द्वारा इस अनुसूची में रखे जाने के योग्य समझी गई थीं ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार उस नियुक्त किये जाने वाले आयोग से विभिन्न राज्यों में रहने वाली पिछड़ी जातियों की दशा के सम्बन्ध में पूछताछ करना चाहती है ?

डा० काटजू : वह तो एक निर्देश-पद होगा ।

श्री ब्रह्मो-चौधरी : आसाम में किन जातियों को पिछड़े वर्गों में रखा गया है, तथा उनकी कुल जनसंख्या कितनी है ।

डा० काटजू : मैं बिना देखे नहीं बता सकता।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या भारतीय ईसाइयों को भी पिछड़े वर्गों में सम्मिलित किया गया है ?

डा० काटजू : वह इस बात को बुरा मान लेंगे।

श्री वैलायुधन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पिछड़े वर्गों को भी शिक्षा, आदि के सम्बन्ध में सरकार की ओर से इसी प्रकार की रियायतें और सुविधायें मिल रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार उठ सकता है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मद्रास राज्य के पास पिछड़े वर्गों की एक सूची है। क्या केन्द्रीय सरकार भी उसी सूची को अपनायेगी ?

डा० काटजू : मैं यह सूची मंगा लूंगा और इस बात पर विचार करूंगा।

पीज-नदियाद रेल पथ

*१७३५. **श्री दाभी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी रेलवे में पीज-नदियाद रेल एक नई रेल बनाई जाने वाली है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्थापनात्मक हो तो क्या उक्त लाइन बड़ी, छोटी अथवा शाखा वाली लाइन होगी; इस को कब पूरा किया जायेगा तथा इस का अनुमानित व्यय कितना है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र (क) जी हां।

(ख) उक्त रेल छोटी लाइन की होगी। आशा की जाती है कि मार्च १९५३ में उक्त रेल लाइन यातायात के लिए खोली जायेगी। चलस्कन्ध व्यय सहित इसके निर्माण का परिव्यय १०,५६,६५५ रुपये है।

श्री दाभी : इस पर कितनी धन-राशि व्यय की जायेगी तथा इस वर्ष कितना काम किया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र: निर्माण कार्य चल रहा है और पश्चिमी रेलवे ने हमें यह सूचना दी है कि शायद १ मार्च १९५३ को यानी चालू वित्तीय वर्ष में ही उक्त लाइन का उद्घाटन होगा।

श्री दाभी : उक्त लाइन की लम्बाई कितनी है ?

श्री सतीश चन्द्र : ३ १/२ मील।

वासद-कठाना रेल पथ

*१७३६. **श्री दाभी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे;

(क) क्या यह तथ्य है कि उखाड़ी गई वासद-कठाना लाइन का निर्माण पुनः आरम्भ किया गया है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्थापनात्मक हो तो कब इस पुन-निर्माण कार्य के समाप्त किये जाने की संभावना है, तथा इसका अनुमानित परि-व्यय कितना है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) उत्तर हां में है।

(ख) आशा की जाती है कि उक्त लायन ३१ मार्च, १९५३ तक यातायात के लिए खोल दी जायेगी। अनुमान किया जाता है कि उक्त लाइन के

पुनर्निर्माण पर ४१.४ लाख रुपये का परिव्यय होगा ।

श्री दाभी : क्या इस लाइन पर पुराने अथवा नये इंजिनों एवं अन्य सामग्री का प्रयोग हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (भ्रष्टाचार)

***१७३७. श्री अजीत सिंह : क्या गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७ से केन्द्रीय सचिवालय के प्रत्येक मंत्रालय में भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन में से कितनों को नौकरी से निकाला गया है; तथा

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन के मामलों की अभी जांच हो रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

स्टीमर-यात्री समिति

***१७३९. श्री एम० डी० जोशी :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९४९-५० में भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्टीमर यात्री (कोङ्कण के) समिति की रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समिति की सिपारिशों की जांच की है तथा क्या उन में से किसी भी सिपारिश पर कार्यवाही की जा चुकी है; और

(ग) कब उक्त रिपोर्ट को लोकसूचना के लिए प्रकाशित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : जी हां। सरकार द्वारा, जुलाई १९४९ में कोङ्कण व्यापारों में डेक पर यात्रा करने की उचित दरों के सम्बन्ध में परामर्श देने के हेतु बनाई गई नौपरिवहन दर परामर्श दात्री मंडली ने मार्च १९५० में एक अन्तरिम और जून १९५१ में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) जी हां । कोङ्कण तट पर से यात्रियों को लाने ले जाने का काम करने वाली नौपरिवहन कम्पनियों ने १ अप्रैल, १९४९ से यात्रा भाड़े मे ५० प्रतिशत वृद्धि की थी । सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने के परिणामस्वरूप इन सम्बद्ध कम्पनियों ने मई १९५० से कोङ्कण तटीय तथा अन्तर्देशीय यात्रा भाड़े में ८ १/३ प्रतिशत ऐच्छिक कटौती की है । अपनी अन्तिम रिपोर्ट में उक्त मंडली ने इस बात की सिपारिश की थी कि ८ १/३ प्रतिशत की इस कटौती को दृष्टि में रखते हुए कोङ्कण अंतर्देशीय यात्रा भाड़े में और कटौती की जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किन्तु कोङ्कण तटीय यात्रा भाड़े में पहली अप्रैल, १९४९ से १२ १/२ प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। चूंकि डेक (ऊपर वाली मंजिल) यात्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में डेक यात्रियों की सुविधायें बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ सिपारिशें की थीं, और उन सुविधाओं से वाष्पयान कम्पनियों के व्यय में वृद्धि और कमाई में कमी हो जाती, और इसके

अतिरिक्त, इस बीच, चूंकि नौवहन के खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गये थे, अतः सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंच गई कि कोङ्कण तटीय यातायात में यात्रा के भाड़े में और अधिक कमी किया जाना उचित नहीं ।

(ग) उक्त पर्षद की रिपोर्टों का प्रकाशित किया जाना इसी लिए वांछनीय नहीं समझा गया क्योंकि उन में इन कम्पनियों की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित कई बातें गुप्त रूप से मंडली के समक्ष रखी गई थीं।

श्री एम० डी० जोशी : श्रीमान, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार रिपोर्टों के अनावश्यक भागों को काट कर उसके अन्य प्रकाशनीय भागों को प्रकाशित किया करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : केवल निष्कर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने भी तटकर मंडली रिपोर्टों के सम्बन्ध में इसी प्रकार किया है । व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सार्थों के लेखाओं की जांच इस समझौते पर की जाती है कि उन्हें बाद में प्रकाशित नहीं किया जायेगा । लोगों को इन मंडलियों के निष्कर्ष ही बताये जाते हैं ।

श्री एम० डी० जोशी : यह बतलाया गया था कि समिति ने भाड़ों में १२½ प्रति शत कटौती की सिफारिश की थी। क्या सरकार इस सिफारिश को कार्यान्वित करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री सतीश चन्द्र : पर्षद् ने उस प्रकार की सिफ़ारिश की थी ; किन्तु सरकार की यह धारणा रही कि इस कटोती से प्रत्येक यात्री के भाड़े में कुछ एक आनों-पैसों की कमी हो जायगी । इसीलिये वे इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि यात्रियों को अधिक अच्छी सुविधायें मिलें, भीड़-भड़क्के से बचने के लिये किसी भी व्यापारिक पोत पर पहले से कम यात्री बिठाये जायें ताकि यात्रियों की असुविधायें कम हो जायें, डेक यात्री समिति की सिफारशों के अनुसार सरकार ने उच्चतर स्तर निर्धारित किये हैं ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या सरकार ने इस बात का अनुरोध किया है कि यात्रियों को वे सुविधायें दी जायें ?

श्री सतीश चन्द्र : हां श्रीमान् ; इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : किन अतिरिक्त सुविधाओं के दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं बिना देखे नहीं बता सकता किन्तु सरकार ने इस मामले में सविस्तार अनुदेश दिये हैं ।

अमरीकी उद्गम की घास

*१७४०. **जनाब अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अमरीकी उद्गम की इस प्रकार की कोई घास, जो मक्खियों और मच्छरों को भगाने के अतिरिक्त पशुओं के चारे के काम आती है, आसाम राज्य के कृषि-विभाग द्वारा आसाम में काम में लाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक उस में सफलता मिली है ;

(ग) इसका नाम क्या है ; तथा

(घ) क्या अन्य राज्यों में भी इस पर प्रयोग किये जाने वाले हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). भारतीय

कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा भारत में प्रयोग में लाई गई अमरीकी उद्गम की घास सम्बन्ध में यह पता चला है कि भारत के अनेक भागों में विशेषतया आसाम में, इसकी अच्छी खेती हो सकती है। भिन्न २ केन्द्रों में किये गये प्रयोगों से यही सिद्ध हुआ कि यह घास चारे के रूप में बहुत ही उपयोगी है। यों तो इसमें कीड़े भगाने की विशेषता नहीं है, जैसा कि इस के सम्बन्ध में बतलाया जाता था।

(ग) इसे बोलचाल में वेनरयूला घास कहा जाता है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में अपने प्रयोग समाप्त किये हैं और उनके निष्कर्षों को प्रकाशित भी किया है; और अब इस घास की खेती कराना तो राज्य सरकारों के हाथ में है, और उनकी इच्छा पर निर्भर है।

जनाब अमजद अली : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आसाम सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

श्री करमरकर : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं।

श्री के० के० वसु : क्या सरकार ने इस बात का पूरा प्रयोग किया है कि इस घास से कोई बुरा प्रभाव भी पड़ा है ?

श्री करमरकर : सरकार ने इस बात की भी जांच की है किन्तु इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: कितनी प्रकार की घास पर प्रयोग किया गया है तथा उन में से कितने प्रयोग असफल रहे हैं ?

श्री करमरकर : मुझे इस बात का बिश्वास है कि इस प्रकार की घास पर ही प्रयोग किया गया है ; अन्य प्रकार की घास के सम्बन्ध में मैं देख-बूझ कर बता दूंगा।

गारो पहाड़ियों से आसाम रेलवे सिस्टम तक रेल कड़ी

*१७४१. **जनाब अमजद अली :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १४ अप्रैल १९५२ को गारो पहाड़ियों के कोयला खेतों से आसाम रेलवे सिस्टम तक एक रेल लाइन बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में तूरा (गारो पहाड़ियां) में आयोजित गारो पहाड़ी ज़िला परिषद् के उद्घाटन पर मुख्य मंत्री श्री बी० मेधी के भाषण की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या आसाम सरकार ने भारत सरकार के पास इस बात का प्रतिनिधान भेजा है कि गारो पहाड़ियों के कोयला खेतों को रेल से मिलाने के लिय वहां पर रेल-लाइन बनाई जाये ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने अपनी ७ मार्च १९५२ की बैठक में इस परियोजना पर विचार किया था, और यह निश्चय किया था कि अगली बैठक तक इस पर अग्रेतर विचार स्थगित किया जाना चाहिये।

जनाब अमजद अली : क्या गारो पहाड़ी ज़िले में स्वायत्त ज़िला परिषद् आयोजित करने के समय आसाम के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये उद्घाटन भाषण

की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु आसाम सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास प्रतिनिधान भेजा है। हमने वह भाषण सुना नहीं है, न तो पढ़ा है।

जनाब अमजद अली : उस भाषण की एक प्रति मंत्रालय के पास पहुंचाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कुछ सूचना चाहते हैं ?

जनाब अमजद अली : मंत्रालय को उस भाषण की एक प्रति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उन्होंने बतलाया कि आसाम सरकार ने एक प्रतिनिधान भजा है। उनका ध्यान उस भाषण की ओर आकर्षित नहीं किया है ; शायद उन्होंने उस की एक प्रति भेजी हो।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन जांच समिति की रिपोर्ट

*१७४२. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के कार्य की जांच करने वाले समिति की रिपोर्ट पर संसद् में चर्चा की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : वह रिपोर्ट छप रही है और शीघ्र ही सभी संसद् सदस्यों में वितरित की जायेगी। इस के साथ ही, सरकार भी इस रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस सदन में भी उस रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या हमें इस बात का पता चलेगा कि उक्त रिपोर्ट पर कब चर्चा की जायेगी ?

श्री करमरकर : लगभग चार या पांच दिनों में रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी। चर्चा के समय के सम्बन्ध में सदन तथा अन्य सम्बद्ध दल ही निश्चय कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार इस मामले में अपना उत्तरदायित्व समझती है कि लोकमत के अनुसार चूंकि यह आन्दोलन अपव्ययी तथा असफल रहा है अत:.....

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना मत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं।

भूमि अधिरक्षण प्रदर्शन

*१७४३. **श्री मादिया गौंडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भूमि अधिरक्षण प्रदर्शन के लिए कहां कहां केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की प्रणाली से काम लिया जाता है ; तथा

(ग) इस मामले में आज तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भूमि अधिरक्षण कार्य तो राज्य का काम है और निम्नांकित स्थानों पर इसके केन्द्र बनाए गए हैं :—

(१) शोलापुर (बम्बई)।

(२) विश्वभारती, शान्तिनिकेतन (पश्चिमी बंगाल)।

(३) हज़ारीबाग (बिहार)

(४) नंजनाद।

(५) शुष्क पशुपालन अनुसंधान स्टेशन हागरी, मद्रास ।

(६) पैंसू स्थित शिवालिक पहाड़ियां ।

(ख) साधारणतया भूमि अधिरक्षण के लिए फसल उगाने में अनुवर्तन, भूमि खण्डों में फसलें उगाना, धरातल की ऊंचाई-नीचाई करना, कटिबन्ध बांधना, नियंत्रित चराहचराई, चरागाहों में सुधार, वन लगाना, कटिबन्धों में काश्त, उचित प्रकार की घास उगाना और उचित प्रणाली से खाद पहुंचाना आदि तरीके हैं ।

(ग) कृषि के इस पहलू में प्रायः दीर्घकालीन तरीके लिए जाते हैं, और चूंकि भूमि अधिरक्षण की प्रक्रिया भारत में अभी हाल में ही आरम्भ की गई है, अतः सफलता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । हां यों तो यह रिपोर्ट दी जाती है कि आज तक आशाजनक सफलता मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली यातायात प्राधिकार

*१७२१. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली यातायात प्राधिकार का प्रारम्भ से आज तक का वार्षिक लाभ अथवा हानि का लेखा क्या है ;

(ख) इन वर्षों में इसने अपने काम पर कितना व्यय किया है;

(ग) इस का पूंजीगत धन-विनियोग कितना है ; और

(घ) इसने सरकार से कितना ऋण लिया है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चंद्र). (क) से (घ). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २६**]

कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज

*१७२५. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता टेलीफोन कर्मचारी संघ ने इस बात के कई एक आरोप लगाये हैं कि जब से सरकार ने बंगाल टेलीफोन निगम से टेलीफोन का सारा कार्यभार संभाला है तब से कर्मचारियों की सेवा शर्तें बहुत अधिक बिगड़ चुकी हैं ;

(ख) यदि हां तो उन के ये आरोप कहां तक सत्य अथवा असत्य पाए गए हैं ; और

(ग) जब से सरकारी व्यवस्था आरम्भ हुई तब से नौकरी की शर्तों में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सन् १९४९ में डाक तार कर्मिक संघ की कलकत्ता टेलीफोन शाखा ने महाप्रबन्धक को एक पत्र लिखा था जिसमें कई एक बातों का उल्लेख किया गया था और उसमें कर्मचारी वर्ग के विभागीयकरण

के सम्बन्ध में कुछ एक बातें आई थीं। चूंकि उनकी शिकायतें निश्चित नहीं थीं अतः उक्त संघ से कहा गया कि वह तत्काल उन शिकायतों के ठोस दृष्टान्त बताये किन्तु अभी तक महाप्रबन्धक के पास कोई भी उत्तर नहीं पहुंचा है। टेलीफोन के महाप्रबन्धक अथवा महानिर्देशक के पास अभी और कोई प्रतिनिधान नहीं पहुंचा है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भूतपूर्व कम्पनी के कर्मचारियों को इस परिवर्तन के समय से ही इस बात का आश्वासन दिलाया गया कि उनकी सेवा की शर्तों तथा भविष्य में उन्नति करने के साधनों में उनके पहले प्रशासन की अपेक्षा किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं है और पहली अप्रैल १९४६ से उन्हें केन्द्रीय सरकार की शर्तों आदि के अनुसार ही काम में लगाया गया, उन्हें यह भी बताया गया कि वे किसी भी बात में पहले के प्रशाशन की जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं रखे जायेंगे।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

*१७४४. **श्री मादिया गौडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे (क) अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् के अन्तर्गत कौन सी स्थानीय संस्थायें काम कर रहीं हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक केन्द्र को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् की शाखायें और उपशाखायें देश भर में विविध केन्द्रों में स्थित तो हैं किन्तु वे सभी पृथक् पृथक् स्थानीय संस्थायें नहीं हैं। उक्त परिषद् को भारत सरकार से एक अनुदान मिलता है, जिसमें से वह विविध शाखाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उस धनराशि का बटवारा कर देती है। एक विवरण जिसमें सन् १९५०-५१ से १९५२-५३ तक के इन सभी शाखाओं की संख्या तथा उनके स्थान आदि दिये गये हैं सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७**]

रेल भाड़े

*१७४५. **श्री एम० स्लामुद्दीन** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सभी रेलों पर रेल-भाड़े की दरें एक सी हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो कहां किस प्रकार और क्यों इन दरों में अन्तर है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). कुछ एक खण्डों को छोड़कर सभी रेलों पर रेल भाड़े की दरें एक सी हैं, और निर्माण संभरण तथा कार्य के ऊंचे परिव्यय आदि के विशेष कारणों से उन कुछ एक खण्डों में रेल भाड़े अधिक हैं। एक विवरण जिसमें इन सभी खण्डों और रेल भाड़े की दरों के मापदण्ड दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २८**]

तम्बाकू

*१७४६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक तम्बाकू उगाने वाले राज्य में कितनी भूमि (एकड़ों में) में तम्बाकू की काश्त हुई है ;

(ख) इन ही वर्षों में भारत में खपाये गये तम्बाकू की मात्रा तथा उसका मूल्य क्या है ; तथा

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष तम्बाक की कितनी मात्रा विदेशों को निर्यात की गई तथा उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ग). दो विवरण जिन में अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २९**]

(ख) सन् १९४८–४९, १९४९–५०, १९५०–५१ वर्षों में घरेलू उपभोग के लिये साफ की गई तम्बाकू-पत्ती की मात्रा क्रमशः १६०, २०८ और २१९ टन थी। प्रयुक्त हुए तम्बाकू के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

टाटानगर स्थित भूतपूर्व बी० एन० रेल कर्मचारी

*१७४७. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टाटानगर स्थित भूतपूर्व बी० एन० रेल कर्मचारियों की ओर से इस बात का प्रतिनिधान मिला है कि वहां के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाय, और यदि हां तो उनके उस प्रतिनिधान पर क्या कार्यवाही की गई है ; तथा

(ख) क्या इस क्षेत्र में बढ़ी हुई जन-संख्या के अनुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित नियमों का पूरा पूरा पालन होता है ; यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं में है। अतः प्रश्न के दूसरे भाग (ख) में पूछी गई बात नहीं उठती।

(ख) जी हां। यह बतलाया जाये कि जमशीदपुर (टाटानगर स्थित) की जन-संख्या में इतनी वृद्धि नहीं हुई है कि वहां के कर्मचारियों को अधिक मकान किराया भत्ता दिया जा सके।

बिक्री के ठेके

*१७४८. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार उत्तरीय तथा अन्य रेल संस्थाओं में अनुज्ञप्ति प्रणाली के अनुसार बिक्री के ठेके देने के बदले टेंडर प्रणाली से बिक्री के ठेक देने को बात पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली को कब लागू किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फीरोजाबाद रेलवे स्टेशन

*१७४९. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तरी रेल लायन पर फ़ीरोज़ाबाद नाम के महत्व-पूर्ण स्टेशन पर बिजली नहीं लगी है जब कि स्वयं फ़ीरोज़ाबाद कस्बे में बिजली है ;

(ख) क्या सरकार इस स्टेशन पर बिजली पहुंचाने की बात पर विचार कर रही है; तथा

(ग) यदि हां तो कब ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) . जी हां।

(घ) यह प्रस्थापना है कि सन् १९५३-५४ में इस स्टेशन पर बिजली पहुंचाई जायेगी।

वायु-सेवायें

*१७५०. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री भारत में उन स्थानों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो दिल्ली से वायु-सेवा द्वारा सम्बन्धित हैं ; और क्या कुछ स्थानों के लिये वायु-सेवा बन्द कर दी गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : इस समय दिल्ली और अमृतसर, बगडोगरा, बनारस, बम्बई, कलकत्ता, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पटना तथा श्रीनगर, के बीच सीधी वायु-सेवा चल रही ह। इनमें से किसी भी स्थान की वायु-सेवा बन्द नहीं की गई है ।

कृषि सम्बन्धी प्रचार

*१७५१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अगस्त, १९५२ में कृषि सम्बन्धी प्रचार के हेतु एक सम्मेलन बुलाये जाने वाला है ;

(ख) इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है ; तथा

(ग) इस सम्मेलन पर सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुमानित व्यय कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषिसम्बन्धी सूचना के प्रसार के लिये एक सम्मेलन आयोजित कर रही है। अभी इस सम्मलन का समय तथा स्थान निश्चित नहीं हुए हैं।

(ख) इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि उन साधनों और उपायों की जांच की जाय जिन से कृषकों में वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा कृषिसम्बन्धी सूचना के निष्कर्षों का प्रसार हो और उनकी आवश्यकताओं को भी जाना जाये, तथा देश भर में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उचित उपकरण स्थापित करने की प्रस्थापना तैयार की जाय।

(ग) इस सम्मेलन की योजना पर सरकार को कोई भी व्यय नहीं करना पड़ेगा।

आसाम की उत्तरी ट्रंक सड़क

*१७५२. **श्री बेली राम दास** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि आसाम की उत्तरी ट्रंक सड़क, जो आसाम को पश्चिमी बंगाल स्थित जलपाईगुडी तथा कूच-बिहार के रास्ते भारत के शेष भाग से मिलाती है, सभी ऋतुओं में काम में नहीं आ सकती है ; तथा

(ख) क्या सरकार इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लेना चाहती है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

ख़राब खाद्यान्न

*१७५३. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार के गोदामों में इकट्ठे

किये गये चावल तथा गेहूं की जो अब मनुष्यों के खाने के काम नहीं आ सकते कुल कितनी मात्रा है, और उसका कितना मूल्य है ; तथा

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा उक्त हानि के उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क)

	चावल				मूल्य		
	टन	हंडरवेट	क्वाटर	पौण्ड	रु०	आने	पाई
१९५०-५१ ..	०	०	३	८	२४	१२	०
१९५१-५२ ..	१	११	०	१९	९९५	६	०

	गेहूं				मूल्य		
	टन	हंडरवेट	क्वाटर	पौण्ड	रु०	आने	पाई
१९५०-५१ ..	०	६	३	१६	१४१	०	०
१९५१-५२ ..	२	१८	१	८	१,४५९	०	०

(ख) इकट्ठी की गई मात्राओं को दृष्टि में रखते हुये खराब हुई मात्रायें नगण्य हैं ; अतः किसी पदाधिकारी के निरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद भेजे गये पदाधिकारी

*१४९२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन घोषित पदाधिकारियों की वर्तमान संख्या जिन्हें पुलिस कार्यवाही के बाद हैदराबाद भेजा गया था ; तथा

(ख) क्या हैदराबाद में उन की सेवा अवधि निश्चित है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) दो।

(ख) १६ नवम्बर, १९५३ तक एक पदाधिकारी की सेवायें दी गई हैं ; और दूसरे पदाधिकारी की सेवा-अवधि १० जुलाई, १९५२ को समाप्त हो जाती है किन्तु हैदराबाद सरकार ने यह प्रार्थना की है कि उन की सेवा-अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाय।

त्रिपुरा के राज्य कर्मचारी

३९९. **श्री बिरेन दत्त** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा राज्य प्रशासन के किन विभागों का पुनर्संस्थापन तथा नया वेतनश्रेणीकरण हुआ है ;

(ख) अभी किन विभागों का पुन संस्थापन होना शेष है ; और

(ग) पुनरीक्षित वेतन श्रेणी के अनुसार वेतन नहीं पाने वाले कर्मचारियों को किस प्रकार की अन्तर्कालीन सहायता देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : निम्नांकित विभागों के सम्बन्ध

में सेवा पुन संस्थापन तथा पद-वेतन श्रेणी का पुनरीक्षण स्वीकृत किया जा चुका है :—

(१) पुलिस ।

(२) नागरिक प्रदाय ।

(३) सहकारी संस्थायें ।

(४) न्यायपालिका विभाग ।

(५) पंजीयन विभाग ।

(ख) इन विभागों के सम्बन्ध में उक्त प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं :—

(१) सचिवालय ।

(२) आबकारी विभाग ।

(३) वन विभाग ।

(४) जेल विभाग ।

(५) शिक्षा विभाग ।

(६) चिकित्सकीय तथा लोक स्वास्थ्य विभाग ।

(७) कृषि ।

(८) सरकारी प्रेस ।

(९) उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम विभाग ।

(१०) निर्माण तथा भवन विभाग ।

(ग) किसी भी प्रकार की अन्तर्कालीन सहायता नहीं दी जायेगी ।

बंगाल नगरपालिका अधिनियय

*४००. **बीरेन दत्त** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बंगाल नगरपालिका अधिनियम को अगरतला नगरपालिका पर लागू करने की कोई प्रस्थापना है ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). मुख्यायुक्त स्थानीय नगरपालिका के साथ इस बात का परामर्श कर रहे हैं कि क्या बंगाल नगरपालिका अधिनियम को त्रिपुरा पर भी लागु किया जा सकता है ।

पोत

४०१. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय कम्पनियों के स्वामित्व के सामान ले जाने वाले पोतों तथा यात्री पोतों की संख्या कितनी है और कब से उनका समुद्र अवतरण हुआ है ;

(ख) प्रत्येक पोत की लागत तथा स्वामियों के नाम क्या हैं ;

(ग) ये किन २ मार्गों पर चलते हैं ; तथा

(घ) अभारतीयों के खण्डश: अथवा अखण्डश: स्वामित्व के सामान ले जाने वाले तथा यात्री पोतों के नाम तथा समुद्र-यात्रा के दिनांक क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **दखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(घ) खेद है कि अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मकई और मिलो (उत्पादन)

४०२. **श्री गनपति राम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् ११५०-५१ तथा १९५१-५२ में विविध राज्यों में कुल कितने क्षेत्र में मिलो की काश्त हुई थी; तथा

(ख) सन् १९५१-५२ में विभिन्न राज्यों में मकई का कुल कितना उत्पादन हुआ और विगत तीन वर्षों के मुकाबले में वर्षवार उत्पादन में कमी या वृद्धि होने की प्रतिशतता क्या है?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) दो विवरण जिन में ज्वार और मकई के सम्बन्ध में सूचना दी गई है सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१**] भारत में मिलो का उत्पादन नहीं होता और इसका निकटतम पर्याय यानी इसके बदले में प्रयुक्त होने वाला खाद्यान्न ज्वार ही है।

दालें

४०३. **श्री गणपति राम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ में विशेषतया उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र में दालों की काश्त हुई है;

(ख) क्या १९५२-५३ में उत्तर प्रदेश में दालों का अधिक उत्पादन हुआ है;

(ग) यदि हां तो चालू वर्ष में घाटे वाले क्षेत्रों को अब तक कितनी दालें भेजी गई हैं;

(घ) कितने क्षेत्र में सोयाबीन की काश्त होती है तथा क्या विविध राज्यों के कई भागों में सोयाबीन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ङ) यदि हां तो सन् १९५२-५३ में भारत में कुल कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ है?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी सन् १९५१-५२ के अन्तिम आंक उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उन में 'अन्य खरीफ़ दालों' जिन में उड़द, मूंग, मोठ, कुल्थी आदि सम्मिलित हैं, के आंकड़े उपलब्ध हुये हैं। एक विवरण जिस में इन दालों के अंतिम आंक तथा अन्य दालों से सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध आंक दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है।

अभी सन् १९५२-५३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस समय खरीफ दालों को बोया जा रहा है और अभी कुछ महीने बाद रबी दालों की काश्त प्रारम्भ की जायेगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस बात की पूरी तथा विश्वासनीय सूचना उपलब्ध नहीं है कि भारत में कितने क्षेत्र में सोयाबीन की काश्त की जाती है। एक विवरण जिस में राज्यवार उपलब्ध सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है।

सन् १९५० में पंजाब में सोयाबीन फ़सल की काश्त पर अनुसंधान होने के परिणामस्वरूप, पंजाब सरकार से कहा गया कि वह कांगड़ा घाटी में कई एक प्रकार के बीजों को बढ़ाने की व्यवस्था करे तथा कृषकों में उन बीजों का वितरण करने में सहायता दे। १९५० में बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था में छः प्रकार के सोयाबीन के बीजों की जीव रासायनिक जांच की गई थी, और राज्य सरकारों को उनके निष्कर्ष भेजे गये थे। इस समय पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर में सोयाबीन पर और भी प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ङ) सन् १९५२-५३ में किये गये उत्पादन के प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण १

१९५१-५२ में दालों की काश्त वाला क्षेत्र

'००० एकड़

	चना दूसरा अनुमान	तूर दूसरा अनुमान
भारत भर में	१६,९२८	५,३८४
उत्तर प्रदेश में	६,२१२	१,६१०

,००० एकड़

	अन्य खरीफ दालें अंतिम अनुमान	अन्य रबी की दालें पहला अनुमान
भारत भर में	११,११५	३,७५०
उत्तर प्रदेश में	६३३	कोई सूचना नहीं (एन० आई०)

कोई सूचना नहीं (एन० आई०)—'अन्य रबी फसलों' के प्रथम अनुमान के समय उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः उन्हें भारत भर से सम्बन्धित उक्त फसलों के कुल जोड़ में सम्मिलित नहीं किया गया है। अंतिम अनुमान के समय ही वे आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं।

विवरण २

सोया बीन की काश्त वाले क्षेत्र के उपलब्ध आंकड़े १९४९-५०

राज्य क्षेत्र	क्षेत्र (एकड़)
आसाम	४००
मध्य प्रदेश	१५२
उड़ीसा	१,२३९
उत्तर प्रदेश	१५६
जम्मू व काश्मीर	९९४
भोपाल	८
कुर्ग	१
अन्य राज्य	एन० ए०(कोई सूचना नहीं

एन० ए०—उपलब्ध नहीं

बिहार के लिए रेल लाइनें

४०४. **श्री एल० एन० मिश्र:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) बिहार में रेल लायनों के पुनः बिछान तथा निर्माण करने के लिये विगत पांच वर्षों में बिहार सरकार ने भारत सरकार के समक्ष क्या प्रस्थापनायें रखी; और

(ख) इन में से प्रत्यंक प्रस्थापना पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करना चाहती है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने विगत पांच वर्षों में बिहार में रेल लाइनों के प्रत्यर्पण तथा निर्माण के लिये जो प्रस्ताव रखे, और उन में से प्रत्येक पर जो कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है, उन को सविस्तार दिया जाता है :

	की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही
पुनः बिछाना	
(१) टिनपहाड़—राजमहल	३०-१२-५१ को यातायात के लिये उक्त लाइन खोली जा चुकी है।
(२) भागलपुर—मंदार पहाड़ी।	प्रत्यर्पण का कार्य चल रहा है और आशा की जाती है कि १९५३-५४ में समाप्त हो जायेगा।

	की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही
	पुनः बिछाना—जारी
(३) परसरमा–सुपौल ।	११–५–१९५१ को यह ब्रांच लाइन यातायात के लिये खोली गई।
	नई लाइनों का निर्माण
(१) बरवाडीह-तोरी-बीरमित्रपुर	बिहार सरकार को इस विषय में निर्देश किया जा चुका है ।
(२) पुरूलिया-लोहरदगा रेल का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन ।	केन्द्रीय यातायात पर्षद् के निश्चय के अनुसार मूरी-रांची खण्ड के इस परिवर्तन को पृथक् परियोजना के रूप में जांचा जा रहा है ।
(३) गया-रांची	केन्द्रीय यातायात पर्षद् के निश्चय के अनुसार परियोजना बन्द कर दी गई है ।
(४) हाजीपुर-शेबगंज-गोबिन्द गंज-आरेतज-सगौली ।	एवम्
(५) हजारी बाग-रामपुर हाट ।	एवम्
(६) सीतामढ़ी-सोनबरसा ।	आवश्यक परिमाप किये गये हैं। किन्तु अभी रिपोर्टें नहीं मिली हैं । परिमाप की रिपोर्ट मिलने के बाद ही उक्त परियोजना का पुनर्विलोकन होगा ।
(७) चकिया-अलवालिया सिधवालिया ।	उक्त परियोजना में गंडक नदी को पार करने की बात भी सम्मिलित है, और इस विषय में तभी विचार किया जायेगा जब इस नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय किया जायेगा ।
(८) माधेपुरा-सिंहेश्वर-अस्थान-राघोपोर-फारबेसगंज-बीरपुर	केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने यह निश्चय किया है कि कोसी बहु उद्देश्य योजना की प्रथम अवस्था की स्वीकृति के पश्चात् ही उक्त परियोजना का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये ।
(९) मुरलीगंज-दौरम माधेपुरा	१९५२-५३ के आयव्ययक में १० लाख रुपये का उपबन्ध रखा गया है, और आशा की जाती है कि १९५३-५४ में यह कार्य पूरा किया जायेगा ।

अनुसूचित क्षेत्र

४०६. **श्री संगण्णा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक भाग 'क' में के राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में बनाये गये तथा खोदे गये तालाबों और कुओं की संख्या क्रमशः कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों में इन निर्माण कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई; तथा

(ग) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इन निर्माण कार्यों में लगाया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). इस समय सूचना उपलब्ध नहीं । सम्बद्ध राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

कैश सर्टिफिकेट

*४०७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभाजन से पहले भारतीयों द्वारा खरीदे गये उन कैश सर्टिफ़िकेटों के सम्बन्ध में, जो दंगों में खो गये, कोई दावे रजिस्टर किये जा चुके थे;

(ख) यदि हां, तो उन सर्टिफिकेटों की संख्या तथा उन के मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के दावेदारों को उन के बदले में धन लौटाने के लिये भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई निर्णय अथवा करार किया जा चुका है; तथा

(घ) क्या भारत सरकार ने उन मुसलमानों के, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गये और कैश सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सके, कुछ दावों का भुगतान किया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां ।

(ख) (१) पंजीबद्ध दावों की संख्या —५,७५५ ।

(२) उक्त दावों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि का मूल्य --२३,३७,०२५ रुपये ।

(ग) जी हां । अगस्त, १९४७ में विभाजन परिषद् ने यह निश्चय किया था कि दोनों राज्यों—पाकिस्तान तथा भारत--के लोगों को ३१ मार्च १९४८ तक बचत बैंक लेखा तथा कैश सर्टिफिकेटों के स्थानान्तरण की सुविधा दी जानी चाहिये । गड़बड़ तथा जन निष्क्रमण के कारण ३१ मार्च, १९४८ तक ये स्थानान्तरण नहीं किये जा सके, अतः अप्रैल, १९४९ में यह निश्चय किया गया कि डाकघर के कैश सर्टिफिकेटों को इस शर्त पर एक देश से दूसरे देश में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये कि तदर्थ स्थानान्तरण के आवेदन पत्र स्थानान्तरित किये जाने वाले देश के किसी भी डाकघर में ३० जून, १९४९ को या उस से पहले पंजीबद्ध किये गये हों । जहां तक मरे हुए विनियोक्ताओं का प्रश्न है इन दोनों देशों में दावों के पंजीयन के लिए ३० मार्च, १९५० को अन्तिम दिनांक माना गया ।

(घ) जी हां, भारत से पाकिस्तान को स्थानान्तरित किये गये इस प्रकार के दावों की संख्या ९० है, और इन दावों का कुल मूल्य १,२१,१५३ रुपये हे ।

जम्मू व काश्मीर राज्य के विस्थापित भूस्वामियों को भूमि

४०८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जम्मू व काश्मीर राज्य के उन विस्थापित भूस्वामियों को, जिन्हें उन क्षेत्रों के अतिरिक्त, जो इस समय आक्रांताओं के अधिकार में हैं, यहां भारत में सहायता कैम्पों

से बाहर अनेक जगहों में रहना पड़ा है, कुछ जमीन दी गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो उन्हें कौन सा क्षेत्र मिला है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख) : कश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को भूमि दिए जाने का दायित्व तो सर्वप्रथम जम्मू व काश्मीर राज्य पर है जिन्होंने उनके दावों को पंजीबद्ध किया है और उस पंजीयन में शिविरों के बाहर रहने वाले लोग भी सम्मिलित हैं—और उनका विचार है कि इन विस्थापित व्यक्तियों को राज्य के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि में ही फिर से बसाया जाये। अन्य राज्यों में भी कुछ व्यक्तियों को भूमि दी गई है, किन्तु इस प्रकार की बांट से सम्बद्ध सविस्तर सूचना इस समय उपलब्ध नहीं ह।

रेल के डब्बे

४०९. **श्री अच्युतन** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ और १९५२ में दक्षिण रेलों में जोड़े गये तीसरी श्रेणी के उन नय डब्बों की जिन में सभी आधुनिक सुविधायें मौजूद हैं संख्या कितनी है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में सभी भारतीय रेलों में इस प्रकार के जोड़े गये डब्बों की कुल संख्या कितनी है ; तथा

(ग) एर्नाक्यूलम–शारमूर लाइन पर सन् १९५१ और १९५२ में इस प्रकार के कतने डब्बे जोड़े गये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सन् १९५१ में ५५ और आज तक १९५२ में २६।

(ख) सन् १९५१ में ४५१ और आज तक १९५२ में ११४।

(ग) सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रखी जाएगी।

रेल के डब्बे

४१०. **श्री अजीत सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभाजन से पूर्व भारतीय रेल संस्था के पास कितने डब्बे थे ;

(ख) विभाजन के बाद भारत के पास कितने डब्बे रहे ;

(ग) विभाजन के बाद से आज तक भारतीय कारखानों में कितने डब्बे बनाथे गये ; तथा

(घ) इसी अवधि में आयात किये गये रेल डब्बों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इस बात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि भारतीय रेल संस्था के पास विभाजन से पूर्व कितने रेल डब्बे थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार विभाजन से पूर्व के सर्वप्रथम दिनांक ३१ मार्च, १९४७ को भारत के पास कुल २४९१५ डब्बे थे।

(ख) २१ मार्च १९४८ को २०,३८० डब्बे थे।

(ग) ३१-३-५२ तक ही सूचना उपलब्ध है। वह इस प्रकार है कि रेल कारखानों में बनाये गये डब्बों की संख्या १,५३२ थी और अन्य भारतीय कारखानों में ३६४ डब्बे बनाये गये थे।

(घ) विभाजन के बाद से ३१-३-१९५२ तक ९८ डब्बे आयात किये गये हैं।

मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन

४११. **श्री के० जी० देशमुख :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में मध्य प्रदेश में चावलों की कितनी मात्रा उत्पादित हुई ;

(ख) उक्त राज्य में प्रति वर्ष चावलों की कुल कितनी मांग हैं ; और

(ग) सन् १९५१-५२ में उक्त राज्य से कितने चावल निर्यात किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) नवीनतम प्राक्कलन के अनुसार सन् १९५१-५२ में मध्य प्रदेश में १,४१९,००० टन चावल उत्पादित किये गये ।

(ख) एक ऐसे राज्य की, जहां की सभी आबादी को राशन नहीं मिलता, वार्षिक आवश्यकता का आंकड़ा बताना कठिन है । बहुत हद तक मूल्य पर ही आवश्यकतायें निर्भर करती हैं । किसी भी साधारण वर्ष में मध्य प्रदेश को राशनिंग के लिये लगभग १२५,००० टन चावलों की आवश्यकता होती है ।

(ग) पत्री वर्ष के आधार पर ही बुनियादी योजना का हिसाब लगाया जाता है । सन् १९५१ में मध्य प्रदेश से २३,००० टन चावलों का निर्यात किया गया था । १–१–५२ से ५–७–५२ तक के निर्यात के लिये ८३,००० टन चावल दिये गये थे ।

वन

४१२. **श्री गणपति राम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अनेक प्रकार के वनों से घिरा कुल (राज्यवार) क्षेत्र कितना है ;

(ख) वन अनुसन्धान संस्था ने प्राकृतिक ढंग से वन बढ़ाने के लिये तथा देश में इमारती लकड़ी और ईंधन की मांग को पूरा करने के लिये क्या सक्रिय उपाय शुरू किये हैं ; और

(ग) क्या वन लगाने की योजना में वृद्धि की गई है, और यदि हां, तो कहां तक ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) १३-६-५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१८ के भाग (क) के उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है । भिन्न प्रकार के वनों द्वारा घिरे क्षेत्र का अग्रेतर विश्लेषण उपलब्ध नहीं है ।

(ख) वन अनुसंधान संस्था भिन्न प्रकार के वृक्षों की प्राकृतिक पुनरुत्पत्ति की प्रणालियों पर अनुसंधान कर रही है, और उन अनुसंधानों के निष्कर्षों को सभी राज्यों में परिचालित किया जाता है । उक्त निष्कर्ष संस्था की वार्षिक रिपोर्टों में भी दिये गये हैं, और वे रिपोर्टें सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । ये राज्य पुनरुत्पत्ति की सफल पद्धतियों को अपने अपने इमारती लकड़ी और ईंधन वाले वनों पर लागू करते ह, जिस से वे अपनी अपनी भारी मांगों को निरन्तर रूप से पूरा करते रहते हैं ।

(ग) जी हां । सभी राज्य तो आर्थिक ढंग से महत्त्वपूर्ण प्रकारविशेष की वृक्ष–जातियों की उपज बढ़ाते हैं । भारत भर में प्रति वर्ष लगभग २५६ वर्ग मील क्षेत्र में वनों में कृत्रिम पुनरुत्पत्ति की जाती

उत्तर प्रदेश में नल-कूप

४१३. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विगत वर्ष उत्तर प्रदेश में नल-कूप खुदवाने के लिये भारत सरकार द्वारा कई सार्थों को ठेके दिये गये थे ;

(ख) सार्थों के नाम क्या हैं, तथा उन ठेकों में कितनी धनराशि अर्न्तग्रस्त है ; और

(ग) आज-तक इस के कार्यसंचालन की प्रगति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) उत्तर प्रदेश में नल-कूपों का निर्माण कराने के लिये भारत सरकार ने किसी भी सार्थ को कोई ठेका नहीं दिया। यों तो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में ४४० नल-कूप लगवाने के लिये किसी सार्थ के साथ दिसम्बर, १९५० में ठेका किया था।

(ख) उक्त सार्थ का नाम मेसर्ज़ एसोसिएटेड टयूब वेल्ज़, लिमिटेड है, और उक्त ठेका लगभग १४१ लाख रुपये का है।

(ग) प्रगति की रिपोर्टों के अनुसार ठेकेदारों ने आज तक कुल काम का लगभग २५ प्रति शत पूरा किया है और बाकी कार्य चल रहा है।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियां

४१४. **श्री अजीत सिंह :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार की रक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में लिये गये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन को किस प्रकार की सेवायें (श्रेणीवार) दी गई हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय में लिये गये अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी।

संविधान के अनुच्छेद ३४० (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जान वाले आयोग की सिपारशें प्राप्त होने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़ कर किन वर्गों के नागरिकों को "पिछड़ा" माना जाना चाहिये तथा उनके साथ किस प्रकार की रियायतें (सेवाओं के रक्षित किये जाने के सहित) बरती जानी चाहियें।

सोमवार,
१४ जुलाई १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, १४ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

कार्यक्रम मंत्रणा समिति

अध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि नियमों के अनुसार मैं निम्न माननीय सदस्यों को कार्यक्रम मंत्रणा समिति का सदस्य मनोनीत करता हूं:

(१) श्री एम० अनन्तशयनम आयंगार
(२) श्री सत्य नारायण सिन्हा
(३) श्री हरि कृष्ण महताब
(४) श्री नरहर विष्णु गाडगिल
(५) श्री देव कान्त बुरूआ
(६) श्री हरि विनायक पटास्कर
(७) श्री पी० टी० चाको
(८) कर्नल बी० एच० ज़ैदी
(९) श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
(१०) श्री पी० टी० पुन्नूस
(११) श्री सारंगधर दास
(१२) श्री हुक्म सिंह
(१३) श्री चन्देश्वर शरण सिंह जू देव
(१४) डा० लंका सुन्दरम्

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

नियमों के अनुसार इस समिति का सभापति मैं हूंगा ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): संविधान के अनुच्छेद १५१ के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित पत्र सदन पटल पर रखता हूं:

(१) वर्ष १९४९-५० की रेलवे सम्बन्धी विनियोग लेखाएं भाग १—पुनरीक्षण [**पुस्तकालय में रखी गईं**। देखिये संख्या ४, यू(ए) (७५) ।]

(२) वर्ष १९४९-५० की रेलवे सम्बन्धी विनियोग लेखाएं भाग २—व्यौरेवार विनियोग लेखायें । [**पुस्तकालय में रखी गईं**। [देखिये संख्या ४, यू (ए) (७५) ।]

(३) वर्ष १९४९-५० का पूंजी विवरण—भारत सरकार की रेलों सम्बन्धी पूंजी विवरण तथा लाभ और हानि लेखायें [**पुस्तकालय में रखी गईं** । देखिये संख्या ४, यू (ए) (७४) ।]

(४) वर्ष १९४९-५० के रेलों की खानों के संतुलन-पत्र तथा कोयले की समूची अन्तर्देशीय लागत। [**पुस्तकालय में रखा गया**। देखिये संख्या ४, ए (ए) (७१) ।)

[श्री सी० डी० देशमुख]

(५) रेलवे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट १९५१—भारत में रेलों की लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट—१९५१ जिस में वर्ष १९४९-५० सम्बन्धी विनियोग लेखायें भी शामिल हैं। [**पुस्तकालय में रखी गईं**। देखिये संख्या ५, यू (ए) (७६)।]

भारतीय तटकर (तृतीय संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ के संशोधन के हेतु एक विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्य सशस्त्र आरक्षी बल (विधियों का विस्तार) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "किसी राज्य को, उस राज्य के सशस्त्र आरक्षी (पुलिस) बल से सम्बन्धित अनुशासनात्मक विधियों को, उक्त आरक्षी बल के कर्मचारियों पर, जब कि वे उस राज्य के बाहर सेवायुक्त हों, विस्तार करने की व्यवस्था करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदन को ज्ञात है कि भाग (क) तथा भाग (ख) दोनों प्रकार के बहुत से राज्यों में आरक्षी वर्ग विद्यमान हैं तथा उनके बनाये रखने, अनुशासन तथा अन्य बहुत से मामलों के सम्बन्ध में विधियां बनी हुई हैं। अब प्रश्न यह उठा है कि जब ये बल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जायें तो किन नियमों के आधीन ? इस विधेयक में यही व्यवस्था की गई है कि जब कभी एक राज्य का सशस्त्र आरक्षी बल दूसरे राज्य में भेजा जाय तो अनुशासन तथा दूसरे दायित्वों के सम्बन्ध में उन पर अपने ही राज्य की विधियां लागू हों।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं केवल एक या दो प्रश्न ही पूछना चाहता हूं।

मैं पूछना चाहता हूं कि धारा ३ का, जिस में अब संशोधन करने की चेष्टा की गई है, वास्तव में पहले किस बात को उपबन्धित किया गया था ? दूसरे जब किसी राज्य का आरक्षी बल दूसरे राज्य में काम कर रहा हो और उस पर लागू होने वाले नियम अपने ही राज्य के रहें तो उनके कार्य में सहयोजन किस प्रकार से प्राप्त किया जायगा अब तक तो कार्य इस प्रकार से चलता रहा है कि किसी राज्य में काम कर रहे सभी आरक्षी बलों पर उस राज्य विशेष के क़ानून ही लागू होते थे। तो अब वास्तव में ऐसा करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ?

डा० काटजू : कठिनाई तो वास्तव में कोई नहीं। प्रश्न ऐसे उठा कि विभिन्न पुलिस बलों पर अपने नियम लागू होते थे। जब कभी उन्हें किसी दूसरे राज्य में भेजा जाता था तो क़ानून में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाता था कि या तो कुछ दिनों के लिये उन पर अपने ही क़ानून लागू होते थे अथवा कोई और विधियां। मेरा

विचार है कि ऐसा कहना ठीक ही है कि अब तक जब कभी पुलिस वालों को बाहर भेजा जाता था तो उन पर अपने ही राज्य के क़ानून लागू होते थे । परन्तु जहां तक मेरा विचार है, मैं समझता हूं कि इस से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हम ने अच्छी प्रकार से विचार कर लिया है तथा हम समझते हैं कि इन सशस्त्र बलों के अन्यत्र जाने की अवस्था में उन पर उन के अपने ही अधिकारियों का---दूसरे राज्य के महा-अधीक्षक के निदेशों के आधीन---नियंत्रण रहना चाहिये । परन्तु जहां तक आन्तरिक अनुशासन का सम्बन्ध है, उन पर उनके अपने ही अधिकारियों का नियंत्रण रहता है । इसे कार्यान्वित करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं चाहिये ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : माननीय मंत्री के भाषण से स्थिति को जिस प्रकार से मैं समझ सका हूं वह यह है कि एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में भेजे जाने की अवस्था में उन पर किसी बल विशेष के क़ानून लागू होंगे तथा उस राज्य विशेष के अनुशाशन नियम नहीं, जिस में कि उन्हें भेजा जाता है ।

प्रथम तो वह कठिनाई स्पष्ट नहीं है जिसके कारण इस विस्तार की आवश्यकता पड़ी है । दूसरे मैं निवेदन कर दूं कि हमारी जनता इस बल विशेष को अच्छी दृष्टि से नहीं देखती तथा उनके बारे में किये जा रहे किसी परिवर्तन से भी आशंकायें ही उत्पन्न होंगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी न किसी कारण हमारे गृह-कार्य मंत्री सदन में बहुत से संशोधक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । हर बार उनका यह कहना होता है कि इसके पीछे कोई संदिग्ध उद्देश्य नहीं है । परन्तु इस विस्तार के पीछे उनको वास्तविक भावना [illegible] नहीं है । कहा गया है कि चाहे राज्य कोई भी हो, उन पर विधियां अपनी ही लागू होंगी । देखना यह है कि इसका वास्तविक परिणाम क्या होगा । यदि उदाहरण से, बिहार की पुलिस हैदराबाद भेजी जाय, परन्तु वहां पहुंचने पर भी उन पर अपने ही क़ानून लागू होंगे । यदि ऐसी बात है तो यह एक काफी गम्भीर विषय है ।

इसका वास्तव में मतलब क्या है । बंगाल पुलिस अधिनियम में यह उपबन्धित है कि अमुक अमुक प्रकार के अपराध की जांच तथा परीक्षा उस बल विशेष के अमुक अमुक अधिकारी द्वारा की जा सकती है । अब एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस संकट के समय ही भेजी जाती है, परन्तु यदि संकट-ग्रस्त राज्य के क़ानून ही उन पर लागू न हो सकें तो इसका दुष्परिणाम उस राज्य की जनता को भोगना पड़ेगा । यह एक बहुत बड़ी बात है । इस प्रकार से भेजी गई पुलिस के लिये दूसरा राज्य एक नया प्रदेश होता है । उनकी वहां की जनता के प्रति कोई विशेष सद्भावना नहीं होती । इस प्रकार वहां की जनता को उनकी दया पर छोड़ दिया जाता है । परिणामस्वरूप उन लोगों के दुःखों में बहुत वृद्धि हो जाती है । इन कारणों से मैं इन उपबन्धों का घोर विरोध करता हूं । राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों—तथा इस जनता को ऐसी मांग करने का प्रत्येक अधिकार है—विशेष पुलिस दलों के तोड़ देने की मांग की गई थी । अतः मैं इस विस्तार का घोर विरोध करता हूं तथा सदन से मेरा निवेदन है कि इस पर बहुत गम्भीर ध्यान दे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): श्रीमान् मेरा एक औचित्य प्रश्न है । यदि बम्बई विशेष पुलिस का एक दस्ता बंगाल भेजा जाय तो क्या उस पर बम्बई अधिनियम को लागू करने का मतलब यह नहीं होगा कि

[श्री एस० एस० मोरे]

बम्बई अधिनियम को बंगाल पर भी लागू किया जा रहा है ? हमारे कुछ वैयक्तिक कानून भी ह । इस विषय में ऐसा जान पड़ता है कि सरकार किसी राज्य की प्रचलित विधि में व्यक्तिगत रंग लाना चाहती है । क्या हम वैध रूप से ऐसा कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक भारत सरकार को इस प्रकार के विधान को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है निस्सन्देह उसे सारे भारत संघ के क़ानूनों को संशोधित करन का अधिकार रहता है । जिस कठिनाई का वर्णन आप ने किया है, उससे इस सदन के वैधानिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । मेरा कहना है कि पंक्ति १६ में "Continue to be subject to" (के अधीन बने रहेंगे) शब्दों का अर्थ यह निकलता है कि कोई पुलिस बल किसी राज्य विशेष से बाहर भेजे जाने की अवस्था में जिसके कानून के अन्तर्गत उसकी स्थापना की गई हो, उस पर उस राज्य के कानूनों का लागू होना बन्द नहीं होता है । चाहे वह किसी दूसरे राज्य में ही क्यों न नियुक्त किया जाय । इसके अतिरिक्त आज्ञाओं के पालन के बारे में—इसमें सेवा की शर्तों के निभाने का प्रश्न नहीं है—उस पर दूसरे राज्य के क़ानून लागू होंगे । क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

डा० काटजू : इसमें "in respect of discipline and liabilities" शब्द रखे गये हैं । यदि वह किसी अन्य राज्य में कोई अपराध करे तो उसे दण्ड दिया जा सकेगा । यदि अपराध ऐसा हो जिसे उस राज्य की विधि के अधीन दण्ड दिया जा सकता हो तो उसे दण्ड अवश्य ही मिलेगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची संख्या १ की ८० वीं मद में, जो संघ सूची है, इस प्रकार से लिखा है :

> "किसी राज्य के आरक्षी बल केसदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षत्र में बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिस में कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकें; किसी राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल-क्षेत्रों पर विस्तार" ।

अब ऐसा करने पर कोई शर्त नहीं रखी गई है । यह उपबन्ध इस विषय में ठीक नहीं बैठता । इस प्रकार से यदि हम एक राज्य के पुलिस बल को दूसरे राज्य में भेजें तो समुचित विधान को संसद् में ही पारित किया जा सकता है । कारण यह कि यह विषय संघ सूची में रखा गया है । इस दृष्टि से तो यह विधेयक यथानियम है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इसकी शब्द रचना और प्रकार की न हो उदाहरण से मद ८० की प्रकार की ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो अपने आप ही जायेगा क्योंकि जब स्थानान्तरण होता है तो यह उस राज्य की प्रार्थना पर होता तथा मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जिस पुलिस बल को दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो उसे वहां पर शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया जाता जो

अधिकार कि उन्हें अपने राज्य की विधियों के अन्तर्गत प्राप्त होता है। उन्हें वहां पर कुछ आदेशों के अनुसार काम करना होगा तथा उन पर दूसरे राज्य का कानून लागू होगा। मेरे विचार में तो यह विधेयक केवल इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि एकमात्र दूसरे राज्य में सेवा के लिये नियुक्त किये जाने से कोई पुलिस बल अपने राज्य के अनुशासन तथा अन्य मामलों सम्बन्धी कानूनों से नहीं छूट सकता।

डा० काटजू : स्थिति इसी प्रकार से है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हमें यह अधिकार है कि किसी राज्य में दूसरे राज्य की विधियों के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए उन अधिनियमों की विस्तार से चर्चा कर सकें जो इस विस्तार से प्रभावित होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझ सका हूं, शब्द-रचना को सामने रखते हुए इस में विस्तार की कोई बात नहीं है। विधेयक के बनाने के बारे में मेरी ऐसी धारणा है कि अनुसूची में वर्णित विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव पुलिस अधिनियम की धारा ३ के विरुद्ध है। प्रश्न तो वास्तव में यह है कि किसी राज्य के पुलिस बल को उस क्षेत्र विशेष से बाहर भेजे जाने की अवस्था में वहां का पुलिस अधिनियम उस राज्य-क्षेत्र से बाहर भी लग सकेगा ? बात ऐसी तो नहीं कि केवल दूसरे राज्य में सेवा के लिये नियुक्त होने से उस पुलिस बल को भंग कर दिय गया हो अथवा उस पर इस विशेष अधिनियम से 'बल' की परिभाषा ही लागू न होती हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव): क्या ऐसी अवस्था में दो प्रकार की अनुशासन पद्धतियां तथा दायित्व होंगे—एक तो स्थानीय पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत तथा दूसरी उस राज्य के पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत जिस में कि विभिन्न राज्यों के पुलिस बल आते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इतना अध्ययन तो नहीं किया है, परन्तु मेरी यह धारणा है कि ऐसा स्थिति के परस्पर विरोध से बचने के लिये किया गया है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान्, भारतीय पुलिस अधिनियम, १८८८ की धारा २ को ध्यानपूवक पढ़ने से वास्तविक उद्देश्य यह जान पड़ता है कि दो राज्यों के एक दूसरे के पड़ौसी होने की अवस्था में केवल केन्द्रीय सरकार को ही अधिकार है कि एक राज्य के पुलिस बल को दूसरे राज्य में जाकर काम करने का आदेश जारी कर सके।

दूसरी बात यह कि जब कभी कोई पुलिस अधिकारी दूसरे राज्य में जाता है तो सभी प्रयोजनों से जो क्षत्र उसके नियन्त्रणाधीन होते हैं उन का भार उसे अपन पर लेना होता ह। साथ ही धारा ३ में यह व्यवस्था ह कि जिस राज्य में कोई बल विशेष अस्थायी रूप से कार्य करता ह, उसी राज्य ही के अनुशासन कानन उस बल पर उस समय के लिये लागू होंगे।

परन्तु इस विधयक में हम पहिले दो उपबन्धों को तो नहीं बदल रहे, न ही हम उपधारा (३) में कोई परिवतन कर रहे हैं। इस विधेयक में हम यह कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में उस बल पर अपने राज्य ही के अनुशासन नियम लागू होंगे। यह ऐसा विषय है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिय ताकि हम कोई ऐसी विधि पारित न कर बैठें जो किसी दूसरी विधि से असंगत हो।

डा० काटजू : श्रीमान् विधेयक पर बहुत ध्यान से विचार किया जा चुका है तथा यह कहना ठीक नहीं है कि किसी सशस्त्र पुलिस बल को केवल उपद्रवों को दबाने के लिये ही काम में लाया जाता है जो कार्य विशेष राजनतिक विचार से किया जाता है।

पुलिस अधिनियम, १८८८ में इन्हें विशेष पुलिस बल का नाम दिया गया है; पुलिस अधिनियम के सशस्त्र पुलिस बल पर लागू होना एक संदेहयुक्त बात हो सकती है, क्योंकि सशस्त्र पुलिस बलों के बारे में प्रत्येक राज्य ने विशेष कानून पारित कर रख हैं। हो सकता है कि जिन राज्यों में अभी तक यह बल नहीं बनाए गये हैं उनमें भी बाद में ये बनाये जायें। यह तर्क भी किया जा सकता है कि जब तक ये बल अपने राज्य विशेष से बाहर काम करें उस समय तक वे उस राज्य के अनुशासन के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इस प्रकार की गई एक कठिनाइयों से परे रहने के लिये अनुशासन तथा उत्तरदायित्व के बारे में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था तथा यह प्रस्थापना की गई है कि उन पर अपने ही कानून लागू होंगे तथा उन्हीं के अनुसार उन्हें दण्ड मिल सकेगा। अब एक प्रश्न यही रह जाता है कि उन पर इन कानूनों को लागू करने का अधिकार किस अधिकारी को प्राप्त होगा ? मेरे विचार से यह एक बहुत साधारण सी बात है। एक पुलिस बल दूसरे राज्य में उस समय ही भेजा जाता है जब उस राज्य द्वारा उसकी सेवाएं अर्जित की जाती हैं। अतः मुझे इस विधेयक के काम करने के बारे में कोई कठिनाई नहीं जान पड़ती।

जहां तक मेरा विचार है, लगभग सभी राज्य इससे सहमत हो चुके ह।

डा० एस० पी० मुखर्जी : माननीय गह कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया कि क्या १८८८ का पुलिस अधिनियम इन बलों पर लागू होता है या नहीं। यदि इस में यह उपबन्ध किया होता कि १८८८ का अधिनियम इन बलों पर बिल्कुल लागू नहीं होगा तो मैं इसे समझ भी सकता था। परन्तु इसका निर्देश उस अधिनियम की धारा (३) ही की ओर है जिसका मतलब यह है कि पुलिस अधिनियम, १८८८, की अन्य धारायें लागू हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मेरे विचार से इतने लम्बे तर्क में जाने से यह अधिक अच्छा होगा कि इस क्रम हम इस विधेयक पर विचार को स्थगित कर दें ताकि यदि माननीय मंत्री चाहें तो इसके वैधानिक विस्तारों की जांच कर लें तथा विरोधी दल भी ऐसा कर सके। इस विधेयक पर हम चर्चा को कल तक के लिये उठा सकते हैं।

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो अब हम दूसरे वैधानिक काम को लेते हैं।

दण्डविधि संशोधन विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारतीय दण्ड विधान तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने तथा कुछेक अपराधों के गतिपूर्ण परीक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को सदन की सामान्य स्वीकृति मिलेगी क्योंकि यह एक ऐसे विषय के सम्बन्ध में है जिसके

बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, अर्थात् भ्रष्टाचार का रोकना। वर्तमान कानून के अनुसार एक घूसखोर को इस लिये दण्ड दिया जाता है कि उस पर एक ठोस अपराध के दोषी होने का आरोप होता है। घूस देने वाले को इस कारण दण्ड मिलता है कि उसे अपराध के लिये उकसाने वाला समझा जाता है। परन्तु दुरुत्साह का मतलब यह है कि मुख्य अपराध के लिये दण्ड अवश्य ही दिया जाय। यदि वह घूस देना चाहे, परन्तु घूस स्वीकार न की जाय तो इस विषय पर तर्क हो सकता है कि क्या घूस देने का इरादा रखने वाला व्यक्ति अपराधी भी है कि नहीं, और इसके अतिरिक्त गतिपूर्ण परीक्षण अर्थात् मुकदमों को जल्द से निपटाने का भी प्रश्न है। इन सब मामलों पर एक बड़ी योग्य समिति ने विचार किया था जिसके सभापति लाहौर उच्च न्यायालय के एक विख्यात भूत-पूर्व न्यायाधीश थे जो पिछली संसद के सदस्य भी थे। यह समिति बख्शी टेक चन्द समिति के नाम से सुप्रसिद्ध है। समस्त मामलों के ब्यौरों की जांच करने के बाद इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं तथा उन्हीं सिफारिशों के प्रकाश में ही यह विधेयक बनाया गया है। यह उन सिफारिशों से भी कुछ अधिक बातों की व्यवस्था करता है। सदन इस बात पर ध्यान देगा कि इस विधेयक में हमने भारतीय दण्ड विधान में एक नई धारा के जोड़ने की व्यवस्था की है जो धारा १६५ए कहलाएगी तथा उस धारा में घूस देने वाले को चाहे वह अपने इरादे में सफल हो या असफल, दण्ड देने का विचार किया गया है अथवा चाहे वह घूस को वास्तव में देने में सफल हो जाता है या अपने उद्देश्य में असफल रह जाता है। घूस देने तथा घूस लेने के प्रश्न को एक नये प्रकार का महत्व दिया गया है। बहुत वर्ष पहले अथवा यूं कहिये कि गये दिनों में घूस के विषय में यही विचार किया जाता था कि यह जबरदस्ती ली जाती है अर्थात् कि सम्बन्धित सरकारी अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दबाव और अत्याचार द्वारा धन-संग्रह की कोशिश करता हुआ समझा जाता था। प्रायः हम पुलिस अधिकारियों के बारे में घूस को जबरदस्ती लेने की बातें सुना करते थे। किसी स्थान विशेष अथवा ग्राम विशेष में डाके तथा कतल की घटना होती थी। अधिकारी यदि ईमानदार न हुआ अथवा वह धन एकत्र करना चाहे तो वह ग्राम में जा कर अपने जाल को दूर दूर तक फैलाता था तथा इस बात के प्रयत्न करता था कि क्या वह कुछ धन बटोर सकता है या नहीं। उसके पिट्ठू उसे बतलाते थे कि गवाह किस धनी व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति का, जो धन दे सकता हो, नाम लेते हैं जिस पर अपराध लग सकता है। इस प्रकार से वह धमकियां देकर धन बटोरने में सफल हो जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि समय को टालने तथा अपनी इज्जत, जीवन तथा सम्पत्ति को बचाने के लिये भयावश हो कर घूस दे दी जाती थी, परन्तु जभी यह दे दो जाती थी तो घूस देने वाला बहुत क्रुद्ध हो जाता था तथा प्रत्येक सम्भव अवसर पर वह आगे आ कर उस व्यक्ति के विरुद्ध गवाही देने का इच्छुक रहता था जिस ने अपने दबाव से उसे तंग किया था तथा उससे जबरदस्ती घूस ली थी।

१० म० पू०

इसके बाद घूस एक और प्रकार की भी मानी गई है। यह इतना जबरदस्ती का परिणाम नहीं होता जितना कि यदि मैं कह सकूं तो 'सत्य से भ्रष्ट' करने के विचार से, जिस से कि घूस देने वाला अधिक धन कमा सके, दी जाती है। आप एक साधारण सा मामला ले लीजिये। एक प्रान्त से परे गुड़ १७ रुपये मन बिकता है। अब उत्तर

[डा०काटजू]

प्रदेश की इस ओर गुड़ का भाव ८ रुपये प्रति मन हो तथा दो राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा हो । गुड़ बेचने वालों को इस की बहुत लालसा रहती है कि वे अपने गुड़ को दूसरे राज्य में ले जा कर १७ रुपये प्रति मन से बेच सकें तथा १०० प्रति शत लाभ उठा सकें । अब इसके लिये बहुत उत्सुक तथा इच्छुक होता है—चाहे उसे इस लाभ में से ५० प्रति शत लाभ से हाथ धोना भी क्यों न पड़े तथा इसे चौकियों, सीमान्त तथा थानों पर नियुक्त अधिकारियों को यह देना पड़े । मैं यह अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं । न्यायालयों में ऐसे मामले पेश हुए हैं जबकि लोगों ने ऐसे अधिकारियों को घूस देने का प्रयत्न किया है जो स्वभाव के ज़रा कमज़ोर होते हैं तथा जिन्हें अपने कर्त्तव्य के सीधे मार्ग से भटकाने की चेष्टा की जाती है । परिणाम यह होता है कि जब किसी अधिकारी पर सिक्का जम जाता है तथा वह इस प्रकार से पथभ्रष्ट हो जाता है और फ़िर अपने को ठीक मार्ग पर नहीं ला सकता तथा इस प्रकार से धन एकत्र करने की उसकी आदत पक्की हो जाती है तो वह बार बार उस गढ़े में गिरता है । ऐसा कहना बहुत कठिन है कि इसमें दोष अधिक किसका है । क्या पथभ्रष्ट करने वाला अथवा कि पथभ्रष्ट हो जाने वाला अधिक दोषी है ? बहुत से मामलों में धन बहुत अधिक दिया जाता है—यह हज़ारों अथवा लाखों रुपये तक होता है । मैं ऐसा इस प्रकार के सौदों के कुछ अनुभव के आधार पर कह रहा हूं ।

अब बख्शी टेक चन्द समिति की यह रिपोर्ट है कि दण्ड विधान के निर्माताओं द्वारा घूस देने वालों के प्रति जो थोड़ी सी नरमी दिखाई गई जान पड़ती है, उसे वापस ले लेना चाहिये तथा घूस के देने को एक निश्चित मूल अपराध माना जाना चाहिये । इस अभिप्राय से अब धारा १६५ए को दण्ड विधान में जोड़ने की चेष्टा की गई है । विधेयक का एक भाग तो इस बात से सम्बन्ध रखता है ।

विधेयक के दूसरे भाग का सम्बन्ध एक और बात से है । सदन को विदित है कि कभी कभी गवाही को प्राप्त करने के लिये क्षमा प्रदान की जाती है, परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता इस क्षमा प्रदान करने की शक्ति को बहुत गम्भीर मामलों तक सीमित रखा गया है—हत्या, डाके तथा चोरी आदि और ऐसे मामलों तक जिसमें यह वांच्छनीय होता है कि कोई दोष सिद्ध व्यक्ति—चाहे वह इतना दोषी न हो—क्षमा मांग कर छूट जाय, परन्तु जिसकी गवाही की सहायता से दूसरे व्यक्तियों को, जो अधिक भयंकर अपराधों के बारे में दोषी हैं, दण्ड दिया जा सके । दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक दूसरा प्रावधान यह है कि जब कभी किसी मामले में क्षमा दी जाये तो चाहे वह अपराध किसी प्रकार का भी क्यों न हो, उसका निर्णय किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जायगा, अपितु उसे एक सत्र न्यायाधीश (सैशन जज) को सौंपा जायगा । जभी आप क्षमा प्रदान करते हैं उसी समय यह सैशन का केस बन जाता है । तीसरे हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट ऐसे मामलों के निपटाने में कई कई महीने ले लेते हैं । आप देखते हैं मैजिस्ट्रेटों को कितने ही दूसरे कर्त्तव्यों को निभाना होता है । वह कार्यपालिका सम्बन्धी कर्त्तव्य होते हैं, फ़िर प्रशासन सम्बन्धी कर्त्तव्य भी होते हैं जिसके परिणामस्वरूप मामलों को उठा रखना पड़ता है । अतः सरकार को यह सूझ पड़ी कि उसे बख्शी टेकचन्द समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर लेनी चाहिये कि भ्रष्टाचार के मामलों में मैजिस्ट्रेटों को

क्षमा प्रदान करने की शक्ति दिये जाने की नियमित व्यवस्था की जानी चाहिये । यह बात हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि आप घूस लेने वाले अथवा घूस देने वाले या उसके दलाल अथवा उसके अधीन कर्मचारी को, जो दुरुत्साहित करने के लिये दोषी हो सकता है, क्षमा प्रदान करें तथा इस प्रकार से गवाही प्राप्त कर लें तथा जब क्षमा प्रदान कर दी जाये तो यह मामला सैशन न्यायालय का मामला बन जाता है । वर्तमान प्रक्रिया के आधीन सदन को विदित है— कि एक सैशन के मामले के अर्थ हैं समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही उन्हें इसमें बहुत समय लग जाता है । तब मैजिस्ट्रेट इस मामले को सौंपता है तथा मामला सैशन न्यायालय में चला जाता है तथा सत्र न्यायाधीश इस मुकदमे को सुनते हैं । इस विधेयक में प्रक्रिया यह है कि प्रथम तो हम यह उपबन्ध करते हैं कि क्षमा प्रदान की जा सकती है तथा भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में इस प्रकार की क्षमा प्रदान की व्यवस्था करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में उचित संशोधन किया जाना होगा । दूसरी बात यह कि खण्ड ६ तथा बाद के उपबन्धों में हम यह उपबन्ध करते हैं कि ये मुकदमे केवल सत्र न्यायाधीशों द्वारा ही सुने जा सकते हैं तथा कि यह न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश तथा अपर न्यायाधीश के पद से कम नहीं होने चाहियें। मैं देखता हूं कि एक संशोधन के प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है कि सहायक सत्र न्यायाधीशों को भी यह अधिकार दिये जाने चाहियें जो सदैव एक बहुत सीनियर अधिकारी होता है तथा कभी कभी तो उस ने बीस वर्ष तक अधीनस्थ न्यायाधीश के पद पर काम किया होता है तथा जिस पर ऐसे मामलों में दृढ़कार्यवाही करने के लिये निर्भर किया जा सकता है । अब किसी विचार से इसे सैशन परीक्षण नहीं समझा जा सकता । पुलिस मामले की जांच करती है तथा तत्काल इसे सत्र न्यायाधीश अथवा अपर सत्र न्यायाधीश अथवा सहायक सत्र न्यायाधीश को वारन्ट केस के रूप में सौंप देती है । तथा मैं अवश्य ही ऐसी आशा करता हूं कि इसमें तनिक विलम्ब नहीं करते । सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश तथा सहायक सत्र न्यायाधीश किसी मैजिस्ट्रेट की तरह आराम से काम नहीं किया करते तथा हमारी अवश्य ही ऐसी आशा है कि वे इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के प्रयत्न करेंगे ।

अन्त में दण्ड की मात्रा को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक उपबन्ध रखा गया है । इस समय दो वर्ष का दण्ड रखा गया है । विधेयक में यह प्रस्थापना की गई है कि इसे बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया जाय तथा निस्सन्देह किसी भी सीमा तक जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। जब यह मामला सत्र न्यायाधीश के सामने जाता है जिसका पद सत्र न्यायाधीश अथवा सहायक सत्र न्यायाधीश होता है तो पांच रुपये अथवा पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है । इसमें कोई सीमा नहीं रखी गई । एक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

अन्तिम बात यह कि हमने इसमें उच्च न्यायालय से अपील करने की व्यवस्था भी कर दी है । उच्च न्यायालय को पुनर्विचार की प्रार्थना नहीं की जा सकती अर्थात् इस अभिप्राय का प्रार्थना पत्र वहां नहीं भेजा जा सकता क्योंकि यह एक बहुत सीधा मामला होता है तथा उच्च न्यायालय इसे निपटा सकता है । मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि सर्वप्रथम उद्देश्य तो घूस देने को एक मूल अपराध घोषित करना है, दूसरे मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार देना है कि उचित मामलों में क्षमा की प्रस्तावना करें अथवा क्षमा प्रदान करें । तीसरा उद्देश्य

[डा० काटजू]

यह कि यह मुकदमें बहुत वरिष्ट अधिकारियों द्वारा सुने जायं तथा चौथा--और सर्वोपरि यह—कि इन मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाया जाये ताकि दोषसिद्ध व्यक्ति बच कर न निकल सकें। मुझे ऐसा कहने की आवश्यकता तो नहीं, परन्तु घूस के सभी मुकदमों में स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समय है, क्योंकि जितना अधिक विलम्ब होता है, उतना ही कम कड़ा दण्ड मिल सकेगा। हम चाहते यह हैं कि जब कभी घूस का कोई मामला पेश हो तो इसे जल्द से जल्द सुना जाय तथा इसका निर्णय किया जाय ताकि बेईमानी का इरादा रखने वाले दूसरे लोग अपने गन्दे कामों से बाज़ रहें। विधेयक का संक्षेप में तात्पर्य यह है। मैं आशा करता हूं कि विधेयक को सामान्य सहमति से स्वीकार कर लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मुझे श्री एम० एस० गरुपादस्वामी से एक संशोधन की सूचना मिली है जिस में उन्होंने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का सुझाव रखा है। अब विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव-सदन के सामने है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: (मैसूर): श्रीमान्, यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ समय ही पहले मेरी ऐसी भावना थी कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप की विचार धारा में कोई त्रुटि दिखाई नहीं पड़ती। यदि सदन की ऐसी भावना है तो विधेयक निश्चय ही प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। मेरा कहना यह है कि जब तक सदन के बहुमत के इस पक्ष में होने का मुझे कोई चिन्ह दिखाई न दे मैं इस बारे में सूचना काल की शर्त को ढीला नहीं कर सकता।

डा० काटजू : श्रीमान् यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है, अतः हम चाहते हैं कि इसे शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाय।

अध्यक्ष महोदय : तब तो मैं सूचना काल की शर्त को नहीं हटा सकता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं माननीय मंत्री द्वारा नियक्त किए गये कुछेक मूल विचारों से पूर्णता सहमत हूं। सदन में इस विचार के बारे में कोई मतभेद नहीं कि प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की प्रथाओं के बारे में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय जिस से हमारे प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा हो सके।

यह एक बहुत गम्भीर विषय है तथा इसका सारे राष्ट्र के जीवन से सम्बन्ध है। अतएव हमें इस भ्रष्टाचार के रोग को अपने राष्ट्रीय जीवन से निकाल बाहर करने की समस्या पर पूरा पूरा विचार करना चाहिये जिससे कि सफल होने के लिये हम उपाय तथा साधन ढूंढ सकें। परन्तु जहां विशेष पुलिस स्थापना जांच समिति की महत्वपूर्ण रिपोर्ट की कुछेक सिपारिशों को इस विधेयक में रखा गया है, वहां प्रस्तावित संशोधनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रस्तावित धारा १६५ए में तो घूस देने वाले को घूसखोर के समान ही माना गया है। आज तक स्थिति यह थी कि घूस की प्रस्तावना करने वाले तथा घूस लेने वाले में भेद नहीं किया जाता था। सदन को अच्छी प्रकार से विदित है कि घूस देने की प्रस्तावना वही व्यक्ति करता है जो सरकारी विभागों में अनुचित प्रभाव अथवा किसी और प्रकार से काम न करा सके। अतः घूस के चलने का कारण भ्रष्ट अधिकारियों के विद्यमान होने का है। एकमात्र इस कारण से कि कोई साधारण व्यक्ति घूस की प्रस्थापना

करता है, आप उसे दोषी व्यक्ति नहीं कह सकते तथा उसपर मुकदमा चला कर उसे दण्ड नहीं दे सकते । यद्यपि विधेयक का उद्देश्य बहुत सराहनीय है, इसका परिणाम केवल जनसाधारण पर अत्याचार ही होगा । पहले तो इस विचारधारा को खत्म किया जाना चाहिये कि बिना घूस के कोई काम नहीं निकल सकता । इस के लिये आप को अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी, घूस की प्रस्तावना करने वाले के विरुद्ध नहीं ।

विशेष समिति ने विवश होकर घूस देने वालों तथा केवल सुगमता से धन एकत्र करने के अभिलाषी व्यक्तियों द्वारा घूस की प्रस्थापना में बिभेद किया है । स्पष्ट कहते हुए हमारे यहां व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की श्रेणी है जो अधिकारी वर्ग को आयात तथा निर्यात के लाइसेंसों के लिये प्रेरित करते हैं । इस प्रकार के घूस देने वालों से बिल्कुल पृथक व्यवहार किया जाना चाहिये तथा इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये । परन्तु इन से भी अधिक उत्तरदायी मैं भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को मानता हूं । माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें तथा भ्रष्टाचार के असली कारणों को जड़ से खत्म करें ।

दिल्ली की विशेष पुलिस स्थापना के बारे में समिति ने कहा है कि यह विभाग जांच करने के काम को उचित प्रकार से नहीं कर रहा है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जांच के कार्य में ये सेवानिवृत्त अधिकारी क्या कर रहे हैं ? मैसूर में प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों के अनुसार सेवा-निवृत्त परन्तु पुनः सेवा-आयुक्त अधिकारियों की कार्यक्षमता नये भर्ती किये गये व्यक्तियों से बहुत कम होती है । माननीय मंत्री को आदमी योग्यता के आधार पर बाहर से भर्ती करने चाहियें । केवल इस प्रकार से कार्य-क्षमता बढ़ सकेगी तथा भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकेगा ।

मुझे रिपोर्ट से इस बारे में मतभेद है कि विशेष पुलिस स्थापना का काम बढ़ गया है । आंकड़ों से साफ पता चलता है । आप मुझ से सहमत होंगे कि केवल कुछेक मामलों को पकड़ने तथा मुकदमे चलाने से भ्रष्टाचार का निवारण नहीं किया जा सकता । विशेष पुलिस स्थापना का भी उस समय तक कोई लाभ नहीं जब तक कि वह अधिक से अधिक भ्रष्टाचार के मामलों को न पकड़े । सदन को विदित है कि भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं । माननीय मंत्री इस बात पर विशेष ध्यान दें तथा इस बात की निश्चित रूप से व्यवस्था करें इस प्रकार से धन एकत्र करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय ।

मेरा अगला निवेदन यह है कि एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है । कुछ भी हो, भ्रष्टाचार तथा घूस एक साधारण प्रकार का अपराध है जिस से सामान्य मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में रखा जाना चाहिये । ऐसी नियुक्ति से सरकार का खर्चा बढ़ जायगा ।

अब मुखबर (approver) के बारे में कहते हुए हत्या तथा इस प्रकार के गम्भीर मामलों में तो राजसाक्षी के स्वीकार कर लिये जाने की बात तो ठीक ही है । परन्तु क्या इस प्रकार के सामान्य अपराधों के बारे में मुखबरों को नियुक्त करना ठीक है । क्या न्यायालय किसी और प्रकार से गवाही नहीं ले सकते ?

अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इतना साधारण नहीं जितना कि माननीय मंत्री बतला रहे हैं । मैं फिर यह भी कहना चाहता हूं कि घूस देने वाले तथा घूस लेने वाले में भेद किया जाय । मैं

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

ऐसा अनुभव करता हूं कि यदि हम ईमानदार तथा उच्च आचरण के अधिकारी नियुक्त करें तो सरकारी विभागों में जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जायगा। मूल अधिनियम में उन्हें ६ मास तक की कैद दण्ड देने का विचार किया गया है। मैं समझता हूं कि इतना ही दण्ड काफी है।

पंडित ए० आर० शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन की विधि हमारे सामने उपस्थित है इस के पीछे जो भावना है उसका तो मैं आदर करता हूं, किन्तु जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले भाई ने कहा, यह समस्या का समाधान नहीं है। हमने यह समझकर कि हमारे सार्वजनिक जीवन से करप्शन (भ्रष्टाचार) और अनाचार मिटे, हमने यह चेष्टा की है कि घूस लेने वालों के बराबर ही घूस देने वालों को दण्ड दिया जाय ताकि घूस देने लेने की प्रथा नष्ट हो जाय। मैं नहीं समझता कि इस से हम जो कुछ नतीजा हासिल करना चाहते हैं वह हमें मिल सकता है। मैं इधर यह देख रहा हूं कि हमारी सरकार जो एक वैलफेयर स्टेट (लोक-हितकारी राज्य) के रूप में काम करने का लक्ष्य रखती है, जिसका ध्येय यह है कि वह जनता की महान से महान सेवा कर सके वह केवल परिस्थितियों के कारण ही विवश हो रही है कि ऐसे प्रस्ताव हमारे सामने लावे, ऐसी विधियां हमारे सामने लावे कि जिनसे उस को अधिक से अधिक अधिकार मिले, वह अधिकार जो कि यहां की विदेशी सरकार को भी प्राप्त नहीं थे। जिन विधियों के बगैर वह भी काम चला सकती थी आज उस प्रकार की विधियों की हमको आवश्यकता पड़ रही है।

यह तो मैं मानता हूं कि इस नयी नयी आई हुई स्वतन्त्रता में कुछ लोग निरंकुश हो गये है और वह जन सेवा के आदर्श को भूल कर जनता में उत्तेजना फैलाने और उसी तरह की बातें करने की प्रेरणा देते हैं जैसे कि विदेशी सरकार के जमाने में स्वराज्य चाहने वाले और स्वराज्य की लड़ाई लड़ने बाले करते थे। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई मोरे साहब ने यहां कहा कि हम उन तमाम बातों को भूल गये हैं जो सन् १९४२ में हमारे ऊपर हुआ करती थीं, जो फायरिंग वगैरह हुआ करती थी वह सब हम भूल गये हैं, जो जुल्म होते थे वह सब भूल गये हैं। आज हम उसी प्रकार से अधिकार लेना चाहते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं यह तो जानता हूं कि यदि इन अधिकारों को लेने की विदेशी सरकार को ही नहीं बल्कि इस स्वदेशी सरकार को भी जरूरत पड़ गयी है तो यह केवल परिस्थितियों के कारण ही है। परिस्थितियों के कारण ही डिक्टेटर पैदा होते हैं और परिस्थितियों के कारण ही देश में बड़े बड़े विनयशील महानुभाव पैदा होते हैं। समाज में उत्तेजना फैलाने वाले लोग होंगे तो उनसे समाज को बचाने के लिये इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी कि जो देखने में बिल्कुल कोअरसिव (कुचलने वाला) मालूम होतीं हैं, जिन में बैनीवोलेंस (दया) का नाम तक नहीं है और जनता की सेवा की भावना का जिन में लेशमात्र अंश भी दिखाई नहीं पड़ता। यदि समाज में उच्छृखलता फैलाने वाले लोग होंगे तो उन से समाज को बचाने के लिये यह सब कार्रवाई करनी पड़ेंगी।

"प्रजा अनृशंसं नृशंसं वा रक्षण-
कार्यत् कर्त्तव्य रक्षता सदा।

राज्य-भार नियुक्तानां एष धर्मः सनातनः।

चाहे ठीक हो चाहे अनुचित हो, वह सब करना ही पड़ेगा। यदि राज्य

शासन चलाना है तो उसमें इस तरह की कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ती है ।

किन्तु मैं सरकार के सामने उसका भी लक्ष्य रखना चाहता हूं कि वह देखे कि उसका लक्ष्य क्या है । उस का लक्ष्य यह है कि वह जन सेवक सरकार है, वैलफेयर स्टेट है और उसकी अधिक से अधिक कार्रवाइयां उसी दिशा में होनी चाहियें । मैं विरोधी दल के भाइयों से कहना चाहूंगा कि वह जो स्वेदेशीय सरकार है उस में और जो विदेश सरकार थी उस में अन्तर को देखें । जिस डंडे से उस सरकार को हांकना चाहते थे उसी से इस सरकार को नहीं हांका जा सकता । तो मैं उन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी उच्छृखंलता फैलाने वाली बातों को रोकें यदि वह इस सरकार के सामने विषाक्त वातावरण पैदा करेंगे और यदि वह डार डार चलेंगे तो इस सरकार के बुद्धिमान लोग पात पात चलने से बाज़ नहीं आवेंगे और वे उनकी सारी उच्छृखंल योजनाओं को विफल कर देंगे ।

इस बात को मानते हुए भी मैं इस प्रस्तुत संशोधन विधि से उस मानी में सहमत नहीं हूं कि जिस तरह इसको पास करके हम समाज में एक ऊंचा आदर्श स्थापित करने की कामना करते हैं और मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने जो बात कही उससे मैं बहुत अंश तक सहमत हूं कि इस के द्वारा वह आदर्श सिद्ध नहीं होगा । इस संशोधन के द्वारा आप करने क्या जा रहे हैं ? घूस देने और घूस लेने की परिपाटी हमारे समाज में है । घूस देना और घूस लेना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि स्पाइनोजा की फिलासफी में फार्म गिविंग और फार्म रिसीविंग (देने तथा लेने से) एक ही तत्व के दो पहलू हैं तत्व एक ही होता है और फार्म गिविंग और फार्म रिसीविंग उसके दो भाग होते हैं । जैसे कि प्रश्नोपनिषद में हम पढ़ते हैं कि रायि और प्राण के समुच्चय से यह विश्व बना है । तो एक ही वस्तु है, उसी में शेप (आकार) देने की ताकत है और उसी में शेप लेने की ताकत है । हम देखते हैं कि कुम्हार मिट्टी को घड़े की शक्ल देने की ताकत रखता है और मिट्टी में घड़े की शेप लेने की ताकत है । यदि इन दोनों ताकतों का समुच्चय न हो, यदि दोनों एक दूसरे के प्रति उदारता न बरतें, यानी जब तक कुम्हार में यह लियाकत न हो कि वह शक्ल दे सके और मिट्टी में यह ताकत न हो कि वह शक्ल ले सके, तब तक घड़ा नहीं बन सकता । तो इस में सन्देह नहीं कि दोनों हाथ से ताली बजती है, एक से नहीं । यदि घूस देने वाला न हो तो घूस लेने वाला कहां से आवे और यदि घूस लेने वाला न हो तो घूस देने वाला कहां से आवे । तब इस चीज को देख कर दोनों को इस में (इस प्रस्तुत संशोधन विधि में) ऐट पार (at par) रखने की चेष्टा की गई है । मैं नहीं समझता कि शक्ल देने वाली और शक्ल लेने वाली ताकतें एक समान होती हैं जो ऐक्टिव फोर्स (क्रियाशील बल) है उस में वही ताकत है जो पैस्सिव फार्स (शान्ति बल) में है । मैं नहीं समझता कि जो कुम्हार ऐक्टिव फोर्स है उस में वही ताकत है, वही लियाकत है और वही शक्ति है जो कि उस मिट्टी में है जो कुम्हार के हाथ में पड़ कर घड़े का रुप धारण कर लेती है, निस्सन्देह एक ऐक्टिव फोर्स है जिस में प्राण शक्ति है, और दूसरा पैस्सिव फोर्स है जिस की रायि शक्ति कहते हैं । फार्म लेने वाली डैड (मुरदा) शक्ति है । उस मरे हुए निष्प्राण रा मैटीरियल (कच्चा सामान) को ले कर लेबर (श्रम) शक्ति, श्रम शक्ति, उसे एक दूसरा रूप दे देती है और

[पंडित ए० आर० शास्त्री]

उसी लेबर शक्ति की, श्रम शक्ति की महिमा गाई गयी है । उसी की महिमा "कैपिटल" में कार्ल मार्क्स ने फेटीशिज्म आफ कमोडिटी अध्याय में गाई है, वह मेरे इन मित्रों के सामने भी होगी और इस हाउस के प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने होगी । तो श्रम शक्ति के मुकाबले में वह रा मैटीरियल कुछ नहीं कर सकता । वह एक डैड बाडी (मृत शरीर) है । उस डैड, स्लीपिंग, डीप स्लम्बर (मृत, सोया हुआ, गहरी नीन्द) में पड़े हुए मैटर (भौतिकवाद) में पड़े हुए मैटर को कमोडिटी (वस्तु) की शक्ल में कौन कर देता है ? श्रमशक्ति कर देती है, लेबर कर देती है ।

तो यह जो हम समझ बैठे हैं कि वह बिचारा घूस देने वाला यों ही चला जाता है, उसकी जेब में पैसे खटक रहे हैं और वह जा कर उनको दे देता है । ऐसा नहीं है । वह विवश है और अपनी विवशता में परेशान हो कर वह यह काम करता है ।

मैं अपनी सरकार को आगाह कर देता हूं, सचेत कर देना चाहता हूं, मुतनब्बह कर देना चाहता हूं,--"परन्तू हिन्दी" नहीं समझने वाले दोस्तों के लिये मैं ने मुतनब्बह का प्रयोग किया है और इससे मैं उन को " खैरमक़दम " हिन्दी में अपना विचार दे रहा हूं--मैं यह चेतावनी अपनी सरकार को देना चाहता हूं कि आप यह समझ कर इन दोनों को एक दूसरे के बराबर नहीं रख सकते । यह जो घूस लेने वाली शक्ति है यह बड़ी विशाल शक्ति है । वह ऐग्ज़िक्यूटिव (कार्यपालिका) के लोग हैं, एक सिलैक्शन बोर्ड के ज़रिये से बड़े बड़े पदों पर वह आरूड हो जाते हैं । फिर अपनी कुर्सियों पर बैठ कर वह जो जी चाहे वैसा बरताव करते हैं और हमारे जैसे हज़ारों खाकसार उनके दरवाज़े में जाते हैं परन्तु कोई सवाल हमारा हल नहीं होता और किस प्रकार की विवशता में आ कर हमें अपना काम निकालना पड़ता है यह हमीं जानते हैं कि दो बोरी सीमेंट चाहिये, छत पड़ी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । तो फिर उस क्लर्क को दो रुपये दे कर हम दो बोरी सीमेंट ले आते हैं । इस प्रकार की विवशता है । वर्षों से यह पद्धति चली आती है । करप्शन सब जगह फैला हुआ है, इसी दिल्ली में हमारे यहां देख लीजिये ।

" वायज़ शराब पीने दे मस्जिद में
बैठ कर,
या वह जगह बता कि जहां पर
खुदा न हो ! ।"

मिनिस्ट्री में बैठ कर या ऊंचे पद पर बैठ कर आप यह न समझें कि यह करप्शन का खुदा यहां नहीं है । मेरी समझ में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां करप्शन का खुदा न हो । यह तो सब जगह मौजूद है । अगर सैकिंड क्लास में जगह नहीं है और आप को जाना है तो आप कुछ रुपया दे कर फ़र्स्ट क्लास में चले जा सकते हैं । गाड़ी की हालत कैसी है कि १५।१५, २०।२०, २५।२५ आदमी घुस जाते हैं और उस का कोई इलाज नहीं होता । लोग चिल्लाते हैं मगर कोई नहीं सुनता । लाउड स्पीकर है, पर कोई सुनने वाला नहीं । तो इस तरह से हमारे जीवन के हर अंग में करप्शन दिखाई पड़ता है और उसका कारण यह है कि जिस किसी को करप्शन रोकने का चार्ज दिया गया वही उस में साझीदार बन गया । जो उस से हिफाज़त करने के लिये खड़ा किया गया वही मिल गया तो यह कुफ्र भला कब रुकने वाला है ।

"चामे का वेरहा, कुकर रखवार" तो हम चाहते हैं कि कम से कम जनता तो ऐसी हो जाय कि वह करप्शन में न पड़े, वह घूस न दे। यह बिल्कुल सही बात है, जनता को करप्शन में नहीं जाना चाहिये। लेकिन जनता के जाने के लिये वही बेबसी कारण होती है। हार माने में घूस इसी कारण देनी पड़ती है। चार पांच दस रुपये दे दिये तो काम ठीक हो गया। पंन्द्रह बीस रुपये थानेदार को दे दिये तो मामला बन गया वरना थानेदार कब छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह सरकारी कर्मचारी लालच में पड़े हैं और जनता बेबसी में पड़ी हुई है। इन दोनों को हमें बराबरी में नहीं डालना चाहिये। फिर मैजिस्ट्रेट छोड़ देता है, उसको माफी देने का इख्तियार हासिल है। फिर स्पेशल जज के यहां अपील है। इस सम्बन्ध में यह नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं किन्तु मुझे माननीय मिनिस्टर के एक व्याख्यान की धुंधली सी स्मृति है जिस में उन्होंने कहा था कि तनख्वाहें बढ़ा देने से करप्शन सरविसेज़ में रुक जाय यह बात नहीं है। और अपने बड़े भारी तजुर्बे के आधार पर उन्होंने यह बात कही थी। उन के व्याख्यान की, जैसे मैं ने कहा, एक धुंधली स्मृति मुझे है। उन्होंने अपने तजुर्बे से बताया कि कुछ ऐसे लोग पकड़े गये हैं कि जिनकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी वह करप्ट (भ्रष्ट) होते हैं। तो सवाल यह है कि हमारी पबलिक लाइफ़ सविजनिक जीवन में करप्शन का जो केन्द्र बिन्दु है वह हमारी सेवाएं हैं, हमारी सरविसेज (services) हैं।

हर छठे महीने फ्रांस की मिनिस्ट्री प्रायः बदलती रहती है। पार्टियों के झगड़े होते हैं और गवर्नमेंट बदल जाती है मगर फ्रांस एक महान शक्ति है। मैं वहां गया तो नहीं पर मैं ने सुना है कि वह इतनी बड़ी शक्ति इसलिये है कि वहां की सरविसेज़ जो हैं वह इनकरप्टिबिल (भ्रष्टाचार से रहित) हैं। वह इस बड़े शासन को चलाती हैं। लोग बदलते रहते हैं। पर सरविसेज़ बराबर काम करती रहती हैं। मैन में कम एंड मैन मे गो बट आई गो आन फार ऐवर। (संसार में लोग आते हैं, तथा चले जाते हैं, परन्तु मैं निरन्तर बना रहूंगा।) तो वहां शासन सत्ता शान के साथ चलती रहती है। कारण कि वहां जो ऐग्ज़ीक्यूटिव (executive) है वह इनकरप्टिबिल हैं वह अपने यह कर्तव्य समझती है कि अपने शासनतंत्र को ठीक तरह से चलाये। मैं ने यह बात कहानी के तौर पर सुनी है, मेरी डाइरेक्ट नालिज (प्रत्यक्ष जानकारी) तो नहीं है। मिनिस्टरी बदलती है मगर शासन सत्ता प्रबल गति से चलती रहती है जिस के पीछे सरविसेज़ का बल होता है। यही सरविसेज़ वहां जनता के चरित्र को मोल्ड (mould) करती हैं। विधान बनने के बाद सारी शक्ति ऐग्जीक्यूटिव के पास चली जाति है। अगर ऐग्ज़ीक्यूटिव ऐसी हो कि हमारे ऐक्ट को ठीक तरह से ऐक्शन में ट्रांसलेट (translate) कर दे तब तो पबलिक लाइफ़ इनकरप्टिबिल हो सकती है, न कोई उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है और न वह किसी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर ऐग्जीक्यूटिव नयाय पर अवलम्बित हों तो उनको करप्ट नहीं किया जा सकता। पत्थर पर को मारिवो चोखो तीर नसाय—उन पर इस तरह प्रलोभन का असर नहीं हो सकता जैसे कि पत्थर पर तीर का असर नहीं होता: अब दिक्कत क्या पैदा होती है। अब जो घूस दी जायेगी वह इस तरह तो दी नहीं जायेगी कि आप हुजूम के साथ जायें, वह तो तख़लिये में दी जायेगी। फिर आपने अधिकार यह

[पंडित ए० आर० शास्त्री]

दिया है कि देने वाले को वही सज़ा मिलेगी जो कि लेने वाले को मिलती है । तो अगर वह देखेंगे कि डिटेक्ट (detect) हो गये तो उस को जेब में ले कर भी उसको ख़जाने में दाखिल कर लेंगे और घूस देने वाले का चालान कर देंगे । ऐसे केसेज़ (cases) मेरी नालिज में हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही ऐसी घटना घटी थी । दोहरी घाट का एक थाना है । पटेश्वरी राय वहां अमिला के कांग्रेस मंडल के मंत्री थे । उनको मालूम हुआ कि थानेदार ने एक आदमी को पकड़ा है और घूस ले कर उसको छोड़ने पर रज़ामन्द है । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उन्होंने जा कर कहा कि इस तरह घूस लेले कर थानेदार आदमी को छोड़ने को तैयार है । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप जाइये हम यहां से किसी को भेजेंगे लेकिन खेद है कि एक तरफ तो बात यह होती है और दूसरी तरफ उस थानेदार को आगाह कर दिया जाता है कि इस तरह तुमको घूस लेने में पकड़वाये जाने की व्यवस्था की जा रही है—मैं इसी तरह इससे पहले एक प्रज़ीक्यूटिव इंस्पैक्टर (निरीक्षक) को पकड़वा चुका था और उसको नौ महीने की सजा और दो सौ रुपया जुरमाना हो गया है तो उस थानेदार को यह मालूम हो गया । उसके बाद जब यह घुस दी गई तो उसने घूस को अपने हाथ में लिया और उसको खज़ान में दाखिल कर दिया और घूस देने वाले का चालान करवा दिया । तो इससे यही होगा कि अगर तख़लिए में दी गई घूस ठीक हुई तो उससे अधिकारी की जब गर्म हो जायेगी और अगर उसमें जरा भी सन्देह होगा तो वह घूस देने वाले का चालान कर देगा । इससे करप्शन घटेगी नहीं । मर्ज बढ़ता ही जायेगा । हाल यह होगा कि " मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।"

डा० काटजू : तो दवा क्या की जाय ?

पंडित ए० आर० शास्त्री : मैं ने कहा कि उसे अगर दिल्ली के स्टेशन पर आप आसानी के लिये एक लाउड स्पीकर लगादें और ट्रेन के टाइम पर कुछ पुलिस के आदमी वहां घूमते रहें तो यह सब कुछ नहीं होने वाला है फिर बिना टिकट कोई पहले या दूसरे दर्जे के डिब्बों में नहीं घुसेगा इस के अलावा अपने आदमियों के रिक्रूटमेंट (recruitment) में आपको सावधानी बरतनी चाहिये और उनके सामने ऊंचा आदर्श रखना चाहिये चाहे यह छोटे दरजे के हों या बड़े दरजे के । बड़ा दुःख है कि हमारी पब्लिक लाइफ (public life) में इस तरह का करप्शन है । असल में मक्खी तो शहद पर बैठती है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि राज्यन और जनता का धन शहद के समान है और कर्मचारी, जिसके मानी ऐग्जीक्यूटिव आफ़िसर्स के हैं, जो हैं वह मक्खी के समान हैं और उस शहद को चाट जाना चाहते हैं । इसमें शहद का दोष तो है नहीं क्योंकि उसकी तो लाइफ (life) ही पैसिव (passive) है क्योंकि उसको तो कोई न कोई चाटेगा ही । जिसको पैसा दिया जाता है उसको कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि पैसा मिलने में तो लाभ ही है । कष्ट तो देने वाले को होता है । अब आपने पैसिव कंडीशन (condition) में पड़े हुए आदमी को घूस लेने वाले के ऐट पार (at par) कर दिया है । मेरे ख्याल में यह ठीक नहीं है । इस विधि में यह एक भयंकर दोष है । इसका व्यवहार करके क्या आप पब्लिक लाइफ को पूरी तरह ऊंचा उठा सकेंगे इस ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह तो मैं एग्जास्टिवली (exhaustively) नहीं

बतला सकता कि किस किस तरह हम पबलिक लाइफ को आज की अपेक्षा ऊंचा उठा सकते हैं । लेकिन मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि हमारे गृह मंत्री जैसे विधि विधान के जानने वाले व्यक्ति के लिये कोई रास्ता निकालना कठिन नहीं होगा कि यह अनाचार कैसे मिटे । इसके मिटे बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता, करप्शन अंग्रेजों के आने से पहले भी जब हमारा अपना राज्य था मौजूदा था और जब अंग्रेज़ यहां आये और उनका राज्य रहा तब भी वह मौजूद रहा और अगर जब हमारे आज़ाद हो जाने के बाद भी यह करप्शन नहीं मिटता है और हमारी जनता का जीवन-स्तर ईमानदारी की दृष्टि से ऊंचा नहीं होता, तो निस्संदेह वह स्वराज्य के दिन के लिये रहने वाला है ? मैं इस बिल के पीछे जो भावना व्यक्त की गई है, उसका आदर करता हूं, लेकिन उस भावना को चरितार्थ करने के लिये जो साधन निकाले गये हैं, वह बिल्कुल अपर्याप्त हैं और सदोष हैं, और इन से काम नहीं चल सकता । मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह सुझाना चाहता हूं कि मौलिक दोष इसमें यह दिखाई देता है कि जीवन के समुचित रूप में एक्ज़ीक्यूटिव अथारिटी जो कि एक ऐक्टिव फोर्स (क्रियाशील बल) है और एक तरफ जनता की विवशता का जीवन है जो एक पैसिव जीवन है, इन दोनों को अपराधियों की एक ही कोटि में रखा गया है, मैं इस बात को गलत समझता हूं और इससे जो लालची अफसरों को एक बड़ा भारी लाभ यह पहुंचेगा कि उनके घूस लेते हुए पकड़े जाने की सम्भावना ही मिट जायेगी । जो छिपी हुई घूस होगी, वह तो डिटेक्ट नहीं हो सकती और जिस में तनिक भी पकड़े जाने की उस अफसर को सम्भावना होगी, उसमें उस बेचारे गरीब विवश आदमी का उल्टे चालान होगा और वह रिश्वत खोरी और करप्ट अफसर अपने सर्विस बुक के रेकार्ड में यह पा जायेगा कि वह निहायत ईमानदार अफसर है, हालांकि वह निहायत दर्जे का बेईमान और करप्ट अफसर है । इस कानून का नतीजा होगा यह कि गुनाह करेगा वह अफसर और मत्थे जायगा दूसरे के । इस लिये जो यह त्रुटि इसमें है उसको आप हटायें और इस ख़राबी को दूर करने के लिये कोई बात सोची जा सके तो अच्छा है । मैं तो उत्सुक हूं कि हमारी सरकार जनता की सेवा करने वाली सरकार सिद्ध हो और एक वेलफेयर स्टेट यहां सच्चे मानों में बन जाये । यह कोअरसिव मेजर्स (कुचलने की कार्यवाही) से नहीं बन सकती है, उसके लिये तो परसूएसिव मेजर्स (प्रेरणात्मक उपाय) की जरूरत है और वह जनता का हृदय परिवर्तन करके ही बनायी जा सकती है, स्वयं गांधी जी भी इस हृदय परिवर्तन पर जोर दिया करते थे, डंडे के जोर से यह परिवर्तन नहीं हो सकता और जब तक एक स्टेट की जो कोअरसिव फोर्स है, उसकी कोअरसिवनेस (कुचलना) विदर अवे (मूरझा जाना) और नष्ट नहीं होती तब तक वह स्टेट सच्चे मानों में एक स्टेट वर्थ दी नेम (नाम का राज्य) नहीं बनती । वर्थ दी नेम स्टेट में उस स्टेट को समझता हूं जो अपने कोअरसिव मेजर्स को त्याग दे और परसुएसिव मेजर्स में विश्वास करे, सच्चे मानों में वही वेलफेयर स्टेट हो सकती है औप ऐसी वेलफेयर स्टेट कोअरसिव मेजर्स से नहीं बन सकती, वह तो परसुएसिव मेजर्स से बनेगी और उसके लिये हमें प्रयत्नशील होना चाहिये ।

डाक्टर जयसूर्य (मेदक) : भ्रष्टाचार कई प्रकार का होता है । आप किसी पुलिस वाले से उस समय तक बच कर नहीं निकल सकते जब तक कि उसके हाथ पर चार आने न धर दें । नहीं तो वह आप

[डाक्टर जयसूर्य]

पर अधिक भार लादने आदि आदि आरोप लगा देगा । ये आए दिन की बातें हैं । पुलिस सब-इन्सपेक्टर का वेतन इतना थोड़ा होने पर भी उसके पास बढ़े ठाठ बाठ के समान रहते हैं।

घूस कोई अकेला व्यक्ति ही नहीं लेता । इसे कई एक अधिकारियों में निश्चित अनुपात से बांटा जाता है । चपरासी को एक दो रुपये मिलते हैं और ऊपर के अधिकारी को कई सौ तक मिल सकते हैं।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि घूस देने वाले को कोई दण्ड न दिया जाय, क्योंकि इस प्रकार वह घूस देने का कभी प्रयत्न नहीं करेगा । किसी अधिकारी तक पहुंच का हर प्रयत्न घूस देने के लिये नहीं होता । हम चाहते यह हैं कि सरकारी कर्मचारी दुरुत्साहित न हों । भ्रष्टाचार शताब्दियों से चला आता है । नज़राने की प्रथा से हम सब सुपरिचित हैं । किसी व्यक्ति को भ्रष्ट करने के कई तरीके हैं । ऐसा केवल धन देकर ही नहीं किया जाता है । चाय का प्याला पिला कर भी एक व्यक्ति भ्रष्ट किया जा सकता है । अतः यह समस्या इतनी सरल नहीं है । जब तक अपनी जनता के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, आप इसे कैसे बदल सकते हैं ? जो व्यवित पथ भ्रष्ट न होने पर दृढ़ हो, उसे आप भ्रष्टाचार से नहीं फुसला सकते । इसका एक ही हल है और वह है, आप ऐसे व्यक्तियों को खुले आम कोड़े लगवाएं तथा लम्बे समय तक जेल में फैंकें । अन्यथा कुछ बनेगा नहीं ।

मुझे सी० आई० डी० विभाग के एक ईमानदार अधिकारी की घटना पता है । उसके ज़िम्मे एक उच्च अधिकारी के विरुद्ध जांच करने का काम सौंपा गया । जब उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सब तथ्यों का संग्रह किया, तो उससे अपने परिणामों को वापस लेने के लिये कहा गया । परन्तु जब उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो उसकी पदावनति कर दी गई । तो हमारे सामने इस प्रकार की कठिनाइयां हैं ।

आपको स्वेच्छा से भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में सूचना देकर सरकार की सहायता करनी होगी । इसका केवल एक हल है और वह है निर्दयी होकर सख्ती का करना। इसी लिये मुझे यह बहुत कठिन प्रतीत होता है । मैं अपने मित्र से सहमत नहीं कि आप को विशेष न्यायाधिकरण नहीं बनाने चाहियें । किसानों ने मुझे बतलाया है कि चोर बाज़ार में लोहे तथा इस्पात को खुले बाज़ार की अपेक्षा बहुत सस्ते दामों खरीदा जा सकता है । वे ऐसा केवल घूस देकर ही काम करा सकते हैं । जब तक कोई ऐसा अनुभव करता है कि वह उससे भी बड़े अधिकारी के पास जाकर काम करा सकता है, आप भ्रष्टाचार को बन्द नहीं करा सकते । हर आदमी को ऐसा अनुभव होना चाहिये कि उसके विरुद्ध मुकदमा चलने पर उसे किसी प्रकार की रक्षा प्रदान नहीं की जायेगी । भगवान का भय केवल उसी समय लोगों के मन में समायेगा ।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस–पूर्व) उपाध्यक्ष महोदय इस विधि पर अब तक जो बहसें हुई हैं मेरी समझ में वे इस की परिधि के कुछ बाहर हैं । यह विधि जो दो या तीन संशोधन और आने वाले हैं उनका एक हिस्सा है । ऐसी हालत में जैसे कि मंत्री महोदय ने शुरू में ही कहा टेक चन्द कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ संशोधन आवश्यक प्रतीत होते हैं, लेकिन यह एक सिर्फ आंशिक विधि है इस में जो धारा करप्शन (भ्रष्टाचार) या ब्राइब (घूस) की है वह बहुत दूर तक नहीं जाती । हां, इस समस्या को हल करने के

लिये हम को थोड़ा बहुत उन भागों पर भी विचार करना होगा जो इस विधि के दायरे में नहीं आते हैं । इस विधि में सिर्फ एक नया सैक्शन मिलाया गया है और वह यह है कि जो घूस देता है वह भी उसी तरह से जुर्म करता है जैसे घूस लेने वाला । यह एक सिद्धान्त की बात मालूम होती है, मेरी समझ में इस में सिद्धान्त: किसी को कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती है । हां, हमारे अन्य सदस्यों ने जो कहा है उस से मुझे भी थोड़ी बहुत सहानुभूति है । इसका कारण यह है कि यह एक असाधारण समय है । इस में हमें और आप को बिना किसी मतभेद के यह जो विष हमारे समाज में हमारी सर्विसेज (सेवाएं) में चल रहा है उसको रोकने चाहिये । में यह भी मानता हूं कि युद्ध के बाद यह विष बड़े जोरों से फैला है। तो फिर अगर हमें इस को किसी तरह से दूर करना है तो इसके लिये असाधारण नियम भी लाने होंगे । मेरी समझ में इस नियम को भी हमारे मंत्री महोदय किसी अंश में असाधारण समझते हैं । किन्तु पांचवें सैक्शन में यह जो सब सैक्शन ((उपधारा) एक है वह सिर्फ दो साल के लिये लागू रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इस को संकुचित दृष्टि से लागू करेंगे तो शायद हम किसी नतीजे पर न पहुंचेंगे । बहुत से मुकदमें जो चलेंगे, बहुत सी बातें जो कही जायेंगी, जो जांच पढ़ताल की जायेगी, उस में काफी समय लग सकता है और दो वर्ष में इस पूरे एक्ट को फिर से किसी न किसी रूप में लाना होगा, खास तौर पर जो सब जज का प्राविजन (उपबन्ध) है, उस को फिर लागू करना होगा, ऐसा मेरा अन्दाजा है ।

डा० काटजू : क्या मैं यहां बीच में कुछ शब्द कह सकता हूं ? खंड ५ के उपखंड (२) में निर्दिष्ट २ वर्ष के निर्बन्धन को घूस के केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाय जिन में क्षमा प्रदान की गई हो । दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिन मामलों में घूस देने तथा घूस लेने को इतना गम्भीर नहीं समझे जाता, धारा ३३७ के अन्तर्गत कोई क्षमा प्रदान नहीं की जाती थी। टेक चन्द समिति की रिपोर्ट है कि यह शक्ति अथवा अधिकार दिया जाना चाहिये । अत: परीक्षण के लिये, उन्होंने सुझाव रखा है कि सर्व प्रथम इस अधिकार को दो वर्ष तक के लिये दिया जाये। इस समय के बीत जाने पर यह देखा जाये कि काम कैसे चला है । यदि परिणाम अच्छा रहा तो इसे संविधि का स्थायी रूप से भाग बना दिया जाना चाहिये । अन्यथा इस शक्ति को वापस ले लिया जा सकता है ।

दूसरी बात यह कि दंड विधान के अन्तर्गत इसे स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये । घूस के देने को धारा ११४ के अन्तर्गत पहिले ही एक अपराध घोषित किया गया है ; यदि घूस दी जाय परन्तु उसे स्वीकार न किया जाय तो वह भी अपराध है । इस में केवल बन्धन यह लगाया गया है कि मूल अपराध की तुलना में इस विषय में दंड की मात्रा एक चौथाई रहेगी। टेक चन्द समिति ने रिपोर्ट की थी कि इस निर्बन्धन को हटा लिया जाय तथा इसे एक मूल अपराध घोषित किया जाय, चाहे घूस स्वीकार कर ली जाय अथवा इस से इन्कार कर दिया जाय । साथ ही इस के लिये उचित दंड की व्यवस्था की जाय !

श्री टी० एन० सिंह : तो मैं यह जानना चाहता था ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द अंग्रेजी में भी कहना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उपधारा (१) का निर्देश केवल खण्ड ५ के उपखण्ड १(ए) की ओर ही है ? खण्ड ५ के उपखण्ड (१) में कुछ संशोधनों का उल्लेख है, खण्ड ५ के उपखण्ड (२) में 'उपधारा (१)' के शब्द लिखे हैं ? क्या ये शब्द केवल भाग (क) की ओर ही निर्देश

[श्री टी० एन० सिंह]

करते हैं ? क्या उपखण्ड (२) उपखण्ड (बी) पर भी लागू होता है या नहीं ?

डा० काटजू : खण्ड (ए) में वर्णित संशोधन दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ के अधिनियम ५ की धारा ३३७ से ही सम्बन्ध रखता है। अब जिस संशोधन को पेश किया गया है कि धारा ३३७ के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता (१८६० का अधिनियम ४५) की धारा संख्या १६१, १६५, तथा १६५ ए में लिखे गये अपराधों के सम्बन्ध में भी क्षमा प्रदान की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक में खण्ड ५ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३३७ के संशोधन के लिये रखा गया है। उस के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत क्षमा प्रदान करने के सामान्य अधिकार को दिया गया है। अब उस अधिकार को भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा संख्या १६१, १६५ तथा १६५ ए में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में भी दिये जाने की प्रस्तावना की गई है। परीक्षण के लिये यह अधिकार पहले तो केवल दो वर्षों के लिये ही दिया जायगा। माननीय सदस्य जानना यह चाहते हैं कि क्या खण्ड ५ के उपखण्ड (२) का निर्देश उपखण्ड (१) के भाग (ए) ही की ओर है अथवा कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) के भाग (क) की ओर भी है ?

श्री वेंकटारमन् (तंजोर): खंड ५ के उपखंड (२) में जो 'उपधारा' के शब्द रखे गये हैं उनके स्थान पर उप-खण्ड शब्द रखा जाना चाहिये। इस प्रकार से यदि '२ए' न रहे तो २बी भी अपने आप नहीं रहेगा।

पांडत ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : २बी की नई उपाधारा को २ए के बाद ही रखा जायेगा। इस प्रकार से २ए के न रहने से २बी भी नहीं रहेगा।

डा० काटजू : यह बात प्रारूप तैयार करने से सम्बन्ध रखती है। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

श्री टी० एन० सिंह : मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर और विचार करेंगे तथा मेरे प्रश्नों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

अस्तु, फिर मुझे आप के सामने अब दो एक बातें सिद्धान्त की कहनी हैं। मेरी समझ में हमारे यहां यह एक रोग क्रानिक (पुराना) ही नहीं बल्कि .....

श्री बल्लातरास (पुदुकोटै) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण वैधानिक विषय है। आप कृपया माननीय सदस्य से अंग्रेजी में बोलने के लिये कहिये क्यों कि सदन के सारे सदस्य हिन्दी नहीं समझ सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष इस बारे में पक्षपात से रहित है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं अपने माननीय मित्र की इच्छानुसार अंग्रजी में ही बोलूंगा। मैं उन से केवल इतनी आशा करता हूं कि राष्ट्र भाषा को लोक प्रिय बनाने में वह हमें अपना सहयोग दें।

भ्रष्टाचार के सर्वत्र छाये होने से मैं समझता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में संकटकालीन कार्यवाही करनी होगी। इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमें दंड विधि के बारे में अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा। बजाए इस के कि हम नौ अपराधियों को बच निकलने दें यह अच्छा होगा कि उन के साथ एक बेकसूर को भी दंड मिल जाय। ऐसा करने से हम आज के संकट का अच्छी प्रकार से सामना कर सकेंगे। यदि घूस और भ्रष्टाचार का अंत करने के लिये कार्यपालिका और शक्ति हो तो मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के मेरे मित्र इस विषय में सरकार को अपना

सहयोग दें । दुर्भाग्य से कई दिनों से हम मामूली प्राविधिक आपत्तियों को सुन रहे हैं । क्या इस से हम अपने राष्ट्र तथा सरकार को दृढ़ बना सकेंगे ? कुछ भी हो इस समय देश में जनता की अपनी सरकार है तथा हम सब लोगों द्वारा चुन कर यहां भेजे गये हैं । तो हमें निडर हो कर आगे बढ़ना चाहिये चाहे हमारे निजी विचार कुछ भी क्यों न हों । अत यद्यपि इस समय सदन के सामने उपस्थित इस छोटे से विधान पर मुझे कोई आपत्ति नहीं तो भी मैं आशा करता हूं कि यदि अधिक कड़ा विधान यहां लाया गया तो विरोधी गुटों के सदस्य भी उस का समर्थन करेंगे ।

प्रत्येक अवस्था में विधान से ही काम नहीं चलने का । अन्त में समस्या का हल हमारी जनता के नतिक स्तर के ऊंचा होने से ही होगा । जहां घूस देने वाले को भी दण्ड मिलना ही चाहिये, वहां मैं चाहता हूं कि नैतिक स्तर के पहलू पर भी ध्यान दिया जाय इस के साथ ही मैं यह मानता हूं कि घूस लेने वाला सरकारी अधिकारी घूस देने वाले की अपेक्षा अधिक अपराधी है । इस सिद्धान्त को हमें मानना ही होगा तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार भी इसे स्वीकार करेगी ।

इस अवसर पर वास्तविक प्रश्न उठता है कि हम अधिकारियों को घूस लेने से रोकें कैसे ? इस समय स्थिति यह है कि एक के ऊपर दूसरा अधिकारी चढ़ा हुआ है । यही बात भ्रष्टाचार का मूल कारण है जितना अधिक हम रोकथाम की व्यवस्था करते है, घस लेने की मनोवृत्ति को उतना ही अधिक बढ़ावा मिलता है । वास्तविक समस्या यही है । एक मात्र उपाय यही है कि मेरे इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय कि भले ही एक बेकसूर व्यक्ति साथ पिस जाय, परन्तु नौ अपराधी व्यक्ति नहीं बचने चाहिएं । इतना खतरा तो हमें मोल लेना ही होगा । हमें इस बारे में इतना अधिक वैधानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये ।

अन्त में मैं कुछ विशेष न्यायाधीशों के बारे में कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि अपने अनुभव के आधार पर हमें विशेष न्यायाधीशों सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिये । हमारा अनुभव यह रहा है कि विशेष न्यायाधिकरणों के नियुक्त करने से भी निर्णय में बहुत अधिक समय लग जाता है । मेरे विचार से इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मामलों को शीघ्र से शीघ्र निपटाना है । मेरा निवेदन है कि मामले के इस पहलू पर अग्रेतर विचार किया जाये । विशेष न्यायाधीशों के नियुक्त करने तथा प्रक्रिया में कुछेक प्रस्तावित परिवर्तनों से ही काम नहीं चलेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक में घूस तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निश्चित रूप से इतनी कार्यवाही नहीं की गई है जितनी कि बख्शी टेकचन्द समिति की कुछेक सिपारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में । उस समिति के निर्देश-पद जो समिति की रिपोर्ट के पहले पृष्ठ पर दिये हुए हैं बहुत सीमित से थे । समिति ने कुछ निश्चित बातों पर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । अतः मैं वाद-विवाद में की गई कुछ आपत्तियों का ही उत्तर दूंगा । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या इस विधेयक से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकेगा या नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा । इस का सम्बन्ध तो केवल कानूनी प्रक्रिया से है, अतः इसे कार्यान्वित करने से बहुत बड़े परिणामों की आशा नहीं करनी चाहिये । इस के अतिरिक्त इस में घूस के अपराध को अधिक परिमाणित करने की अधिक विस्तृत व्यवस्था की गई है । खण्ड का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एक नई धारा के द्वारा घूस को एक ठोस अपराध के रूप में पेश किया जा सके । मैं समझता हूं कि घूस देने वाले को दण्ड दिये

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जाने के प्रश्न में हमें अधिक गहराई से नहीं जाना चाहिये। मैं अपने ४२ वर्ष के अनुभव के आधार पर इतना कह सकता हूं कि आम जनता की यह धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है कि प्रत्येक विषय में अधिकारी ही घूस देने वाले को घूस देने के लिये विवश करता है। अनुचित लाभ उठाने के लिये लोग अधिकारियों को दुरुत्साहित करते रहते हैं तथा साथ ही अपने अपराध के परिणामों से भी बचना चाहते हैं।

मेरा विनम्र निवेदन है कि घूस लेने वाले तथा घूस देने वाले एक ही समान अपराधी हैं। घूस देने वाला प्रायः इस लिये घूस देता है कि सम्बन्धित अधिकारी बिना घूस लिये उस का काम नहीं करता। ऐसे विषयों में हमारी सहानुभूति अवश्य ही ऐसे लोगों के साथ होना चाहिये। परन्तु ऐसे विषय भी बहुत हैं जिन में लोग अनुचित लाभ उठाने के लिये घूस देते हैं।

भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों में घूस का प्रबन्ध करने वालों अथवा घूस देने वालों की गवाही पर विश्वास किया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे कानून में इतनी सीमा तक त्रुटि नहीं है कि घूस देने वाले की गवाही पर विश्वास नहीं किया जाय। अतः वास्तव में इस विधेयक का जिस बात से सम्बन्ध है, वह यह है कि निर्णय कराने की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जाये, इसीलिये हम ने विशेष न्यायाधीशों के नियुक्त किये जाने की सिफारिश की है। मैं सामान्यतः विशेष नियुक्तियों के विरुद्ध हूं तथा इस बात के पक्ष में हूं कि अपराधों के सम्बन्ध में देश के सामान्य कानून को काम में लाया जाय। परन्तु अपराधी को शीघ्र से शीघ्र दण्ड दिलाने के लिये मैं विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति को आवश्यक समझता हूं। दूसरे, इस विधेयक में क्षमा प्रदान के मामलों में स्पुर्दी की कार्यवाही को बीच में से हटा दिया गया है। ये सिफारिशें विलम्ब को यथासम्भव कम करने के लिए की गई हैं।

मैं सदन का ध्यान एक और खास बात की ओर दिलाना चाहता हूं। हम ने देखा कि अपराधी को दण्ड दिलाने के लिए पुलिस तथा विशेष पुलिस स्थापना को जाल बिछाना पड़ता है जो एक अत्यन्त आपत्ति की बात है। मेरा सदन तथा माननीय गृह कार्य मंत्री से निवेदन है कि वह इस जाल बिछाने के व्यवहार को बन्द कर दें। मैं ने अपनी प्रैक्टिस के दिनों में देखा कि जाल बिछाने के काम को बढ़े घृणित व्यक्तियों से कराया जाता था। मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में यह प्रथा लाभकारी सिद्ध हुई है फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जाये जिस ने प्रथम बार ही घूस को स्वीकार किया हो, चाहे वह सदा से ईमानदार चला आ रहा हो। ईमानदार व्यक्ति भी लालच में आ सकता है। वह लालच में आ कर धन स्वीकार कर सकता है अथवा उस के सामने धन इस प्रकार से रखा जा सकता है कि उसे पकड़ा जा सके। ऐसी अवस्था में उसे दण्ड अवश्य ही मिल जायेगा।

मुझे जाल बिछाने की प्रथा के वैध होने में भी सन्देह है। आप किसी व्यक्ति को १०० रुपये का नोट दे कर कपड़ा खरीदने भेजते हैं तथा पुलिस और मैजिस्ट्रेट को मौके की ताक में बिठा देते हैं। यद्यपि खरीदने तथा बेचने का सौदा कानून की दृष्टि से कभी पूरा हुआ नहीं कहा जा सकता तो भी कई बार ईमानदार व्यक्ति इस में ऐसे फंस जाते हैं कि वह निकल नहीं पाते। यह एक बुरी प्रथा है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : कल्पना कीजिये कि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति से घूस की मांग करता है तथा वह व्यक्ति पुलिस को ऐसा बतलाता है तो क्या मेरे

मित्र के विचार से उसे पकड़ना आपत्तिजनक है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा यह कहना नहीं है कि सच्चे मामलों में भ्रष्ट व्यक्तियों को इस प्रकार नहीं पकड़ना चाहिये। मेरे देखने में आया है कि इस काम में बहुत खराब व्यक्तियों को लगाया जाता है। वे लोग किसी भी प्रकार का बयान देने को तैयार रहते हैं। कुछ भी हो जब दो व्यक्ति परस्पर बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत न हो जायें, सौदा पूरा नहीं समझा जा सकता। इस पर भी सारी बात को वैध समझा जाता है। यह सभी मामलों में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वैभागिक तथा प्रशासी मामलों में भी इसे काम में नहीं लाया जाना चाहिये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वैभागिक मामलों के सम्बन्ध में भी मुझे मालूम है कि किसी उच्च अधिकारी को जब यह पता चलता है कि उस का अधीन अधिकारी एक बेईमान व्यक्ति है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किये गये नोट भेजता है तथा कभी कभी ऐसा होता है कि एक ईमानदार व्यक्ति जो अपने वरिष्ठ अधिकारी को नाराज़ कर बैठता है अथवा जिस के विरुद्ध कोई और व्यक्ति शिकायत कर देता है उसे इस प्रकार से हानि पहुंचाई जाती है। इस पद्धति को केवल बेईमान व्यक्तियों के लिये ही प्रयोग में नहीं लाया जाता इस से ईमानदार व्यक्ति भी पिस जाते हैं। मद्रास, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तो अब न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है जो वैभागिक मामलों को सुनते हैं। परन्तु न्यायालयों में कई बेईमान व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है। अतः यह बहुत अच्छा होगा कि केवल कुछ चुने हुए मामलों को ही न्यायालयों तक भेजा जाय तथा उन समस्त मामलों में दण्ड दिलाया जाय।

घूस बड़ी होशियारी से ली जाती है तथा इस में कई अधिकारी परस्पर मिले होते हैं। इसे केवल न्यायालयों के निर्णय से ही दूर नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिये कि वह अच्छे व्यक्तियों की भर्ती करे। थानेदार लोग हज़ारों रुपये की घूस लेते हैं परन्तु मुझे ऐसे मामलों का पता है जिन में उन के विरुद्ध दस दस मुकदमे होने पर भी वह साफ छूट जाते हैं।

इस देश में हम जानते हैं कि पक्षपात तथा परिवार-पोषण की लहर बड़े जोरों से चल रही है। जब सारे व्यक्ति इसी आधार पर भर्ती किये जायें तो आप घूस को दूर करने के स्वप्न नहीं ले सकते। यदि हम उच्चतम स्तर पर साहस से काम लें तथा उन बातों को अपने जीवन में अपनायें जिन की कि हम दूसरों से आशा करते हैं तो मुझे उत्साहजनक परिणामों की बहुत आशा है। युद्धकाल से पहले घूस बहुत कम चलती थी परन्तु युद्धकाल में तो हर ईमानदार व्यक्ति भी बेईमान हो गया था। आज भी स्थिति यह है कि हमारे सामने कह दिया जाता है कि भ्रष्टाचार जोरों पर है। आज भी हम स्थिति को अच्छी प्रकार से नहीं समझते तथा ऐसा जान पड़ता है कि हम ने घूस को अपने भाग्य में लिखा मान रक्खा है। परन्तु कुछ समय से हर गलत बात पर आलोचना का होना आरम्भ हो गया है तथा ऐसा होना भी चाहिये ।

हमारे सामने प्रश्न यह है कि समस्या का हल क्या है ? जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इस का कर्त्तव्य स्पष्ट है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का ईमानदार होना आवश्यक है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जब तक हम स्वयं ईमानदार नहीं होते तथा लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा नहीं करते, इस समस्या का हल नहीं हो सकता ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस का मुख्य प्रश्न से इतना लगाव नहीं है । इस में तो जनता पर यह जतलाया गया है कि घूस का देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि घूस का लेना । इस कारण से मुख्य प्रश्न की चर्चा करना आवश्यक ही होगा ।

श्री नम्बियार : विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह लिखा है कि "इन में घूस देने को भी एक मूल अपराध घोषित करने की चेष्टा की गई है तथा इसे केवल दुरुत्साहित करने की चेष्टा ही नहीं समझा जायगा ।"

यह एक नया विचार है । अब यद्यपि माननीय मंत्री का वास्तविक विचार कुछ भी हो, यदि घूस के देने को भी अपराध समझा गया तो घूस का पता कैसे चलेगा ? यदि घूस देने वाले को ही इस प्रकार से डरा दिया गया तो वह इस तथ्य को कभी प्रगट नहीं करेगा । तीन वर्ष के कड़े दण्ड की व्यवस्था करने से माननीय मंत्री जानते बूझते हुए अथवा अनजानपन से भ्रष्ट अधिकारी को रक्षा प्रदान कर रहे हैं । अतः पूरी ईमानदारी तथा नम्रता से मेरा यह निवेदन है कि उन्होंने जिस कड़े उपाय का सुझाव दिया है उस से समस्या का हल नहीं हो सकेगा बल्कि उल्टी बाधा पड़ेगी ।

जब तक आप गरीब लोगों की हालत में कुछ सुधार नहीं करते, आप भ्रष्टाचार को जड़ से नहीं मिटा सकते । उदाहरण से आप मद्रास के एक क्लर्क की हालत पर विचार कीजिये । उसे कुल मिला कर ६५ रु० मिलें तो तनिक सोचिये कि वह अपना निर्वाह कैसे कर सकता है । आप वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं समझते । जब तक यह सरकार लोगों के जीवन की हालत में सुधार नहीं करती तथा निचले स्तर के लोगों को ऊपर उठाने की चेष्टा नहीं करती, मुझे सन्देह है कि घूस की सामाजिक बुराई को दूर नहीं किया जा सकता ।

रेल विभाग में भ्रष्टाचार की बहुत बातें कही जाती हैं । परन्तु यदि आप थोड़ा सा सोचें तो वहां भी अधिकतर कर्मचारियों की दशा बहुत खराब है । वे लोग भी घूस लेना नहीं चाहते परन्तु उन में से जो घूस नहीं लेता, वह विपत्ति में पड़ जाता है । घूस न लेने वाले को वहां से बदलवा दिया जाता है । अतः आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिये आप गरीब लोगों की दशा को सुधारें ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में वे कारण नहीं बतलाये कि आखिर घूस देने के सम्बन्ध में इस प्रकार का उपबन्ध इस विधेयक में क्यों रखा गया है । यदि यह चोर बाजारी करने वाले बड़े मोटे व्यक्तियों अथवा इस प्रकार के दूसरे व्यक्तियों को फांसने के लिये है तो ठीक है, परन्तु यदि इस का ध्येय चार आने की पुलिसमैन को दी गई घूस तक सीमित रहना है, तो इस से कोई लाभ नहीं होगा । इस प्रकार के विधेयक को प्रेस्तुत करते समय हमें सभी पहलुओं पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिये । यह कोई नया विधान तो है नहीं, इस से पहले भी एक कानून मौजूद है । माननीय मंत्री के लिये केवल इतना कह देना काफी नहीं कि पहिले से भ्रष्टाचार बढ़ गया है । उन्हें सदन को बतलाना चाहिये कि अमुक अमुक विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है तथा उसे दूर करने के लिये ऐसे कानून की आवश्यकता है । आप को हमें इस के प्रस्तुत करने के कारणों के बारे में सन्तुष्ट करना चाहिये । किसी भी कानून के विस्तार सम्बन्धी विधान बहुत महत्वपूर्ण बात होती है । अतः जनता के ऐसा

करने के कारणों का अवश्य ही पता चलना चाहिये। उसे यह भी बताया जाना चाहिये कि ऐसा करने से वर्तमान कानून में क्या सुधार होगा। उस दृष्टि से भी इस विधान विशेष को कोई लाभ नहीं। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री इसे अवश्य ही स्वीकृत करा लेंगे, परन्तु इस भावना से उन्हें काम नहीं करना चाहिये।

जाल बिछाने के तरीके को मैं भी पसंद नहीं करता हूं। परन्तु कई भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें पकड़ने का और कोई तरीका नहीं है परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि पुलिस अपना गुस्सा निकालने के लिये किसी व्यक्ति को जाल बिछा कर पकड़े साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मुझे रेलवे विभाग तथा लोक-कार्य विभाग के ऐसे व्यक्तियों का पता है जो काफी घूस लेते हैं, परन्तु जो उच्च न्यायालय में जा कर साफ छूट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें पकड़ना अत्यन्त कठिन होता है।

अब रहा प्रश्न इस विधेयक के वैध होने का। माननीय मित्र के अनुसार सौदे का पूरा होना नहीं माना जा सकता। मैं समझता हूं कि इतना गहरा जाना ठीक नहीं। हमें केवल मामले के अच्छे तथा बुरे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिये।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे तरीके अवश्य हैं जिन से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। मैं ने स्वयं चीन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा घोर आन्दोलन देखा है। वहां पर जब कभी कोई भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा जाता है तथा उस के विरुद्ध प्रमाण मिल जाता है तो चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी भी क्यों न हो, उसे दण्ड अवश्य मिलता है। यह नहीं कि वहां पर कम्युनिस्टों को दण्ड न मिलता हो। अपराध सिद्ध होने पर उन्हें भी दण्ड मिलता है। परन्तु यहां किसी भी कांग्रेसी को दण्ड मिलते नहीं सुना।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ दक्षिण) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के हेतु, क्या यह बात विधेयक सम्बन्धी चर्चा के अन्तर्गत है ?

श्री नम्बियार : क्यों नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। केवल चीन के उदाहरण को सामने रखते किसी कांग्रेसी को किसी न किसी प्रकार से फंसाने में कोई तर्क नहीं है। प्रश्न तो यह है कि क्या किसी कांग्रेसी अथवा किसी समुदाय विशेष से सम्बद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर भी सरकार ने कार्यवाही करने से इन्कार किया है ?

श्री नम्बियार : इसी कारण मैं ने आरम्भ में कह दिया था कि मेरा संकेत किसी दल अथवा व्यक्ति विशेष की ओर नहीं है। निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि जब मेरे जिले के एक बहुत जिम्मेवार कांग्रेसी नेता से जमा किये हुए धान को देने के लिये कहा गया तो उन्होंने जिला कलक्टर को नौकरी से हटवा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अच्छा होगा आप उन मामलों की ओर निर्देश करें जो न्यायालयों के सामने आ चुके हों तथा जिन के सम्बन्ध में ठोस प्रमाण मौजूद हों। इस से भी अच्छा होगा कि व्यक्तिगत निर्देश बिल्कुल न किये जायें क्योंकि यहां वह व्यक्ति विशेष अपना बचाव करने के लिये उपस्थित नहीं होता।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं ने प्रथम तो नाम नहीं लिया, दूसरे उक्त कलक्टर तथा मद्रास सरकार के बीच हुए पत्र व्यवहार में यह सारी बात अभिलेख्य रूप में विद्यमान है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी किसी स्थान के मंत्री विशेष का सुगमता से पता चल ही जाता है। यदि कोई निश्चित मामला हो तो आप निर्देश कर सकते हैं, परन्तु ऐसा न होने से माननीय सदस्यों के लिये वैयक्तिक निर्देश करना उचित नहीं ।

श्री नम्बियार : मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिये हमें अपनी सारी शक्तियां एक साथ लगा देनी चाहियें । न्यायालयों से, प्लेटफार्मों से प्रचार द्वारा तथा निजी प्रभाव से काम लेकर हमें इस बुराई को अपने देश से निकाल देना चाहिये । परन्तु खेद तो यह है कि माननीय मंत्री जो कुछ कहते हैं, वह करते नहीं । इस विधेयक में भी वैसी स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं की गई । मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस बात पर पुनः विचार करें कि क्या इस विधेयक से उनका मुख्य उद्देश्य पूरा हो सकेगा ?

श्री जोशिम अलवा (कनारा) : सब से पहले मैं भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति के पहलू के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । यह खेद तथा लज्जा की बात है कि स्वतन्त्रता के युद्ध में सर्व बलिदान करने वालों को सत्ता के प्राप्त होने पर इस समस्या का सामना करना पड़े ।

बख्शी टेकचन्द समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ १५ पर दो प्रकार के दण्ड का वर्णन है एक तो यह कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्ट होने का सन्देह हो तथा वे अधिकारी सेवा-निवृत्त होने वाले हों, तो उन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाय । इसके लिये आवश्यक है कि उसे पूरी पैन्शन पाने का अधिकार मिल चुका हो । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि गवाही विद्यमान हो या न हो । हमारे सामने हाउस आफ कामन्ज के कई दृष्टान्त मौजूद हैं जब श्री टामस तथा श्री डाल्टन के उदाहरण हैं । हमें सब से पहले उच्च से उच्च अधिकारियों को ठीक रास्ते पर चलाना चाहिये इसके बाद नीचे के सभी अधिकारियों को ठीक किया जा सकता है । इस के लिये आवश्यक है कि जीवन के निर्वाह के खर्चे को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखा जाय ; ज्यूं ज्यूं इस में वृद्धि हो, सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी उसी अनुपात से बढ़ाया जाना चाहिये । उनके वेतन इतने होने चाहियें कि इधर उधर से घूस लेने का उन्हें लालच न रहे ।

इस सम्बन्ध में मैं बम्बई का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां के मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव श्री भट्ट अपनी ईमानदारी के लिये मशहूर हैं । हमने वहां के उच्चतम अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कभी कोई मामला नहीं सुना । ऐसा क्यों है ? इसका कारण यह है कि वहां के मुख्य मंत्री इस विषय में मामलों को स्वयं देखते हैं तथा वहां के मुख्य सचिव आई० सी० एस० अधिकारियों पर अपना नियन्त्रण रखते हैं । जब कभी ऐसा कोई मामला होता है तो चाहे अधिकारियों ने २० या २५ वर्ष की सेवा क्यों न की हो, उन्हें पदावनित कर दिया जाता है । शायद मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते यह सुझाव दे सकता हूं कि भारत सरकार को अब एक मुख्य सचिव जरूर नियुक्त करना चाहिये । जिन आई० सी० एस० अधिकारियों के बारे में भ्रष्ट होने का पता हो, उन्हें तुरन्त पदोवनित करके उनके अपने अपने प्रान्तों में भेज देना चाहिये जहां उन्हें फिर उसी पद पर पहुंचने का कभी अवसर न मिल सके । हमारे प्रधान मंत्री अपने उच्च आचरण के लिये जगत प्रसिद्ध हैं । हमें उनके आधीन एक मुख्य सचिव नियुक्त करके उसे अधिकार देना चाहिये

कि जब कभी कोई आई० सी० एस० अधिकारी पथभ्रष्ट हो तो उसकी पदोवनति तथा तबदीली आदि के बारे में कार्यवाही कर सकें। किसी आई० सी० एस० अधिकारी की चाहे कितनी भी सिपारिश तथा जबरदस्त टोली क्यों न हो, राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करने की उसकी मजाल नहीं होना चाहिये ।

इस मामले का आर्थिक पहलू भी है । हमें निर्वाह व्यय के घटने बढ़नें का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

एक बात और मुझे यह कहनी है कि जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे को नहीं बदलते, इस देश से भ्रष्टाचार पूर्णतः कभी समाप्त नहीं हो सकता । सारे देश में केवल २००० या ४००० या ५००० व्यक्तियों के पास असीम धन है तथा वे लोग इस से भी अधिक धन जमा करने का लालच रखते हैं । उनके कितने ही बैंकों में एकाउंट (लेखाएं) हैं तथा १०,००० रु० की घूस देना उनके लिये एक बहुत मामूली सी बात है । उन्हें जनता के सामने कोड़े लगाने तथा जेल में बन्द करने से भी स्थिति में सुधार नहीं होगा । अतः हमें केवल कानूनी जटिलताओं में ही नहीं उल्झे रहना चाहिये । हमें स्थिति के बारे में गम्भीर दृष्टिकोण को अपनाना होगा । निर्वाह व्यय को सामने रखते हुए हमें योग्य तथा भ्रष्टाचार से रहित अधिकारियों को तरक्की देना चाहिये । इस देश में लगभ ५०० मंत्री लोग हैं, क्या किसी एक के बारे में भी हमने भ्रष्टाचार के कारण पद-त्याग करते सुना है ? यही कारण है कि आज तक हम इस समस्या का हल नहीं कर सके । हमारे बीच इतने योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी हम इसे हल नहीं कर सके, क्योंकि जनता ने इस बात पर अपना दृढ़ मत व्यक्त नहीं किया था । भ्रष्टाचार को मिटाये बिना हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते ।

प्रश्न यह है कि आखिर भारत सरकार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर ही क्यों कार्यवाही करे । न्यायालयों द्वारा छोड़ें गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार को वैभागिक कार्यवाही करनी चाहिये । जहां तक संसद का सम्बन्ध है, संसद कोई विशेष कार्यवाही करने में असमर्थ है । हमें इस बारे में ब्रिटिश जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये जहां पर किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का थोड़ा सा सन्देह होने पर उसे त्यागपत्र देना पड जाता है । जब तक इस सम्मान को हम अपने जीवन में दाखिल नहीं करते, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा । जब तक उच्च अधिकारियों में भ्रष्टाचार विद्यमान है, नीचे के लोगों से भ्रष्टाचार से दूर रहने से कोई लाभ नहीं होगा । जब तक हमारी जनता शिष्टाचार को नहीं अपनाती तथा इसका नैतिक स्तर उंचा नहीं होता, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा ।

युद्ध में लोगों को बड़े मोटे वेतन दिये गये तथा अत्यधिक लाभ प्राप्त हुए । इससे हमारे सार्वजनिक जीवन को अत्यन्त क्षति पहुंची है । हम इस बढ़ते हुये रोग को रोक नहीं सके तथा न ही इसे मिटा सके हैं । कारण यह कि इस मामले में हमें जनमत का बल प्राप्त नहीं है । अपराधी अपील करने पर छूट जाते हैं । ये ऐसे मामले हैं जिन पर सम्बन्धित विभाग को कड़ी निगरानी रखनी चाहिये ।

श्री वेंकटारमन : चर्चा के आरम्भ करने वाले माननीय सदस्य ने तथा मेरे दूसरे मित्रों ने अपने भाषणों में कहा है कि इस विधेयक में एक नए अपराध की परिभाषा की गई है तथा कहा है कि घूस देने वाला विवश होकर ही घूस देता है । उन्होंने सरकार से प्रश्न किया है कि क्या वे मामली

[श्री वेंकटारमन्]

नजराने देने वालों को भी दण्ड देना चाहती है ? मैं समझता हूं कि हम किसी नए अपराध की परिभाषा नहीं कर रहे हैं । घूस देने वालों के विरुद्ध दण्ड विधान में पहिले से की जा चुकी है । घूस देने तथा अपराध के सिद्ध हो जाने पर धारा १४९ लागू होती है जिस के अनुसार घूस देने वाले को घूस लेने वाले के बराबर दण्ड मिलता है । परन्तु ऐसे मामलों में जिनमें घूस को स्वीकार न किया जाय तो दण्ड मुख्य अपराध का केवल एक चौथाई ही होता है । तो स्थिति यह है कि हम किसी नए अपराध की घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि दण्ड को बढ़ा रहे हैं । घूस देने वाले घूस लेने वालों के समान ही दण्डनीय होते हैं । यदि घूस देने वाला यह कहे कि परिस्थिति से विवश हो कर उसे घूस को स्वीकार करना पड़ा तो घूस लेने वाला भी इसी प्रकार का तर्क पेश कर सकता है । तो वास्तव में इस विधेयक में किया यह गया है कि उन व्यक्तियों के लिये भी दण्ड को उतना ही कर दिया गया है जितना कि घूस लेने वाले के लिये ।

मुझे माननीय मंत्री का ध्यान एक दो कमियों की ओर दिलाना है । इस विधेयक के अनुसार केवल सत्र न्यायाधीशों तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ही विशेष न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं । मेरा निवेदन है कि ऐसा करने से भारत के कई जिलों में यह काम इतना बढ़ जायेगा कि कत्ल, हत्या तथा डाकों जैसे बड़े बड़े अपराधों के मुकदमे खटाई में जा पड़ेंगे । वैसे भी वे लोग सारे मुकदमों को सुन ही नहीं सकेंगे ।

इसके बाद हमें सोचना है कि चल रहे मामलों का क्या बनेगा ? अच्छा होगा कि वे मामले उस विशेष न्यायाधीश को हस्तान्तरित कर दिये जाये जिसके क्षेत्राधिकार से उनका सम्बन्ध हो ।

एक और प्रश्न यह उठा है कि क्या घूस तथा भ्रष्टाचार के मामलों में क्षमा प्रदान की जाय या नहीं ? इस सम्बन्ध में किसी निर्णय का करना कठिन है । हो सकता है कि किसी मामले में एक दो व्यक्ति ही अभियुक्त हों । यदि एक को क्षमा प्रदान की गई तो दूसरे की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी । इससे हमें अज्ञात तथ्य का अथवा एक दूसरे से सम्बन्धित तथ्यों का पता नहीं चल सकेगा । परन्तु मैं यह भी समझता हूं कि जिन मामलों में बहुत से व्यक्ति मिलकर किसी अधिकारी को घूस देना चाहें तथा उसे अन्य प्रकार से भ्रष्ट करना चाहें तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को अवश्य क्षमा प्रदान की जाय जो उस षड़यंत्र का महत्वपूर्ण अंग हो । अतः मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार तथा घूस के मामलों में क्षमा प्रदान करने में कुछ बुरा नहीं है ।

मैं इन शब्दों में विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य कई एक सुझाव उपस्थित कर रहे हैं जो कानून के बेहतर बनाने से इतना सम्बन्ध नहीं रखते जितना कि प्रशासी उपायों से । बल्कि यहां तक सुझाव दिया गया है कि जब तक लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं होगी, स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता तथा न ही भ्रष्टाचार और घूस बन्द हो सकते हैं ।

अतः मैं समझता हूं कि अब चर्चा काफी हो चुकी है । जो माननीय सदस्य चर्चा के इस क्रम पर नहीं बोल सके हैं, मैं उन्हें खण्डों पर विचार के क्रम पर बोलने का अवसर दूंगा ।

अब मैं माननीय मंत्री को उत्तर के लिये कहूंगा ।

डा० काटजू: मैं अपने मित्र अन्तिम वक्ता का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने विधेयक के समस्त खण्डों को बहुत खोल कर बतलाया है । परन्तु बिना किसी चिढ़ाने के तथा पूर्ण सम्मान से मैं यह कहना चाहता हूं कि घूस देने वालों के प्रति यहां जो नम्रता दिखाई गई है, उससे मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ है । मैं इस बात को पूरी तरह अनुभव करता हूं कि छोटे छोटे मामलों में अथवा ऐसे मामलों में जिनमें जबरदस्ती घूस ली हुई समझी जाय, घूस देने वाला पूर्ण सहानुभूति का पात्र है । उदाहरण से 'मामूल' आदि के मामले इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं । परन्तु पिछले पांच या दस वर्षों में, ऐसे मामले हुए हैं जिनमें इतना अधिक नफा कमाने के लिये घूस दी गई है तो यदि सदन को इन मामलों को बतलाया जाय जो कि मुझे मालूम हैं तो उसे अत्यन्त आश्चर्य होगा । उदाहरण के लिये मैं एक ही ऐसे मामले का वर्णन करूंगा ।

उत्तर प्रदेश में एक वर्ष पंजाब में गुड़ ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । उत्तर प्रदेश में गुड़ का मूल्य लगभग ८ रुपये प्रति मन था जबकि पंजाब में यह १७ अथवा १८ रु० था। निर्यात के लिये लाइसेंस पहिले से दिये जा चुके थे तथा उनकी अवधि ३१ मार्च को समाप्त होने वाली थी। इससे लाइसेंस वालों को पंजाब में अपने माल को शीघ्र से शीघ्र भेजने की बहुत चिन्ता थी। वे मुरादाबाद तथा मेरठ तक सीमा पर चले आये तथा उनमें से हर एक ने स्टेशन मास्टर तथा रेल कर्मचारियों को दुरुत्साहित या यूं कहिये कि लालच देने की कोशिश की—निचले कर्मचारियों को नहीं, बल्कि उच्च अधिकारियों को माल के डब्बे देने के लिये ।

एक मामले में एक स्टेशन मास्टर ने, सम्भवतः अपनी होशियारी से या उच्च अधिकारियों की होशियारी तथा सहायता से ५२ डब्बे पंजाब की ओर लगा दिये तथा हर डब्बे का ५०० रुपये वसूल किये । इस प्रकार से केवल १४ दिनों में उसने २६,००० रुपये कमा लिये । उसे उच्च न्यायालय से दो वर्ष दण्ड हुआ । परन्तु चाहिये तो यह था कि वह एक रुपया भी न लेता । मुझे पूर्णतः अनुभव हो रहा है कि उस व्यक्ति को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये था। उसे दण्ड मिला भी। परन्तु उस व्यक्ति का नैतिक अपराध तो देखिये जिसने ५०० रुपये उसकी हथेली पर रखे । आप एक और मामला ले लीजिये । साड़ियों तथा सूती वस्त्रों का भेजना बन्द कर दिया गया है तथा रेलवे ट्रकों को मिलों से सीधे देश के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है । पहिले दिनों में—कोई चार वर्ष पहले—निस्सन्देह आपको, विभिन्न थानों में से हो कर जाना पड़ता था अतः आप १०० प्रतिशत नफा तो नहीं कमा सकते थे । इस कारण—उनकी अपनी भाषा में कहते हुए—आप को "चीनी" की बांट करने के लिये एक दो स्थानों पर आठ आठ आने देने पड़ते थे तथा इस प्रकार से आप ५०,००० रुपये नहीं तो २५,००० रुपये लेकर ही संतुष्ट हो जाते थे। २५,००० रुपये आप शेष के दस अधिकारियों में बांट देते थे । इसी बात को बख्शी टेक चन्द समिति ने 'दुरुत्साहित करना' लिखा है । प्रश्न यह नहीं कि छोटे आदमियों को पकड़ा जाय । प्रश्न बड़े बड़े आदमियों को पकड़ने का है जो अधिकारियों को भ्रष्ट करना चाहते हैं। अब इस विधेयक में क्या व्यवस्था की गई है ? घूस देने वाले के लिये दो वर्ष कद दण्ड रखा गया है । बख्शी टेक चन्द समिति के अनुसार दण्ड थोड़ा था, अतः इसे बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिया गया है ; यदि घूस न ली जाय तो आज के कानून के अनुसार दण्ड छः मास ही है। बख्शी टेक चन्द समिति ने इस प्रकार से लिखा है कि आप इसे मूल

[डा० काटजू]

अपराध घोषित कीजिये तथा इस के लिये भी इतना ही दण्ड रखिये तथा इस दण्ड को बढ़ा कर तीन वर्ष कर दीजिये। मुकदमों को शीघ्रता से भुगताने के लिये, विशेष न्यायाधीश नियुक्त किये जायें क्योंकि मैजिस्ट्रेटों के बारे में इसमें कई कई महीने लग जाते हैं। कलकत्ता में एक मुकदमे का फैसला करने में ४ वर्ष लग गये थे। हम चाहते हैं कि वे निपटाये जायें तथा निपटाये भी वरिष्ट न्यायाधीशों द्वारा जायें।

विधेयक का मूल उद्देश्व तो यह है तथा मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार जिन्होंने कम वेतन वाले रेल कर्मचारियों के बारे में बड़ा करुणामय भाषण दिया है। मेरे मन में भी उनके प्रति बहुत सहानुभूति है, परन्तु वर्तमान स्थिति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके बाद क्षमा प्रदान करने का प्रश्न आता है। हम क्षमा को इसलिये प्रदान करते हैं कि गवाही मिल सके। इस के बाद किसी महोदय ने जाल बिछाने के बारे में कहा है। जाल किसी व्यक्ति को कभी भ्रष्ट करने के लिये नहीं बिछाया जाता, यह केवल उस व्यक्ति के लिये बिछाया जाता है जिसके भ्रष्ट होने का पता हो। कृपया यह भी याद रखिये कि जाल केवल तब ही बिछाया जाता है, उस समय वस्तुतः स्थिति यह होती है कि सम्बन्धित अधिकारी घूस चाहता है तथा जिस व्यक्ति से इसकी मांग की जाती है वह प्रायः एक सख्त तबीयत का व्यक्ति होता है। वह अपने कुछ मित्रों से परामर्श करके कहता है "मैं आखिर घूस क्यों दूं? मैं ज़िला मैजिस्ट्रेट के पास जाकर रिपोर्ट करता हूं।" अतः इसे जाल नहीं समझा जा सकता। आरम्भ से ही ज़िला मैजिस्ट्रेट को घूस की मांग के बारे में सूचित कर दिया जाता है अथवा पुलिस के सीनियर सुपरिन्टैन्डेन्ट को इसकी सूचना दे दी जाती है। मैं समझता हूं कि तीन चार व्यक्तियों के मामले ऐसे हो सकते हैं जिन में पुलिस अधिकारियों को ज़बरदस्त आशंका होती है अथवा यह सूचना होती है कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अनुचित ढंग से रुपया कमा रहा है। इस अवसर पर वह उसे पकड़ने का फैसला करते हैं। परन्तु ये सब प्रशासी बातें हैं। आपका कहना है कि जाल से बेकसूर व्यक्तियों को फांसने अथवा उन के मार्ग में बाधा डालने का काम नहीं लिया जाना चाहिये। मैं इस सत्य को पूर्णतः अनुभव करता हूं। यह प्रश्न वेतन के कम अथवा अधिक होने से सम्बन्ध नहीं रखता है। जब मैं ने प्रेक्टिस आरम्भ की थी तो कानपुर के व्यवहार न्यायालय में एक रीडर जिनका वेतन ५० या साठ रुपये मासिक ही था, अपनी ईमानदारी के लिये बहुत मशहूर थे। लोग कहते थे कि वह बहुत असामान्य व्यक्ति थे। वह मुसलमान थे तथा मक्का की यात्रा कर चुके थे। उन्होंने अनुचित धन न लेने की शपथ उठा रखी थी तथा उस शपथ को उन्होंने पूरा किया। ऐसे भी लोग हैं जो ५०० या ६०० रुपये मासिक वेतन पाते हों। अंग्रेज़ी भाषा की एक कहावत के अनुसार हर व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। कल्पना कीजिये कि किसी व्यक्ति को १००० रुपये मिलते हैं तथा दूसरा व्यक्ति उसके सामने १ लाख रुपय रख देता है। यह नैतिक पतन युद्धकाल में आरम्भ हुआ था। एक लाख रुपये के लालच में न फंसना बहुत कठिन है। उसे केवल १०००रुपया मिलता है तथा शायद उस ने कभी जीवन में १ लाख रुपया नहीं देखा है। बड़ी आसानी से धन मिलता नज़र आता है। अब इसका दोष किस पर है? मेरा कहना है कि जो आदमी १ लाख रुपये का लालच देता है उसे चाबुक के कोड़े

तथा सात वर्ष कैद का दण्ड होना चाहिये तथा १ लाख रुपये लेने वाले को भी सात वर्ष कैद का दण्ड मिलना चाहिये। बाईबल में ऐसी प्रार्थना है "हमें लालच में न धकेलो"। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लालच में फंसाता है वह एक बहुत बुरा व्यक्ति है। हम यहां पुलिस की चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसी माननीय सदस्य ने दिल्ली स्टेशन की बुरी अवस्था का वर्णन किया है। आप इसी मामले को ले लीजिये। दूसरे दरजे का डब्बा खिचा-खिच भरा होता है। मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूं। जब मैं वहां जाता हूं तो कर्मचारी मुझे बतलाता है कि "कोई स्थान नहीं रहा"। मैं कहता हूं :

"बाबू साहब कुछ तो कर दीजिये" तथा तब दस रुपये का नोट निकालता हूं। वह इसे लेता है। अब क़सूर किसका है ?

मुझे ऐसे पुलिसमैन की बात समझ में आ सकती है जो किसी ग्राम में जाता है। वहां पर किसी व्यक्ति का कत्ल होता है तथा तब पुलिस वाला संदेश भेजता है कि "ठाकुर को कह दो, सावधान रहे। गवाह लोग उसे फंसा रहे हैं।" अथवा कोई स्त्री मारी जाती है जो विधवा होती है। आशंका यह होती है कि ससुर ने ज़हर दिया है। जब तक वह १०,००० रुपये न दे, उसे फंसा दिया जाता है। वह व्यक्ति अपनी जान के डर से रुपया दे देता है। कृपया एक बात याद रखिये। मैं आप को फिर अपने अनुभव से कहता हूं—जब कभी ज़बरदस्ती घूस ली जाती है तो घूस लेने वाले को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। तथा उसमें उसे कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति घूस देता है वह नाराज़ हो कर गवाही देता है। परन्तु जिन मामलों में अधिक नफ़ा कमाने के लिये घूस ली जाती है—एक ही अवसर पर नहीं बल्कि अवसर के बाद अवसर पड़ने पर दी जाय—तो गवाही नहीं मिल सकती। कारण यह कि घूस लेने वाला तो गवाही देगा नहीं तथा घूस देने वाला नफ़ा कमाना चाहता है और वह चाहता है कि थाने, प्रदाय विभाग तथा लाइसेंस विभाग का प्रत्येक प्रभारी अधिकारी वहीं पर रहे, अवस्था यह है।

मुझे खेद है कि ये शब्द मैं बहुत बार कह चुका हूं तथा सदन सम्भवतः यह कहेगा कि बार बार यही शब्द कहा जाता है। मेरा कहना है कि यह बहुत साधारण मामला है। मेरी बात का समर्थन एक बहुत महत्वपूर्ण समिति करती है तथा मेरा विचार था कि मुझे बधाई दी जायगी। परन्तु कहा यह जा रहा है कि हर प्रकार से मैं घूस देने वाले के प्रति उत्कण्ठा व्यक्त कर रहा हूं। मुझे कभी ऐसा विचार भी नहीं आ सकता।

मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करेगा तथा दस मिनट में इसे पारित कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड (२)— **(धारा १६५ का संशोधन)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस खण्ड के बारे में किन्हीं संशोधनों की सूचना दी गई है ?

श्री झूलन सिन्हा (सारण उत्तर) : श्रीमान्, खण्ड २ के बारे में मेरे संशोधनों की संख्या १ और ३ है। पृष्ठ १, पंक्ति ७ में 'प्रखण्ड' (वर्षों) के बाद जुरमाने के साथ अथवा "बिना जुरमाने" शब्द रखे जायें।

अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये मैं आपका ध्यान भारतीय दण्ड विधि की धारा १६५ की तथा विधेयक में किये जाने वाले संशोधन की ओर दिलाता

[श्री झूलन सिन्हा]

हूं । भारतीय दण्ड विधान की धारा के अनुसार अपराधी को दो वर्ष तक क़ैद अथवा जुरमाना किया जा सकता है अथवा क़ैद या जुरमाना दोनों हो सकते हैं । परन्तु इस विधेयक के संशोधन के अनुसार अपराधी को तीन वर्ष तक क़ैद हो सकती है अथवा जुरमाना किया जा सकता है अथवा जुरमाना या क़ैद दोनों किये जा सकते हैं । मैं नहीं चाहता कि न्यायालय को यह विवेक दिया जाय कि अपराधी को केवल जुरमाना कर के ही छोड़ दे । इस सामाजिक अपराध को रोकने का उपबन्ध इस प्रकार का होना चाहिये जिस से कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े । इस विधेयक में दण्ड को बढ़ा कर अपराधी के मन में भय पैदा करने का यत्न उचित ही किया गया है । मैं यह चाहता हूं कि इस काम को बनाये रखने के लिये क़ैद तथा जुरमाना दोनों प्रकार का दण्ड दिया जाय । पिछले कुछ वर्षों से घूस लेने वालों तथा देने वालों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है । भ्रष्टाचार से पूर्णतः रहित व्यक्तियों का मिलना बहुत ही कठिन हो गया है । अपराधी से यह हौसला नहीं रहना चाहिये कि केवल जुरमाने का भुगतान कर के ही वह छूट जायगा । यही बात मैं माननीय गृह कार्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आप का संशोधन यह नहीं है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं आप का ध्यान मूल संशोधन की ओर दिलाता हूं । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संशोधन के छापने में कोई ग़लती रह गई है जिसके लिये मैं उत्तर-दायी नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, हम संशोधन ३ को बाद में लेंगे ।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार से है कि :

> पृष्ठ १ पर, पंक्ति ८ में, three (तीन) शब्द के स्थान पर seven (सात) शब्द रखा जाय ।

क़ानून में इस समय घूस लेने वाले तथा घूस देने वाले के लिये जो दण्ड रखा गया है, वह बहुत कम है । अतः कानून को बदलते समय हमें अपराधियों के प्रति बड़ा कठोर बर्ताव अपनाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि घूस लेने वाले को सात वर्ष का दण्ड मिलना चाहिये । इसी प्रकार से घूस देने वाले को भी सात वर्ष क़ैद का दण्ड मिलना चाहिये । हम देखते हैं कि बड़े बड़े व्यापारी अधिकारियों कोजा जाकर घूस पेश करते हैं । मेरा संशोधन दण्ड को बढ़ा देने के बारे में है जिस से अपराधी तथा अपराध का इरादा रखने वालों को शिक्षा मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इसे स्वीकार करते हैं ?

डा० काटजू : मेरी स्थिति यह है । मैं ने इस विधेयक को बनाने में टेक चन्द समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया है । उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष के दण्ड की व्यवस्था की जाय तथा कि अपराध करने के लिये पुरुत्साहित करने वाले को भी उतना ही दण्ड मिले । जहां तक 'जुरमाना सहित अथवा बिना जुरमाना, शब्दों का सम्बन्ध है, एक वर्कील के नाते कहते हुये मैं आप को बतला सकता हूं कि इसमें दो पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा । प्रथम तो यह कि अब हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसे सब मुक़दमों को विशेष न्यायाधीश सुना करेंगे ।

वे बहुत वरिष्ट (सीनियर) न्यायाधीश होंगे तथा वह प्रत्येक अपराध के दोष सिद्ध होने के पहलू पर भली प्रकार से विचार करेंगे । दूसरा पहलू यह है कि यदि विधि के अन्तर्गत क़ैद का दण्ड देना आवश्यक हो, तो हम सब को विदित है कि किसी व्यक्ति को एक दिन क़ैद का दण्ड दिया जा सकता है । इसका मतलब यह कि वह न्यायालय से सीधा अपने घर चला जाता है । अब यदि न्यायाधीश का विचार यह हो कि उनके सामने पड़े मुक़दमे में क़ैद का दण्ड नहीं मिलना चाहिये, परन्तु विधि के अनुसार क़ैद का दण्ड अवश्य मिलना चाहिये तो वह एक दिन क़ैद दण्ड दे देते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । इस लिये मेरा अपना विचार यह है कि तीन वर्ष क़ैद-दण्ड बहुत ठीक ही है । यदि सदन की सामान्य भावना यह हो कि तीन वर्ष के स्थान पर यह दण्ड पांच वर्ष होना चाहिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हमें 'जुरमाने के साथ अथवा बिना जुरमाने के' शब्द भी ले लेने चाहियें तथा हमें इस बात को सत्र न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ देना चाहिये अथवा अतिरिक्त सत्र-न्यायाधीशों अथवा सहायक सत्र न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ देना चाहिये । कारण यह कि जहां तक दण्ड की मात्रा का सम्बन्ध है, यह बात उन्हीं पर छोड़ दी गई है । हम ने केवल अधिकतम मात्रा को निश्चित कर दिया है । कोई न्यायाधीश चाहे तो एक मास का या तीन वर्ष का दण्ड दे सकता है । यदि सदन का ऐसा विचार है कि हमें इस दण्ड को बढ़ा कर पांच वर्ष कर देना चाहिये तो मैं पांच वर्ष के सुझाव को स्वीकार करने के लिये भी तैयार हूं । यदि इस सुझाव को सामान्य समर्थन प्राप्त है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं । जहां तक अनिवार्य रूप से जुरमाना किये जाने का सम्बन्ध है, मैं इस प्रश्न को अभी एक ओर रहने देता हूं । मेरा व्यक्तिगत मत तो यह है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मेरा सुझाव भी दण्ड को पांच वर्ष तक कर देन के सम्बन्ध में है ।

सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) प्रायः वे पांच वर्ष के दण्ड के पक्ष में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करें तो मैं शेष के संशोधनों को बीच में से छोड़ दूंगा ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : मुझे इस संशोधन के स्वीकार किये जाने पर एक आपत्ति है । मुख्य धारा १६१ में यह लिखा है कि दण्ड केवल ३ वर्ष का कारावास हो अथवा जुरमाना हो या दोनों हों । यदि अब हम पांच वर्ष रखें तो प्राविधिक रूप से वह ग़लत होगा ।

डा० काटजू : मैं अपने माननीय मित्र का बहुत आभारी हूं । इसे तीन वर्ष ही रहने दीजिये । कुछ भी हो, समिति ने इस सारे प्रश्न पर विचार कर लिया है तथा उसके बाद अपने परिणामों पर पहुंची है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया नहीं समझा जा सकता । तथा जिस प्रकार से यह ज़ोर पकड़ता जा रहा है, उसे सामने रखते हुये मैं चाहता हूं कि क़ैद के साथ साथ जुरमाने का दण्ड भी रखा जाय । चाहे जुरमाना एक रूपया ही हो ।

श्री झूलन सिन्हा : हमें जुरमाने की व्यवस्था करनी चाहिये तथा इस बात को न्यायालय पर छोड़ देना चाहिये कि हर मामले की स्थिति के अनुसार जुरमाने करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को पसन्द नहीं करता । माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते । उस के बाद माननीय सदस्य और तर्क कर रहे हैं । यह ठीक नहीं है ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: जभी उन्होंने इतनी शीघ्रता से संशोधन को वापस लेना था तो उन्होंने इसे प्रस्तुत ही क्यों किया ? क्या सदन के समय को इस प्रकार से व्यर्थ में नष्ट किया जायगा ? मैं आपके संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे यह अस्वीकृत हो जाय ।

कुछ माननीय सदस्य: इस बार जाने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा । क्या सदन माननीय सदस्य को अपने संशोधन के वापस लेने की अनुमति देता है ?

संशोधन को, सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं खण्ड २ को प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, १५ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।